प्रकाशक :
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,
दिल्ली

© भोलानाथ तिवारी, १९५८

मूल्य : तीन रुपये पचास नये पैसे

प्रथम संस्करण, १९५८

मुद्रक
श्री गोपीनाथ सेठ
नवीन प्रेस, दिल्ली

है। जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है। यह 'ङ', 'ण', 'ञ', 'न', 'म' का ही एक रूप है। इसीलिए इसका उच्चारण-स्थान एक नही है। 'ष' को 'श' के साथ कोष्ठक मे लिखा गया है। इसका कारण यह है कि आजकल हिन्दी मे 'ष' का उच्चारण नही होता। उसके स्थान पर भी हम 'श' का ही उच्चारण करते है। इस प्रकार 'शेष' हम केवल लिखने के लिए लिखते है। यथार्थत हम बोलते 'शेश' है।

व्याकरण और उसके विभाग 1

खण्ड एक ध्वनि-विचार

१ वर्णमाला - - - ५
२ लिपि - - - ८
३. ध्वनियों का वर्गीकरण और उच्चारण - - - १६
४. सन्धि - - - २४

खण्ड दो : शब्द-विचार

१. संज्ञा - - - ३६
२ लिंग - - - ४०
३ वचन - - - ४६
४ कारक - - - ५२
५ सर्वनाम - - - ६४
६ विशेषण - - - ७८
७ क्रिया - - - ९०
८ अव्यय - - - १४७
९. शब्द-रचना - - - १५९
१०. व्युत्पत्ति - - - १७०
११. पद-व्याख्या - - - १७४

२.	मारा गया	मारे गए
३	” ”	” ”

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
	मारी गई	मारी गईं, मारे गए
	” ”	” ”
	” ”	” ”

(७) आसन्न भूत

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१.	मारा गया हूँ	मारे गए हैं
२	” ” है	” ” हो
३	” ” ”	” ” हैं

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
	मारी गई हूँ	मारी गई हैं
	” ” है	” ” हो
	” ” ”	” ” हैं

(८) पूर्णभूत

पुल्लिंग

१	मारा गया था	मारे गए थे
२	” ” ”	” ” ”
३.	” ” ”	” ” ”

खण्ड तीन   वाक्य-विचार

१ वाक्य का लक्षण और उसकी
आवश्यकताएँ - - - १७६
२ वाक्य के अग तथा भेद - - - १८८
३ वाक्य-विश्लेषण - - १६३
४ विराम-चिह्न - - १६६

तथा

मारी जा रही थी	मारी जा रही थी
मारी जा रही थी	मारी जा रही थी
मारी जा रही थी	मारी जा रही थी

(१०) सन्दिग्धभूत

पुल्लिग

	एक वचन	वहु वचन
१	मारा गया हूँगा	मारे गये होंगे
२	,, ,, होगा	,, ,, होगे
३.	,, ,, ,,	,, ,, होंगे

स्त्रीलिंग

एक वचन	वहु वचन
मारी गई हूँगी	मारी गई होंगी
,, ,, होगी	,, ,, होगी
,, ,, ,,	,, ,, होंगी

(११) हेतुहेतुमद् भूत

पुल्लिग

	एक वचन	वहु वचन
१	मारा जाता	मारे जाते
२	,, ,,	,, ,,
३.	,, ,,	,, ,,

व्याकरण और उसके विभाग

अपने विचारो को दूसरो तक पहुँचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग मनमाने ढग से नही किया जा सकता। इसके लिए भाषा के अपने नियम होते हैं। व्याकरण इन्ही नियमो का सग्रह या समूह है। दूसरे शब्दो मे 'व्याकरण वह शास्त्र है, जो किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढना सिखाता है।'

भाषा के तीन अग होते हैं—**ध्वनि, शब्द और वाक्य। अ,** आ, क्, ख् आदि ध्वनियाँ हैं। ध्वनियो के योग से ही शब्द बनते हैं। जैसे 'घोडा' शब्द घ्+ओ+ड्+आ इन चार ध्वनियों के योग से बनता है। कई शब्दो को मिलाकर वाक्य बनाए जाते है। जैसे 'घोडा दौड रहा है' एक वाक्य है। इसमे 'घोडा', 'दौड', 'रहा' और 'है' ये चार शब्द हैं।

भाषा के इन्ही तीन अगो के आधार पर व्याकरण के भी तीन विभाग बनाये गए है, जिन्हे **'ध्वनि-विचार', 'शब्द-विचार'** और **'वाक्य-विचार'** कहते हैं।

'ध्वनि-विचार' मे किसी भाषा की ध्वनियो का उच्चारण, वर्गीकरण, उन्हे लिखने का ढग तथा उनके मेल से शब्द बनाने

्क्त ाक्य	१	मैं कश्मीर गया था	प्रधान उपवाक्य		और
	२	वहाँ से फल ले आया	प्र० उ० वाक्य		
	३	जब तुम बनारस गए थे	क्रिया विशेषण उपवाक्य	प्रधान उपवाक्य न० १ की क्रिया की कालसूचक विशेषता बतलाता है	

के नियम आदि का वर्णन रहता है। 'शब्द-विचार' मे शब्दो के भेद तथा एक रूप के आधार पर नये रूपो के निर्माण का ढग आदि बतलाया जाता है। 'वाक्य-विज्ञान' मे वाक्य के शब्दो का एक-दूसरे से सम्बन्ध तथा शब्दो के आधार पर वाक्य या वाक्याश बनाने के नियम आदि का विचार किया जाता है।

खण्ड एक

ध्वनि-विचार

१. वर्णमाला

वह मूल ध्वनि जिसके टुकडे न हो सकें, 'वर्ण' है। जैसे अ, क्, प्। किसी भाषा में प्रयोग में आने वाली मूल ध्वनियो या वर्णों के समूह को ही उस भाषा की 'वर्णमाला' कहते है। हिन्दी वर्णमाला मे कुल ५३ वर्ण है—

स्वर—अ आ इ ई
उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

व्यञ्जन—कवर्ग—क् ख् ग् घ् ङ्
चवर्ग—च् छ् ज् झ् ञ्
टवर्ग—ट् ठ् ड् ढ् ण्
तवर्ग—त् थ् द् ध् न्
पवर्ग—प् फ् ब् भ् म्
अन्तस्थ—य् र् ल् व्
ऊष्म—श् ष् स् ह्
द्वि-स्पृष्ट—ड़् ढ़्
क़् ख़् ग़् ज़् फ़्

अनुस्वार— —
विसर्ग—

इनमे प्रथम दो पक्तियो के ११ वर्ण स्वर है और शेष पक्तियो के ४२ वर्ण व्यञ्जन है। व्यञ्जनो मे हर पक्ति के आरम्भ मे उसके व्यञ्जनो का सामूहिक नाम दिया गया है। क, ख, ग, ज, फ के लिए कोई सामूहिक नाम नही है। अनुस्वार और विसर्ग में केवल एक-एक व्यञ्जन है। इन स्वरो और व्यञ्जनो के यो तो अ, इ, क् आदि नाम है ही, पर इसके अतिरिक्त इनके साथ—'कार' शब्द जोडकर इन्हे 'अकार', 'इकार', 'ककार' आदि भी कहते है।

अनुस्वार और विसर्ग को छोडकर सभी व्यञ्जनो के नीचे तिरछी लकीरे (्) है, जिन्हे 'हल्' कहते है। हल् लगाने का अर्थ यह है कि वे शुद्ध व्यञ्जन है, उनमे कोई स्वर नही मिला है। हम लोग प्राय. क, ख आदि लिखते है। ये क, ख शुद्ध या केवल व्यञ्जन नही है। 'क' मे 'क्' और 'अ' दो वर्ण या ध्वनियां मिली है—

क् + अ = क

इसी प्रकार ख, ग आदि अन्य व्यञ्जनो मे भी।

बहुत-सी पुस्तको में इन वर्णो के अतिरिक्त अ, अ , क्ष, त्र, ज्ञ भी मिलते है। पर ये एक वर्ण न होकर दो वर्णो के मिले हुए रूप है—

अ = अ + (—)
अ = अ + ( )

क्ष = क् + ष्
त्र = त् + र्
ज्ञ = ज् + ञ्

अत इन्हे वर्णमाला में स्थान नही देना चाहिए।

२. लिपि

भाषा बोली जाती है, पर कभी-कभी उसे लिखना भी पडत है। लिखने मे हर ध्वनि के लिए एक चिह्न का प्रयोग होता है जिसे लिपि कहते है। हिन्दी भाषा नागरी लिपि मे लिखी जार्त है। नागरी लिपि के चिह्न या अक्षर पीछे के अध्याय म (पृ० ५ पर) दिये गए है।

इनमें आरम्भ के ११ चिह्न, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है स्वर है। लिखने की दृष्टि से 'अ' को छोडकर अन्य स्वरो के दो रू होते है। एक उनका मूल रूप और दूसरा उनको मात्रा का रूप—

स्वरो का मूल रूप—— अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ अ

स्वरो की मात्रा का रूप— ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ

जब स्वरो का अकेले प्रयोग करना होता है तो उनका मूल रूप लिखा जाता है। जैसे 'आप' शब्द मे 'आ' या 'इसका' शब्द मे 'इ'। पर, जब स्वरो को किसी व्यञ्जन (क् ख् ग् आदि) मे मिलाकर लिखना होता है तो उनकी मात्रा के रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे काम मे 'का' (क् व्यञ्जन + ा, आ क मात्रा-रूप)। 'क्' व्यञ्जन मे सभी स्वरो की मात्राएँ इस प्रकार

लगाई जा सकती है—

क का कि की कु कू कृ के कै को कौ

इसी प्रकार अन्य व्यञ्जनो मे भी मात्राएँ लगती है।

यहाँ चार बाते विशेष रूप से ध्यान देने को है—

१ 'अ' का कोई मात्रा-रूप नही होता। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है शुद्ध व्यञ्जन 'क' न होकर 'क्' है। 'क्' में जब 'अ' लगाना होता है तो केवल हल् को हटा देते हैं। अर्थात्—

क् + अ = क

इसी प्रकार सभी व्यञ्जनो का हल् हटाने के बाद जो रूप बचता है उसमे उस व्यञ्जन के अतिरिक्त 'अ' स्वर भी मिला होता है। जैसे ख, (ख् + अ), ग (ग् + अ) तथा ब (ब् + अ) आदि।

२. 'अ' के अतिरिक्त अन्य स्वरो के मात्रा-रूप लगाने के लिए व्यञ्जन का हल् हटाने के बाद उस स्वर की मात्रा जोडी जाती है।

क् + आ = क + ा = का

३. आ (ा), ई (ी), ओ (ो) और औ (ौ) की मात्राएँ व्यञ्जन के बाद में लगाई जाती है—

का की को कौ

इ (ि) की मात्रा व्यञ्जन के पहले लगाई जाती है—

कि

उ (ु), ऊ (ू) और ऋ (ृ) की मात्राएं व्यञ्जन के नीचे लगाई जाती है—

कु कू कृ

और 'ए' (े) तथा 'ऐ' (ै) की मात्राएँ व्यञ्जन के ऊपर लगाई जाती हैं—

के कै

४ 'र्' व्यञ्जन में उ और ऊ की मात्राएँ अन्य व्यञ्जनों की भाँति न लगाई जाकर निम्न प्रकार से लगती हैं—

र् + उ = रु

र् + ऊ = रू

अनुस्वार(—) और विसर्ग ( ) क्रम से स्वर के ऊपर तथा बाद में लगाए जाते हैं।

क (क् + अ) + — = कं

क (क् + अ) + · = कः

कि (क् + इ) + — = किं

का (क् + अ) + = का

जैसे व्यञ्जन के साथ स्वर मिलाए जाते हैं, उसी प्रकार कभी-कभी व्यञ्जन से व्यञ्जन भी मिलाने पड़ते हैं। इस दृष्टि से नागरी लिपि के व्यञ्जनों के दो प्रकार हैं—

(१) एक तो वे हैं, जिनके अन्त में एक पाई (।) होती है। जैसे ख, ग, घ, च, ज, त, थ, प आदि।

(२) दूसरे वे होते हैं, जिनमें पाई नहीं होती जैसे क, ङ, छ, भ, ट, ठ, ड, ढ, द, फ, र, ह आदि।

जब किसी दूसरे व्यञ्जन से पाई वाले व्यञ्जनों को मिलाना होता है तो पाई हटाकर मिलाते हैं—

स् + न = स्न। प् + य = प्य। त + थ = त्थ। ग् + घ =

ग्घ । त् और त मिलाने से 'त्त' एक नया रूप हो जाता है।

बिना पाई के व्यजनो के सम्बन्ध मे प्रमुख रूप से निम्नाङ्कित बातें याद रखने की है—

१ 'र' व्यञ्जन के ॓ (प्रात), ॑ (गर्मी) और ॖ (ट्रेन) तीन अन्य रूप भी मिलते हैं। इन चारो रूपो में र, ॓ (प्रात) ॖ (ट्रेन) ये तीन तो 'अ' स्वर से मिले हुए रूप हे। अर्थात् र, ॓ और ॖ में कोई अन्तर नही है। तीनो ही र्+अ हे। चौथा रूप ॑ आधा या स्वर-विहीन है। दूसरे शब्दो मे ॑ रूप र् का ही दूसरा रूप है और ॓ ॖ र के दूसरे रूप हैं। क्रम, ग्राम, या ट्रेन, ड्रेस में प्राय लोग समझते हे कि 'र' आधा है, पर यथार्थतः इनमें क, ग, ट, ड आधे या स्वर-विहीन हे और 'र' पूरा (अ स्वर से युक्त) है। इस सम्बन्ध में कुछ बातें ध्यान देने की हैं—

(क) 'र' के इन तीन रूपो (र, ॓, ॖ) में जहां र को किसी स्वर के साथ (पूरा) आना हो तो 'र' रूप आयगा। जैसे रस, (र्+अ+स), राम (र्+आ+म), रीत (र्+ई+त)।

(ख) जहाँ 'र' को पूरा आना हो, पर उसके पूर्व क, ख, ग, घ, च, ज, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, व, श, ष, स तथा ह को आधे आना हो र का ॓ रूप प्रयुक्त होगा। जैसे—

क्र, ख्र, ग्र, त्र (या त्र), द्र, भ्र, म्र, व्र, स्र या ह्र आदि।

'श' के साथ इसका रूप कुछ विचित्र हो जाता है—

श्+र=श्र

(ग) जहाँ 'र' को पूरा आना हो, पर उसके पूर्व छ, ट, ठ, ड, ढ व्यञ्जन आधे या स्वर-विहीन हो वहाँ ये व्यञ्जन पूरे रहेगे और 'र' का ॖ रूप प्रयुक्त होगा। जैसे छ्र, ट्र, ड्र आदि।

(घ) आधे 'र्' के लिए ` (इसे रेफ कहते हैं) का प्रयोग होता है जैसे र् + म = र्म (गर्मी)। किसी व्यजन के पूर्व बिना स्वर का 'र' आवे तो यही रूप होता है।

२ 'क' को यदि 'क' से मिलाना हो तो नीचे (बिना शिरो-रेखा के) या बगल मे मिलाते हैं—

क्क या क्क

अन्य व्यञ्जनो से मिलाने के लिए 'क' के पीछे लटकी टेढी लकीर को छोटी करके मिलाते हैं जैसे—रक्खा, पक्व, क्या आदि। 'क' को त, म, र और ष से मिलाने पर प्राय रूप नया हो जाता है—

क् + त = क्त

क् + म = क्म

क् + ष = क्ष या क्ष

क् + र = क्र या क्र

३ ङ, छ, झ, ट, ठ, ड, ढ, प्राय सयोग मे भी पूरे लिखे जाते हैं। केवल हल् का चिह्न लगाकर इन्हे आधा कर लेते हैं। जैसे—वाङ्मय, उच्छ्वास, टट्ट। 'ङ्' को क, ग मे मिलाने के लिए कभी-कभी क, ग को ङ के नीचे भी लिखते हैं। जैसे—अङ्क, पङ्ग। ट ठ ड ढ को एक-दूसरे के साथ मिलाना होता है तो अन्त का व्यञ्जन पूर्व व्यञ्जन के नीचे बिना शिरो-रेखा के लिखा जाता है। 'य' के साथ मिलाने के लिए 'य' को तोडकर मिलाते हैं। जैसे—ट् + य = ट्य।

४ 'फ' को मिलाने के लिए 'क' की तरह आगे की लकीर को छोटी कर लेते हैं। जैसे—फ्त, फ्र या फ्म आदि।

५. 'द' के प्रधान मिले रूप इस प्रकार है—

द् + घ = द्घ या द्घ

द् + द = द्द

द् + ध = द्ध

द् + म = द्म

द् + य = द्य

द् + व = द्व

(६) 'ह्' का 'र' के साथ योग का रूप (ह्र) ऊपर दिखाया गया है। शेष प्रचलित रूप ये है—

ह् + न = ह्न

ह् + ल = ह्ल

ह् + व = ह्व

ह् + म = ह्म

ह् + य = ह्य

कुछ लिपि-चिह्न दो रूपो में भी मिलते है । इनमे प्रमुख ये है—

अ या अ

आ या आ

झ या झ

ण या ण

क्ष या क्ष

त्र या त्र

क्र या क्र

ज्ञ या ज्ञ

क्त या क्त

उपर्युक्त चिह्नो के अतिरिक्त एक ँ (चन्द्र विन्दु) चिह्न का भी हिन्दी लिखने मे प्रयोग होता है। जब किसी स्वर या व्यञ्जन के उच्चारण मे मुख के अतिरिक्त नाक की भी सहायता ली जाती है तो इसे उसके ऊपर लिखते है। जैसे—कँ, अँ, आँ आदि। प्रयोग की दृष्टि से यह भी स्मरणीय है कि यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो चन्द्रविन्दु के स्थान पर भी अनुस्वार या बिन्दु का ही प्रयोग होता है। जैसे 'सोँठ' के स्थान पर 'सोंठ' या 'सेँक' के स्थान पर 'सेंक'।

ऋ, ङ्, ञ्, ण्, न्, म्, —, ष्, क्ष्, ज्ञ्, ड, ढ, क, ख, ग, ज और फ के प्रयोग के विषय में निम्नाकित बाते ध्यान देने की है—

१ ङ् का प्रयोग क, ख, ग, घ के पूर्व ही होता है। जैसे—अङ्क पङ्ख, अङ्ग, कङ्घी। पर अब ऐसे स्थानो पर ङ् का प्रयोग न करके — का ही प्रयोग किया जा रहा है। जैसे—अंक, पंख, अंग, कंघी। 'पराङ्मुख' और 'वाङ्मय' इन दोनो शब्दो मे अपवाद-स्वरूप 'ङ्' का दूसरे प्रकार का प्रयोग मिलता है। यहाँ — का प्रयोग नही किया जा सकता।

२ ञ् का प्रयोग हिन्दी मे प्राय नही हो रहा है। यो च, छ, ज, झ के पूर्व इसके प्रयोग का नियम है। जैसे—अञ्चल, पञ्छी, अञ्जन तथा झञ्झट। पर, इन स्थानो पर अब — का प्रयोग होता है। जैसे अंचल, पंछी, अंजन, झंझट।

३ ण का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दो मे होता है। जैसे—गण, गणना आदि। ण् का प्रयोग ट, ठ, ड, ढ के पूर्व करने का नियम है। जैसे—घण्टा, अण्डा तथा ठण्डा आदि। पर, अब इसके

स्थान पर प्राय — का ही प्रयोग होता है। जैसे–घटा-अडा तथा ठंडा आदि।

४ 'न्' का प्रयोग त, थ, द, ध, के पूर्व करने का नियम है। जैसे–सन्त, पन्थ, अन्दाज़ और अन्धा। पर, अब इसके स्थान पर — का प्रयोग भी शुद्ध माना जाता है। जैसे–सत, पथ, अंदाज और अधा। 'न' का प्रयोग सभी प्रकार के शब्दो मे होता है।

५ 'म्' का प्रयोग केवल प, फ, ब, भ, के पूर्व करने का नियम है। जैसे–पम्प, अम्बु। पर, अब इसके स्थान पर ङ, ञ, ण, न की भांति — का भी प्रयोग शुद्ध माना जाता है। जैसे–पप, अबु। 'म' का प्रयोग सभी प्रकार के शब्दो में होता है।

६ ऋ, ष, क्ष, ज्ञ का प्रयोग केवल सस्कृत शब्दो में होता है। जैसे–ऋण, शेष, शिक्षा, ज्ञान।

७ क़, ख़, ग़, ज़, फ़ का प्रयोग केवल अरबी-फारसी-तुर्की शब्दो में होता है। जैसे–क़ानून, खबर, गरीब, ज़हर, फौरन। ज़ और फ़ अग्रेजी शब्दो में भी प्रयुक्त होते है। जैसे–गज़ट आफिस।

८ ङ, ञ, ण, — ड, ढ शब्दो के आरम्भ मे कभी नही आते।

९ —का प्रयोग क, च, ट, त, प, आदि के अतिरिक्त श, स, ह के पूर्व भी होता है। जैसे–हस, अश, सिह इत्यादि।

३. ध्वनियों का वर्गीकरण और उच्चारण

ध्वनियाँ दो प्रकार की मानी जाती है—१ स्वर, २ व्यञ्जन 'स्वर' उन ध्वनियो को कहते है, जिनके उच्चारण मे मुँह को न तो बिलकुल बन्द (जैसे 'क' या 'प' के उच्चारण में) करते है और न इतना सँकरा करते है कि हवा रगड खाकर (जैसे 'स' 'श' के उच्चारण मे) निकले। इसके उलटे **'व्यञ्जन'** के उच्चारण मे मुँह को या तो बन्द करके फिर खोलते है या इतना सँकरा कर लेते है कि हवा रगड खाकर निकलती है।

(क) स्वर

स्वर—दो प्रकार के होते है—१ **मूल**, २ **सयुक्त**। जो स्वर स्वरो के मेल मे न बने हो **मूल** स्वर कहलाते है, और जो दो स्वरो के मेल से बने हो वे **सयुक्त** स्वर। हिन्दी के मूल और सयुक्त स्वर ये है—

मूल स्वर—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ

सयुक्त स्वर—ऐ (अ+ए), औ (अ+ओ)

कुछ स्वरो के उच्चारण म देर लगती है और कुछ का उच्चारण शीघ्रता से हो जाता है। इस दृष्टि से भी स्वरो के

दो भेद है—१ ह्रस्व, २ दीर्घ। ह्रस्व स्वरो के उच्चारण में थोडा समय लगता है। दीर्घ स्वरो के उच्चारण में अधिक। हिन्दी के ह्रस्व और दीर्घ स्वर ये है—

ह्रस्व स्वर—अ[1], इ, उ, ऋ

दीर्घ स्वर—आ[2], ई, ऊ, ए[3], ऐ, ओ[3], औ

किसी स्वर का उच्चारण करने मे जीभ का कौन-सा भाग उठता है, इस आधार पर स्वरो के अग्र, मध्य और पश्च तीन भेद किये जाते है। हिन्दी में 'इ,' 'ई,' 'ए' अग्र स्वर है, क्योकि इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है। 'अ' मध्य स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोडा-सा उठता है। 'उ,' 'ऊ,' 'ओ' और 'आ' के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है, अतः ये पश्च स्वर है।

'ऐ', 'औ' और 'ऋ' के उच्चारण कुछ भिन्न है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है 'ऐ' स्वर 'अ' और 'ए' का सयुक्त रूप है, अतएव

---

१ हिन्दी में 'अ' का एक और छोटा रूप भी व्यवहृत होता है। 'नौकर' शब्द में 'क' का 'अ' सामान्य 'अ' से छोटा है। यदि 'अ' ह्रस्व है तो इसे ह्रस्वार्द्ध कहा जा सकता है।

२. बहुत-से अंग्रेजी शब्दो (कॉलिज, डॉक्टर) में एक ऐसे 'आ' का व्यवहार होता है, जिसके उच्चारण में ओठ को गोला करना पडता है। इसे ऑ' लिखा जा सकता है।

३ 'ए' और 'ओ' के भी ह्रस्व रूप (एक्का, ओखली) हिन्दी में बोले जाते है।

इन ध्वनियो को लिखने में प्राय अभी अलग चिह्न से लिखने की परम्परा नही है। इसलिए यहाँ इन्हें स्थान नहीं दिया गया है।

इसके उच्चारण मे जीभ पहले 'अ' का उच्चारण करके तुरत 'ए' का उच्चारण करती है। जल्दी के कारण ही अ और ए दोनो ही अपने सामान्य रूप से कुछ ह्रस्व रूप मे यहाँ उच्चरित होते है। 'औ' स्वर 'अ' और 'ओ' का सयुक्त रूप है, अत इसके उच्चारण मे जीभ पहले 'अ' और फिर 'ओ' का उच्चारण करती है। 'ऐ' की भाँति ही 'औ' के उच्चारण मे भी 'अ' और 'ओ' का रूप कुछ ह्रस्व हो जाता है।

'ऋ' का शुद्ध उच्चारण आज होता ही नही। इसके स्थान पर हम लोग 'रि' कहते है। इस प्रकार केवल लिखने के लिए 'ऋण' लिखा जाता है। बोलने मे हम लोग 'रिण' बोलते है। ऐसी स्थिति में 'ऋ' को स्वर मानना ठीक नही है। यह 'र्' व्यञ्जन और 'इ' स्वर का सयुक्त मात्र रूप है।

ऊपर स्वरो का जो विवरण दिया गया है वह यह मानकर कि स्वर के उच्चारण मे हवा सिर्फ मुंह से निकलती है। इन स्वरो मे हवा नाक से नही निकलती, अत इन्हे **निरनुनासिक** कहते है। स्वरो का दूसरा रूप **अनुनासिक** भी हो सकता है, जिनके उच्चारण मे हवा नाक से भी निकलती है। जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है, अनुनासिक स्वरो को लिखने के लिए चन्द्रविन्दु (—) या यदि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो तो विन्दु (—) का प्रयोग करते है—

अँ, आँ, इँ, ईँ, उँ, ऊ, एँ, ऐ, ओ, औ

(ख) व्यञ्जन

व्यञ्जनो के वर्गीकरण तथा उच्चारण पर विचार करने के

पूर्व बोलने के सम्बन्ध से कुछ सामान्य बातें जान लेनी आवश्यक है।

जब हम बोलना चाहते है तो हवा को फेफडे से बाहर निकालते है। ऊपर आने पर हवा गले में एक प्रकार के सदूक से होकर गुज़रती है, जिसे स्वर-यन्त्र कहते हे। जब स्वर-यन्त्र का मुख बन्द रहता है तो हवा को रगड खाते हुए निकलना पडता है। इस प्रकार की काँपती हुई हवा से उत्पन्न ध्वनि **घोष**[1] कही जाती है। जब स्वर-यन्त्र का मुख बन्द नही रहता तो हवा सरलता से निकल जाती है। इस प्रकार की हवा से उच्चरित ध्वनियाँ **अघोष** कही जाती हे। यही एक और भी बात ध्यान देन की है, कभी तो हम कम हवा निकालते हैं और कभी अधिक। हवा को सस्कृत मे 'प्राण' कहते हे। इसी आधार पर कम हवा से उच्चरित ध्वनि **'अल्पप्राण'** और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि **'महाप्राण'** कही जाती है।[2] हवा स्वर-यन्त्र से ऊपर चलकर इसके पास आती है और यहाँ से कभी तो केवल मुंह की ओर जाती है, कभी केवल नाक की ओर और कभी दोनो ओर। किसी ध्वनि का उच्चारण जब मुंह और नाक दोनो से हवा निकालकर होता है तो उसे **'अनुनासिक'** और यदि केवल मुंह से निकालकर होता है तो उसे **'निरनुनासिक'** कहते हे। हवा कण्ठ से होती हुई मुँह मे आती है तो उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रयत्न किये जाते हे। हिन्दी व्यञ्जनो की दृष्टि से ये

---

१ सभी स्वर, ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, ड़, ढ़ 'घोष' है। शेष व्यजन 'अघोष' है।

२ ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ 'महाप्राण' है और शेष व्यजन 'अल्पप्राण'।

प्रयत्न ८ प्रकार के है—

स्पर्श— स्पर्श का अर्थ है 'छूना'। किसी एक अग का दूसरे से स्पर्श कराते है। कवर्ग के उच्चारण मे जीभ के पिछले भाग का कोमल तालु (जो कण्ठ के पास होता है) से स्पर्श कराया जाता है। इसी प्रकार टवर्ग के उच्चारण में जीभ की नोक उलटकर तालु के मध्यभाग या मूर्द्धा से, तवर्ग मे 'न' को छोडकर शेष ध्वनियो के उच्चारण मे जीभ के अगले भाग को ऊपर के दाँतो से, पवर्ग के उच्चारण मे दोनो ओठो को और 'क' के उच्चारण में जीभ की जड का कोमल तालु के पिछले भाग से स्पर्श कराते है। ये सभी ध्वनियाँ इसीलिए स्पर्श कही जाती है। इनके उच्चारण मे स्पर्श कराने के बाद दोनो अग हटा लिए जाते है और तब ध्वनि निकलती है।

स्पर्श-सघर्ष— इसमे स्पर्श के साथ ही हटाने समय सघर्ष या रगड भी करते है। 'च', 'छ', 'ज', 'झ' के उच्चारण मे जीभ का अगला ऊपरी हिस्सा कठोर तालु का स्पर्श और सघर्ष करता है। इसी आधार पर इन ध्वनियो को **स्पर्श सघर्षी** कहते है।

अनुनासिक—इसमे हवा मुँह के साथ-साथ नाक से भी निकलती है। म,' 'न', 'ण', 'ञ', 'ङ' ध्वनियाँ ऐसी ही है। इनमे 'म,' 'ण,' ङ' के उच्चारण-स्थान का सकेत किया जा चुका है। 'न' के उच्चारण के लिए जीभ का अगला भाग मसूडे को छूता है। इसीलिए इसे दन्त्य कहना गलत है। यह वर्त्स्य (सस्कृत मे 'वर्त्स' मसूडे को कहते है) है। 'ञ' के उच्चारण मे जीभ का अगला ऊपरी भाग कठोर तालु को छूता है। ये सभी ध्वनियाँ **अनुनासिक ध्वनियाँ** कहलाती है।

पार्श्विक—'पार्श्विक' का अर्थ है 'बग़ल का'। इसमें जीभ तालु को छूती है पर दोनो या एक बगल मे रास्ता खुला रहता है और हवा निकलती रहती है। 'प', 'क' आदि उच्चारण की भाँति वायु-मार्ग पूर्णत बन्द नही होता। 'ल' के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूडे के पास इसी प्रकार की क्रिया करता है। इसी आधार पर 'ल' को **पार्श्विक** ध्वनि कहते है।

लुंठित—'लुंठित' का अर्थ है बार-बार हिलाया हुआ। हिन्दी की 'र' ध्वनि के उच्चारण में जीभ की नोक को मसूड़े के पास दो-तीन बार हिलाते है। इसी कारण इस ध्वनि का नाम **लुंठित** है।

उत्क्षिप्त—'उत्क्षिप्त' का अर्थ है फेंका हुआ। कुछ ध्वनियो में कुछ अग एक स्थान से दूसरे की ओर फेंके जाते है। 'ड', 'ढ' इसी प्रकार की ध्वनियाँ है। इनमे जीभ की नोक उलटकर मूर्द्धा से आगे की ओर फेंकी जाती है।

सघर्ष—कभी-कभी दो अगो को इतना पास ला देते है कि मुख मार्ग सँकरा हो जाने के कारण हवा घर्ष करती हुई या रगडती हुई निकलती है। 'फ्', 'व्', 'स्', 'ज्', 'श्', 'ख्', 'ग्,' 'ह्' ध्वनियाँ इसी प्रकार की है। 'फ्' और 'व्' के उच्चारण मे नीचे के ओठ और ऊपर के दाँत के बीच, 'स्', 'ज', मे जीभ के अगला भाग और मसूडे के बीच; श में जीभ के अगला भाग और कठोर तालु के बीच, 'ख', 'ग' में जीभ की जड और कोमल तालु के बीच तथा 'ह' मे स्वर-यन्त्र के मुख के दोनो परदो या ढक्कनो के बीच हवा रगड खाती हुई निकलती है।

अर्द्धस्वरीय प्रयास—इसमे दो अग समीप आते है पर

इतने अधिक नही कि हवा रगड खाकर निकले । 'य्', 'व्' के उच्चारण में ऐसा ही होता है। 'य्' के उच्चारण मे जीभ का अगला ऊपरी भाग कठोर तालु के पास जाता है और 'व्' के उच्चारण मे दोनो ओठ समीप आते है, साथ ही जीभ का पिछला भाग और कोमल तालु भी ।

ये प्रयत्न की दृष्टि से भेद थे। प्रयत्नो के भेद के साथ हमने यह भी देखा कि किसी ध्वनि का उच्चारण किसी स्थान से होता है और किसी का किसी से। हिन्दी व्यञ्जनो के उच्चारण की दृष्टि से ये उच्चारण-स्थान, १ स्वर-यन्त्र मुख, २ जिह्वामूल, ३ कोमल तालु, ४ मूर्द्धा, ५ कठोर तालु या तालु, ६ वर्त्स (मसूडे), ७ दन्त, ८ दन्त और ओठ तथा ९ दोनो ओठ है, और इसी आधार पर व्यञ्जन ९ प्रकार (स्वरयन्त्र मुखी, जिह्वामूलीय, कोमल तालव्य) इनका पुराना नाम कण्ठ्य था (मूर्द्धन्य, कठोर तालव्य या तालव्य, वर्त्स्य, दन्त्य, दन्त्योष्ठ्य, द्वयोष्ठ्य) के होते हैं।

ऊपर बताई गई बातो के आधार पर हिन्दी व्यञ्जनो का वर्गीकरण सक्षेप मे चार्ट मे दिये गए ढग से किया जा सकता है। इससे इनके उच्चारण का ढग भी स्पष्ट हो जाता है।

इस चार्ट में 'व' दो है। यथार्थत हिन्दी मे दो 'व' का प्रयोग होता है। एक का उच्चारण दोनो ओठो मे होता है और दूसरे का ऊपर के दांत और नीचे के ओठ मे । ज्वर, स्वर, क्वारा आदि शब्दो के 'व' का उच्चारण दोनो ओठो मे होता है और वेदना, चावन आदि का व' ऊपर के दांत और नीचे के ओठ से बोला जाता है। विसर्ग 'ह' के साथ अघोष के स्थान मे दिखाया गया है। विसर्ग ह' का ही अघोष-रूप है, चार्ट मे अनुस्वार नही

हिन्दी व्यञ्जन

प्रयत्न	स्थान								
	द्वयोष्ठ्य	दन्त्योष्ठ्य	दंन्य	वर्त्स्य	तालव्य या कठोर तालव्य	मूर्द्धन्य	कोमल तालव्य	जिह्वामूलीय	स्वरयन्त्रमुखी
स्पर्श	प् फ् ब् भ्		त् थ् द् ध्			ट् ठ् ड् ढ्	क् ख् ग् घ्	क़्	
स्पर्श-संघर्षी					च् छ् ज् झ्				
अनुनासिक	म्			न्	ञ्	ण्	ङ्		
पार्श्विक				ल्					
लुंठित				र्					
उत्क्षिप्त						ड़् ढ़्			
संघर्षी		फ़् व्		स् ज़्	श् (ष्)			ख़् ग़्	ह्
अर्द्धस्वर	व्				य्				

टिप्पणी—स्पर्श तथा स्पर्श-संघर्षी मे ऊपर की पंक्तियाँ अघोष और नीचे की घोष या सघोष हैं। अनुनासिक, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त और अर्द्धस्वर के खानों की सभी ध्वनियाँ घोष हैं। संघर्षी में हर खाने की पहली ध्वनि अघोष और दूसरी घोष है।

४. सन्धि

दो शब्द जब एक-दूसरे के समीप आते है, तो पहले शब्द की अन्तिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिल जाती है। यह मिलना ही सन्धि है। उदाहरण के लिए हिन्दी के 'डाक' और 'घर' दो शब्द लिये जा सकते है। दोनो मिलकर 'डाग्घर' हो जाते है। यहां 'क' और 'घ' मिलकर 'ग्घ' हो गए। इसी प्रकार 'राम' और 'अनुज' मिलकर 'रामानुज' हो जाते है। इसमे 'म' और 'अ' मिलकर 'मा' हो गए है।

दो शब्द जब मिलते है तो सन्धि के कारण हुए परिवर्तन प्राय तीन प्रकार के होते है।

१ कभी तो किसी ध्वनि का लोप हो जाता है और लोप के बाद दोनो शब्द ज्यो-के-त्यो मिल जाते है। जैसे 'उस्+ही' मे 'ह्' का लोप हो जाता है और लोप के बाद 'ही' मे 'ई' ध्वनि शेष रह जाती है। यह शेष ध्वनि ही 'उस्' से मिलकर 'उसी' हो जाती है। 'उसी' मे दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का लोप हुआ है। कभी कभी पहले शब्द की अन्तिम ध्वनि का भी लोप हो

जाता है। जैसे—'पडितजी' का 'पडिज्जी'[1]। कभी-कभी एक से अधिक ध्वनि का भी लोप हो जाता है। जैसे 'मास्टर+साहव' का 'मास्साहव'।

२ कभी-कभी सन्धि में प्रथम शव्द की अन्तिम ध्वनि तथा दूसरे की प्रथम ध्वनि, दोनो मिलकर एक नया रूप धारण कर लेती है। जैसे—रमा+ईश=रमेश।

३ कभी-कभी दोनो मिलते है, पर दोनो में केवल एक ध्वनि अपना रूप वदलती है और दूसरी ज्यो-की-त्यो मिल जाती है। जैसे—प्रति+एक=प्रत्येक, मार्+डाला=माड्-डाला तथा मन+हर=मनोहर।

सन्धियाँ यो तो सभी भाषाओ में मिलती है, पर सस्कृत की यह एक विशेषता मानी जाती है। हिन्दी मे भी प्राय' सस्कृत के ही सन्धि के नियम लागू होते है। इसी कारण हिन्दी व्याकरणो में हिन्दी मे सन्धि के नाम पर सस्कृत की सन्धियाँ ही प्राय' दे दी जाती है। पर इसका यह आशय नही कि हिन्दी की अपनी सन्धियाँ है ही नही। है अवश्य, पर उनका अभी तक ठीक से अध्ययन नही हुआ है। यहाँ हिन्दी के सामान्य विद्यार्थी के लिए अपेक्षित सस्कृत और हिन्दी के सन्धि के नियम अलग-अलग दिये जा रहे है।

संस्कृत सन्धि

सस्कृत मे सन्धियाँ तीन प्रकार की मानी गई है—

१ स्वर सन्धि—इसमें मिलने वाली दोनो ध्वनियाँ स्वर होती है। जैसे कवि+ईश्वर=कवीश्वर।

---

१ बोलने मे 'पडिज्जी' का ही प्रयोग होता है।

२. व्यञ्जन सन्धि——इसमे पहली ध्वनि व्यञ्जन होती है और दूसरी चाहे स्वर या व्यञ्जन। जैसे जगत् + ईश = जगदीश, जगत् + नाथ = जगन्नाथ।

३ विसर्ग सन्धि——इसमे पहली ध्वनि विसर्ग होती है और दूसरी स्वर या व्यजन। जैसे दु + आचार = दुराचार, मन + हर = मनोहर।

सस्कृत भाषा में सन्धि के बहुत-से रूप मिलते है। यहाँ केवल प्रमुख रूप, जो हिन्दी में प्रचलित है, दिये जा रहे है।

स्वर सन्धि

१ यदि एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ-साथ आवे तो दोनो स्वरो के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। (सस्कृत में 'अ' का 'आ', 'इ' का 'ई', 'उ' का 'ऊ', तथा 'ऋ' का ॠ' दीर्घ रूप माने जाते है। हिन्दी मे इनमे केवल ह्रस्वत्व और दीर्घत्व का ही अन्तर नही है।)

अ + अ = आ (परम + अर्थ = परमार्थ)
अ + आ = आ (रत्न + आकर = रत्नाकर)
आ + अ = आ (विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास)
आ + आ = आ (महा + आशय = महाशय)

इसी प्रकार इ-ई, उ-ऊ, ऋ-ॠ की भी सन्धि होती है। दो उदाहरण है——

गिरि + ईश = गिरीश। जानकी + ईश = जानकीश।

२ 'अ' या 'आ' के आगे 'इ' या 'ई' हो तो दोनो मिलकर 'ए', 'उ' या 'ऊ' हो तो दोनो के स्थान पर 'ओ', और 'ऋ' हो तो 'अर्' हो जाता है। इसे गुण सन्धि कहते है।

सुर+ईश=सुरेश । रमा+ईश=रमेश । सूर्य+उदय =सूर्योदय। महा+उत्सव=महोत्सव। महा+ऋषि=महर्षि ।

३ 'अ' या 'आ' के बाद 'ए' या 'ऐ' हो तो दोनो के स्थान पर 'ऐ' और 'ओ' या 'औ' हो तो दोनो के स्थान पर 'औ' हो जाता है। इसे वृद्धि सन्धि कहते है।

मत+ऐक्य=मतैक्य । सदा+एव=सदैव । महा+ औषधि=महौषधि ।

४ 'इ' या 'ई' के आगे यदि इन दोनो के अतिरिक्त कोई और स्वर हो तो इनके स्थान पर 'य्', 'उ' या 'ऊ' के आगे कोई और स्वर आवे तो इनके स्थान पर 'व्'; और 'ऋ' के आगे कोई और स्वर आवे तो 'ऋ' के स्थान पर 'र्' हो जाता है।

यदि+अपि=यद्यपि । इति+आदि=इत्यादि । प्रति+ एक=प्रत्येक । नि+ऊन=न्यून । सु+आगत = स्वागत । पितृ+आज्ञा=पित्राज्ञा।

५ ए, ऐ, ओ, औ के वाद यदि कोई भिन्न स्वर आवे तो इनके स्थान पर क्रम से 'अय्', 'आय्', 'अव्', 'आव्' हो जाते है। ने+अन=नयन । गै+अन=गायन। पौ+अक= पावक। नौ+इक=नाविक।

व्यञ्जन सन्धि

१ क्, च्, ट्, प् के वाद अनुनासिक छोडकर कोई दूसरी घोष ध्वनि (स्वर या व्यञ्जन) हो तो इनके स्थान पर क्रम से ग्, ज् ड्, ब् हो जाते हैं।

दिक्+गज=दिग्गज। अच्+अन्त= अजन्त। षट्+ आनन=षडानन । अप्+ज=अब्ज ।

२ क्, च्, ट्, त्, प् के बाद यदि कोई अनुनासिक व्यञ्जन हो तो इनके स्थान पर क्रम से ङ्, ञ्, ण्, न्, म् हो जाते हैं। वाक्+मय=वाङ्मय। जगत्+नाथ=जगन्नाथ।

३ 'त्' के बाद यदि ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या कोई स्वर आवे तो 'त्' का 'द्' हो जाता है।

चित्+आनद = चिदानद। जगत्+ईश = जगदीश। उत्+गम=उद्गम। तत्+भव=तद्भव।

४ त् या द् के बाद 'च' या 'छ' हो तो 'त्' या 'द्' के स्थान पर च्, ज या झ हो तो ज्, ट या ठ हो तो ट्, ड या ढ हो तो ड्, और ल हो तो ल् हो जाता है।

उत्+चारण=उच्चारण। सत्+जन=सज्जन। तत्+लीन=तल्लीन।

विसर्ग सन्धि

१ विसर्ग के पहले यदि 'अ' हो और बाद मे 'अ' या कोई घोष व्यजन हो तो विसर्ग और उसके पहले का 'अ', दोनो मिलकर 'ओ' हो जाते है और बाद वाले 'अ' का (यदि हो) लोप हो जाता है।

अध गति=अधोगति। मन योग=मनोयोग।

मन अनुकूल=मनोनुकूल।

२ विसर्ग के बाद यदि 'श', 'ष' या 'स' हो तो दोनो ज्यो-के-त्यो रहेगे या विसर्ग का लोप हो जायगा और बाद वाले व्यञ्जन का द्वित्व हो जायगा।

दु शासन = दु शासन या दुश्शासन।

नि सन्देह = नि सन्देह या निस्सन्देह।

३. यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोडकर कोई अन्य स्वर हो और आगे कोई घोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर 'र्' हो जाता है।

निः + आशा = निराशा
दुः + उपयोग = दुरुपयोग
निः + गुण = निर्गुण

हिन्दी सन्धि

जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है हिन्दी सन्धियो का अभी तक वैज्ञानिक और पूर्ण अध्ययन नही हो सका है। यहां नमूने के तौर पर कुछ उदाहरण-मात्र दिये जा रहे है।

१ सन्धि के कारण एक ध्वनि का परिवर्तित हो जाना।

क् + घ = ग्घ (डाक् + घर = डाग्घर)
ध + स = स्स (आध् + सेर = आस्सेर)
र् + ल = ल्ल (चोर + ले गया = चोल्ले गया)
र् + ड = ड्ड (मार + डालो = माड्डालो)
च + ज = ज्ज (पहुँच + जाऊँगा = पहुँज्जाऊँगा)

२ सन्धि के कारण दोनो ध्वनियो का मिलकर एक हो जाना।

सब् + ही = सभी।
अब् + ही = अभी।
कब् + ही = कभी।
जब् + ही = जभी।

३. एक ध्वनि का लुप्त हो जाना।

यह् + ही = यही।

उस् + ही = उसी।

इस + ही = इसी।

४ सन्धि के कारण कुछ विचित्र परिवर्तन।

मूसल　धार = मूसलाधार।

यहाँ　ही = यहीं।

कहाँ　ही = कहीं।

जहाँ　ही = जहीं।

वहाँ　ही = वहीं।

ले　लो = ल्यो।

दे　ऊँ = दूँ।

दे　दो = द्यो।

खण्ड दो

शब्द-विचार

शब्द-विचार

पीछे ध्वनि पर विचार किया गया है। कभी एक ध्वनि से और कभी एक से अधिक ध्वनियो के योग से शब्द बनते है। जैसे 'क', 'मै', 'किघ', 'आदमी', 'डाथ' तथा 'घोडा' आदि।

अर्थ की दृष्टि से यदि ऊपर के उदाहरणो पर दृष्टि दौड़ाएँ तो हमें दो प्रकार के शब्द मिलेंगे। 'क' एक अक्षर का नाम है। 'मै' का अपने लिए प्रयोग होता है। इसी प्रकार 'आदमी' और 'घोड़ा' शब्द भी कुछ अर्थ रखते है। दूसरी ओर 'किघ' और 'डाथ' ऐसे शब्द है जिनका कोई अर्थ नही है, या जो निरर्थक है। तो शब्द दो प्रकार के हुए—सार्थक और निरर्थक। 'सार्थक' उन शब्दो को कहते है, जिनका कुछ अर्थ हो, जैसे घोडा, आदमी, पुस्तक आदि। 'निरर्थक' उन शब्दो को कहते है, जिनका कोई अर्थ न हो, जैसे किघ, डित्थ, डाथ आदि।

भाषा या व्याकरण में जब हम 'शब्द' का प्रयोग करते है, तो उसका अर्थ सार्थक शब्द ही होता है। इन सार्थक शब्दो द्वारा ही भाषा में हम अपने विचारो को प्रकट करते है। यदि शब्द निरर्थक होगे तो उनसे किसी भाव का बोध नही होगा। इसीलिए आगे जब

भी हम शब्द का प्रयोग करेंगे, उसका अर्थ सार्थक शब्द होगा।

सार्थक शब्द (या शब्द) के कई दृष्टियो से भेद किये जा सकते हैं, जिनमे प्रमुख निम्नांकित है—

१ उत्पत्ति की दृष्टि मे—अर्थात् कोई शब्द अपने मूल रूप मे कहाँ से आया है। उदाहरण के लिए हिन्दी के मनुष्य, कन्हैया, किताब, मास्टर और पेट शब्द लिये जा सकते हैं। इनमे 'मनुष्य' शब्द सस्कृत का है, 'कन्हैया' सस्कृत 'कृष्ण' शब्द का बिगडा हुआ रूप है, 'किताब' अरबी है, 'मास्टर' अग्रेजी है और 'पेट' देशी है।

२ बनावट की दृष्टि से—अर्थात् कुछ शब्द दो शब्दो से मिलकर बने होते है, जैसे—घोडागाडी, लडकपन, या बद-सूरत। और कुछ शब्दो मे इस प्रकार का जोड या योग नही होता, जैसे—सिर, कुर्सी, शीशा आदि।

३ परिवर्तन या विकार की दृष्टि से—अर्थात् कुछ शब्दो मे तो परिवर्तन या विकार होता है, जैसे—'लडका' शब्द लडके, लडको, लडकी आदि बनाया जा सकता है। पर कुछ शब्दो मे परिवर्तन या विकार नही होता, जैसे—पर, अचानक, बिना आदि। ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त होगे इसी रूप मे रहेगे। इन दोनो प्रकार के शब्दो को **विकारी** (जिनमे विकार या परि-वर्तन हो) तथा **अविकारी** (जिनमे विकार या परिवर्तन न हो) कहते है। अविकारी शब्दो को ही **अव्यय** (जिनमे व्यय न हो, या जो परिवर्तित न हो) भी कहा जाता है।

शब्दो के विकारी और अविकारी इन दोनो भेदो के और भी कई भेद किये जा सकते है—

विकारी शब्द—१ संज्ञा, २. सर्वनाम, ३. विशेषण, ४. क्रिया ।

अविकारी शब्द—१ क्रियाविशेषण, २ सम्बन्धसूचक, ३ समुच्चयबोधक, ४ विस्मयादिबोधक ।

आगे इन आठो पर विचार किया जायगा । साथ ही, विकारी शब्दो का विकार या परिवर्तन लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के कारण होता है, अत इनका भी विवेचन किया जायगा ।

१. संज्ञा

'सज्ञा' किसी प्राणी, चीज, गुण, काम या भाव आदि के नाम को कहते है। राम, घोडा, चीटी किसी प्राणी या जीव के नाम है, कुर्सी, आटा, दही चीज के नाम है, भलाई, सचाई गुण के नाम है, खाना, लडाई तथा दौडना काम या क्रिया के नाम है, और बचपन, खटाई, मित्रता भाव के नाम है। ये सभी सज्ञा है। दूसरे शब्दो मे इस परिभाषा को और व्यापक बनाते हुए कहा जा सकता है कि 'किसी के भी नाम को सज्ञा कहते है।'

सज्ञा के तीन भेद हैं—

१ **व्यक्तिवाचक सज्ञा**—जो किसी एक का बोध कराए। जैसे राम, चेतक, दिल्ली, यमुना आदि। यहाँ हम देखते है कि 'राम' किसी एक व्यक्ति (दशरथ के पुत्र या कोई अन्य) का नाम है, सभी मनुष्यो का नही। इसी प्रकार 'चेतक' राणा प्रताप के घोडे का नाम है, 'दिल्ली' एक नगर का नाम है और 'यमुना' एक नदी का नाम है।

२ **जातिवाचक सज्ञा**—जो किसी एक पूरी जाति का बोध कराए। ऊपर के उदाहरणो मे हमने देखा कि राम, चेतक,

दिल्ली, यमुना केवल एक का बोध कराते है, अपनी पूरी जाति का नही। इनकी पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द मनुष्य, घोडा, शहर तथा नदी है। ये शब्द जातिवाचक सज्ञा है, क्योकि ये समान रूप वाली एक से अधिक वस्तुओ का या जाति का वोध कराते है।

इस प्रकार किसी जातिवाचक सज्ञा की एक इकाई ही व्यक्तिवाचक सज्ञा है। पर, कभी-कभी व्यक्तिवाचक सज्ञा अपने विशेष गुण या अवगुण के कारण एक से अधिक का वोध कराने लगती है, और उस स्थिति में वह जातिवाचक सज्ञा वन जाती है। उदाहरण के लिए—

सीता = आदर्श पत्नी (घर-घर सीता नही मिल सकती।)

विभीषण = देशद्रोही (विभीषणो के कारण ही हमारा स्वतन्त्रता-आन्दोलन सफल नही हो पाता था।)

हरिश्चन्द्र = सत्यवादी (भारत मे एक समय वह भी था जव घर-घर हरिश्चन्द्र होते थे।)

यहाँ सीता शब्द एक नारी का वोध न कराकर सभी आदर्श पत्नियो का वोध कराता है। इसी प्रकार विभीषण और हरिश्चन्द्र भी सभी देशद्रोहियो और सत्यवादियो का वोव कराते है।

कभी-कभी सज्ञा के भेदो मे दो और प्रकार की संज्ञाओ का उल्लेख मिलता है—

(क) 'समूहवाचक'—जिस नाम या शब्द से अनेक चीज़ों या प्राणियो के समूह का वोध हो, जैसे सेना, भीड़, गुच्छा आदि।

(ख) 'द्रव्यवाचक'— जिस सज्ञा से किसी द्रव्य का बोध

ो; जैसे सोना, चाँदी, अन्न आदि।

यथार्थत सज्ञा के ये दोनो ही रूप जातिवाचक के ही न्तर्गत आते है, क्योकि सेना या सोना भी एक प्रकार मे जाति ो है। पर यो सामान्य जातिवाचक सज्ञाओ मे तथा इनमे कुछ न्तर अवश्य है। समूहवाचक सज्ञाएँ जातिवाचक सज्ञाओ की कसी एक जाति के समूह से बनती है। उदाहरणार्थ मनुष्य ातिवाचक सज्ञा है, पर बहुत से मनुष्यो का एकत्र रूप 'भीड' मूहवाचक है। इसी प्रकार कुञ्जी जातिवाचक है, पर बहुत सी ुञ्जियो का एकत्र रूप 'गुच्छा' समूहवाचक है।

द्रव्यवाचक सज्ञाएँ अन्य जातिवाचक सज्ञाओ से प्रयोग की ृष्टि से कुछ अन्तर रखती है। अन्य जातिवाचक सज्ञाओ के ाथ सख्यावाचक विशेपण का प्रयोग कर सकते है, जैसे एक ादमी, दो बैल, तीन कलम, पर द्रव्यवाचक सज्ञाओ के साथ रिमाणवाचक विशेपण का ही प्रयोग हो सकता है (जैसे कुछ ोना, थोडा पानी), सख्यावाचक का नही। एक सोना, दो चाँदी नही कहा जा सकता।

३ **भाववाचक सज्ञा**—जो किसी गुण, दशा या भाव आदि का बोध कराए, जैसे सुन्दरता, सुख, मित्रता आदि। भाववाचक सज्ञा का अपना अलग अस्तित्व नही होता, यह किसी वस्तु मे रहने वाले धर्म का नाम होती है। सुन्दरता किसी व्यक्ति या वस्तु मे होगी। सुख किसी कार्य या स्थिति मे होगा। मित्रता दो या अधिक व्यक्तियो मे होगी।

भाववाचक सज्ञाएँ कई प्रकार के शब्दो से बनाई जाती है—

(क) जातिवाचक सज्ञा से—गदहा से गदहपन, मनुष्य से

मनुष्यत्व तथा मित्र से मित्रता आदि ।

(ख) विशेषण से—सुन्दर से सुन्दरता, ठडा से ठडक, मीठा से मिठाई तथा पीला से पीलापन आदि ।

(ग) क्रिया से—मारना से मार, छटपटाना से छटपटाहट तथा चलना से चाल आदि ।

(घ) सर्वनाम से—अपना से अपनत्व, अपनपा या अपनापन, अह मे अहकार, मम से ममता या ममत्व तथा आप से आपा आदि ।

सज्ञा के रूप में कभी-कभी व्याकरण के अन्य रूप (विशेषण तथा अव्यय आदि) भी प्रयुक्त होते है, जिनमें विशेषण प्रमुख है, जैसे अच्छो की सगति करो, वडो को प्रणाम करो मे 'अच्छो' और 'वडो' ।

२. लिग

कोई शव्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, यह जिससे
जाना जाय वह लिग है।

हिन्दी मे दो लिग है—

१ पुल्लिग—जो पुरुप जाति का वोध कराए, जैसे लडका
हाथी, पिता।

२ स्त्रीलिग—जो स्त्री जाति का वोध कराए, जैसे
लडकी, हथिनो, माता।

सस्कृत या अग्रेजी आदि वहुत-सी भापाओ मे एक नपुसक
लिग भी होता है, जिसमे निर्जीव पदार्थ रखे जाते है, जैसे फल
पानी, लकडी आदि। किन्तु हिन्दी मे बेजान चीजे भी स्त्रीलिग
या पुल्लिग मे रखी जाती है, जैसे—

पुल्लिग—चावल, गेहूँ, पहाड, सूरज, आकाश, मकान।

स्त्रीलिग—दाल, नदी, पृथ्वी, इमारत।

ऐसी स्थिति मे स्पष्ट है कि हिन्दी मे लिग-भेद का ठीक
ज्ञान व्यवहार से ही जाना जा सकता है। इस सम्वन्ध मे कोई
ऐसा व्यापक नियम नही है, जिसके आधार पर स्त्रीलिग, पुल्लिग

शब्दो को बिना किसी कठिनाई के साफ-साफ पहचाना जा सके। हिन्दी भाषा में गति के लिए लिंग-ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, अत इस सम्बन्ध में कुछ मोटे-मोटे नियम यहाँ दिये जा रहे है।

१ आदमी तथा बड़े जानवरो मे नर पुल्लिग होते है (जैसे पुरुष, लडका, हाथी, घोड़ा, ऊँट, भैसा) और मादा स्त्रीलिग (जैसे स्त्री, लडकी, हथिनी, घोडी, ऊँटनी, भैस)। पर छोटे कीडो और पक्षियो में यह भेद नही है। ऐसे बहुत-से छोटे जीव है जो पुल्लिग है, जैसे साँप, तोता, बाज़, कौवा, गोजर, झीगुर, बिच्छू। दूसरी ओर ऐसे भी बहुत-से छोटे जीव है, जो हिन्दी में स्त्रीलिग ही माने जाते है, जैसे छछूंदर, गौरैया, चील, कोयल, मछली।

२ ऐसी सस्कृत सज्ञाएँ, जिनके अन्त मे

आय (उपाध्याय, समुदाय, अध्याय)
आर (सार, विचार, आकार, उपकार)
आस (विकास, त्रास, प्रयास, ह्रास)
आश (विनाश, प्रकाश)
ख (सुख, दु.ख, लेख, नख, मुख)
ज (पकज, नीरज, सरोज, उद्भिज, पिंडज, जलज, जारज)
ण (पोषण, ककण, भूषण)
त (स्वागत, मत, गीत, गणित)
त्र (पत्र, चित्र, गोत्र, मित्र, पात्र)
त्व (अपनत्व, महत्व, स्वत्व, सतीत्व, व्यक्तित्व)
न (नयन, आगमन, शयन, वमन, दमन)

व (रव, गौरव, लाघव, रौरव)

हो,

ऐसी हिन्दी भाववाचक सज्ञाएँ जिनके अन्त मे

आव (घटाव, बहाव, ताव)

ना (खाना, मरना, जीना, रोना)

पन (बडप्पन, लडकपन, गदहपन)

पा (रँडापा, बुढापा, पुजापा)

हो,

तथा ऐसी आकारात सज्ञाएँ, जिनके अत मे 'इया' (पुडिया, डिबिया, मचिया) न हो (जैसे छाता, पैसा, कपडा, आटा, चमडा) पुल्लिग होती है।

३. ऐसी सस्कृत सज्ञाएँ, जिनके अन्त मे

आ (कृपा, दया, प्रार्थना, वन्दना, सुन्दरता, प्रभुता) या

उ (आयु, मृत्यु, वस्तु, ऋतु)

हो, प्राय स्त्रीलिग होती है। यद्यपि इनके अपवाद भी मिलते है, जैसे मधु, अश्रु, हेतु तथा पिता आदि पुल्लिग है।

४ ऐसी हिन्दी सज्ञाएँ, जिनके अन्त मे

ई (रोटी, बेटी, लडकी, टोपी, उदासी)[1]

या (फुडिया, मलिया, खटिया, मचिया, डिबिया)

त (रात, बात, लात, परात, छत)[2]

ऊ (लू, बालू, गेरू, झाडू)[3]

---

१ पानी, जी, घी, मोती, हाथी, दही अपवाद हैं।

२. भात, खेत, सूत, गात, दांत अपवाद हैं।

३. आडू, आलू, आंसू आदि अपवाद हैं।

ख (ईख,सीख, कांख, साख, राख, कोख)
हो तथा ऐसी भाववाचक हिन्दी सज्ञाएँ, जिनके अन्त में
वट (सजावट, गिरावट, वनावट)
हट (खुजलाहट, चिकनाहट)
ट (झझट)
हो, प्राय स्त्रीलिंग होती है ।

पुल्लिग से स्त्रीलिंग वनाने की रीति

कुछ शब्दो के स्त्रीलिंग तथा पुल्लिग के रूप विलकुल अलग-अलग होते है (जैसे भाई-वहन, माता-पिता, गाय-वैल, नर-मादा, पुरुष-स्त्री, वर-वधू, आदमी-औरत) पर, ऐसे शब्द अधिक है, जिनमे स्त्री-सूचक प्रत्यय जोडकर स्त्रीलिंग रूप वना लिया जाता है । यहाँ प्रधान प्रत्यय तथा उनसे स्त्रीलिग रूप वनाने के प्रधान नियम नीचे दिये जा रहे है—

१. अकारात पुल्लिग सज्ञाओ में 'अ' के स्थान पर 'ई' जोडकर

पुल्लिग	स्त्रीलिंग
पुत्र	पुत्री
दास	दासी
हिरन	हिरनी
नद	नदी

२. आकारान्त पुल्लिग सज्ञाओ में 'आ' के स्थान पर 'ई'

पुल्लिग	स्त्रीलिंग
घोडा	घोडी

३. वचन

शब्द के रूप का वह विधान, जिससे उसके अर्थ मे एक या अनेक का बोध हो, वचन है—

हिन्दी मे दो वचन हैं

१ **एकवचन**—जिससे एक का बोध हो, जैसे लडका, किताब, थाली।

२ **बहुवचन**—जिससे एक से अधिक का बोध होता हो, जैसे लडके, किताबे, थालियाँ।

हिन्दी में आदर के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का रूप रखने का नियम है। उदाहरणार्थ, 'उसका लडका, आया है' और 'गाँधीजी के लडके आये हैं' या 'तू बच्चा है, और 'तुम बच्चे हो' मे लडका-लडके, बच्चा-बच्चे प्रयुक्त हुए हैं। लडके या बच्चे बहुवचन के रूप हैं, पर यहाँ एकवचन हैं और आदरार्थ इस रूप मे रखे गए हैं।

एक वचन से बहु वचन बनाने मे प्राय सज्ञा-शब्दो का रूप बदल जाता है, जैसे 'घोडा' से 'घोडे' या 'लडका' से 'लडके'। पर इसके विरुद्ध कुछ शब्दो के दोनो वचनो मे एक ही रूप होते हैं,

जैसे बालक, चोर। हाँ, कारक-चिह्नों के साथ आने पर इन शब्दो के भी रूप बदल जाते है, जैसे—

	एकवचन	बहुवचन
कारक-चिह्न रहित	बालक गया	बालक गये
कारक-चिह्न सहित	बालक को दो	बालको को दो।

मूलत' एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम कारक-चिह्नो के रहने या न रहने तथा लिंग पर आधारित है।

एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम

(क) कारक-चिह्नों से रहित स्त्रीलिंग शब्द

१ हिन्दी या सस्कृत के अकारान्त (घर, मकान, नर, बालक), इकारान्त (कवि, मुनि), ईकारान्त (भाई, तेली, माली, धोबी), उकारान्त (साधु, अश्रु, गुरु), ऊकारान्त (उल्लू, डाकू, आलू, भालू), एकारान्त (चौबे, दुबे), ओकारान्त (रासो कोदो, भादो), औकारान्त (जौ) तथा सस्कृत के आकारान्त (राजा, देवता), शब्द कारक-चिह्नो से रहित होने पर एक-वचन तथा बहुवचन दोनो में एक-से रहते है, जैसे—

एकवचन	बहुवचन
घर बन रहा है।	घर बन रहे है।
कवि गा रहा है।	कवि गा रहे हैं।
जौ उग रहा है।	जौ उग रहे है।

२ हिन्दी के उन आकारान्त शब्दो में, जो संस्कृत के नहीं है, बहुवचन बनाने में 'आ' के स्थान पर 'ए' कर देते है, जैसे पैसा-पैसे, लोटा-लोटे, लड़का-लडके। पर अपवादस्वरूप अगुआ,

आजा, काका, चाचा, नाना, बाबा, मामा, लाला, राना, मुखिया, तथा सूरमा आदि कुछ ऐसे भी हिन्दी के आकारान्त शब्द है, जिनके रूप दोनो वचनो मे एक-से रहते है।

(ख) कारक-चिह्नो से रहित स्त्रीलिग शब्द

१ अकारान्त स्त्रीलिग सज्ञाओ मे एकवचन से बहुवचन बनाने मे अन्तिम 'अ' के स्थान पर 'ए' कर देते हैं, जैसे—गाय से गाये, रात से राते, किताब से किताबे, या आँख से आँखे।

२ 'इया' अन्त वाली स्त्रीलिग सज्ञाओ को बहुवचन बनाने के लिए अन्त मे 'ा' के स्थान पर 'ाँ' कर देते है, जैसे—लुटिया से लुटियाँ, कुटिया से कुटियाँ।

३ इकारान्त स्त्रीलिग सज्ञाओ मे अन्त मे बहुवचन बनाने के लिए 'याँ' जोड देते है, जैसे 'तिथि' से 'तिथियाँ', 'राशि' से राशियाँ।

४ ईकारान्त स्त्रीलिग सज्ञाओ मे अन्तिम 'ई' को 'इ' बनाकर 'याँ' जोडते है, जैसे—थाली से 'थालियाँ', 'गाली' से 'गालियाँ' या 'टोपी' से 'टोपियाँ'।

५ शेष सभी ('इया' अन्त मे आने वाले शब्दो के अतिरिक्त अन्य आकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त, औकारान्त) स्त्रीलिग सज्ञाओ के अन्त मे बहुवचन बनाने के लिए 'एँ' जोडते है; जैसे—

कथा	कथाएँ
माता	माताएँ
वस्तु	वस्तुएँ

बहू	बहुएँ[1]
गौ	गौएँ

अनुस्वार युक्त (—) ओकारान्त में सज्ञाएँ बहुवचन में भी प्राय अपरिवर्तित रह जाती है। जैसे—सरसो।

(ग) कारक-चिह्न के सहित पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग शब्द

कारक-चिह्नो से युक्त होने पर शब्दों का बहुवचन का रूप बनाने में लिग के कारण कोई अन्तर नही पडता।

१ अकारान्त, आकारान्त (सस्कृत के शब्दो को छोडकर) तथा एकारान्त संज्ञाओ में अन्तिम 'अ', 'आ' या 'ए' के स्थान पर बहुवचन बनाने मे 'ओ' कर देते है। जैसे—

एकवचन	बहुवचन	कारक-चिह्न के साथ प्रयोग
चोर	चोरो	चोरो ने मारा, चोरो को मारो, चोरो से छीनो।
घोडा	घोडो	चोरो की ही भाँति।
चौबे	चौबो	,, ,, ,,[2]

२. सस्कृत आकारान्त तथा सभी उकारान्त, ऊकारान्त, सानुस्वार ओकारान्त, औकारान्त सज्ञाओ को बहुवचन का रूप देने के लिए अन्त में 'ओ' जोड़ दिया जाता है। ऊकारान्त शब्दो में 'ओ' जोडने के पूर्व 'ऊ' को 'उ' कर देते है।

---

१. ऊकारान्त शब्दो में 'एँ' जोडने के पूर्व 'ऊ' को 'उ' कर लेते है।

२. 'दुबे' अपवाद है। इसका 'दुबो' नहीं बनेगा। 'लोगो' लगाकर बहुवचन का रूप बनेगा।

एकवचन	बहुवचन	कारक-चिह्नों के साथ प्रयोग
माला	मालाओं	मालाओं को देखो
वस्तु	वस्तुओं	मालाओं की ही भाँति
वधू	वधुओं	मालाओं की ही भाँति
गौ	गौओं	” ” ”
भौं	भौंओं	” ” ”

अनुस्वारयुक्त ओकारान्त संज्ञाएं कारक-चिह्न के सहित भी बहुवचन बनने में अपरिवर्तित रहती हैं। जैसे—सरसों को पीसो।

३ सभी इकारान्त और ईकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अन्त में 'यों' जोड देते हैं। ईकारान्त शब्दों में 'यों' जोडने के पूर्व 'ई' को 'इ' कर लेते है।

एकवचन	बहुवचन	कारक-चिह्नों के साथ प्रयोग
मुनि	मुनियों	मुनियों को, मुनियों से
गाली	गालियों	मुनियों की भाँति

वचन-विषयक कुछ अपवाद

कभी-कभी बहुवचन बनाने के लिए शब्दों में परिवर्तन न करके जन, गण या लोग आदि शब्द जोड देते हैं। ऐसे बहु वचनों का प्रयोग कारक-चिह्न रहित होने पर होता है। कारक चिह्न सहित होने पर इनके अन्तिम 'अ' को 'ओं' कर देते हैं। कुछ उदाहरण हैं --

एकवचन	बहुवचन (कारक चिह्न रहित)	बहुवचन (कारक चिह्न सहित)
गुरु	गुरुजन	गुरुजनो को दो
शिक्षक	शिक्षकगण	शिक्षकगणो से मांगो
राजा	राजा लोग	राजा लोगो ने किया

संज्ञा के तीनो भेदो में प्राय केवल जातिवाचक संज्ञा का ही बहुवचन में प्रयोग होता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं ।

४. कारक

सज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप मे उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट होता है, कारक कहलाता हे।

हिन्दी मे आठ कारक हे। इनके नाम और विभक्तियाँ निम्नलिखित हे—

कारको के नाम		विभक्तियां या कारक-चिह्न
१	कर्त्ता	ने
२	कर्म	को
३	करण	से, के द्वारा
४	सम्प्रदान	को, के लिए, के वास्ते
५	अपादान	से
६	सम्बन्ध	का, के, की
७	अधिकरण	मे, पर
८	सम्बोधन	ऐ, हे, अजी, अरे

नीचे इन कारको पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

कर्ता

करने वाले को 'कर्ता' कहते है। 'राम ने मोहन को मारा' में राम कर्ता है, क्योंकि यहाँ 'मारा' क्रिया का करने वाला राम ही है। 'ने' कर्ता कारक का चिह्न है, किन्तु यह सर्वत्र नही लगता। इस सम्बन्ध में कुछ बातें याद रखने की है—

१. अकर्मक क्रियाओ के कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति नही लगाई जाती। जैसे—'मोहन हँसता है', 'राम गया' या 'सीता आयगी'।

२ सकर्मक क्रियाओ के कर्ता के साथ वर्तमान तथा भविष्य काल में 'ने' नही लगाया जाता। जैसे 'मै पानी पीता हूँ' या 'कृष्ण रोटी खायगा'।

३. नहाना, छीकना तथा खाँसना इन तीन अकर्मक और लगभग सभी सकर्मक क्रियाओ के कर्ता के साथ केवल सामान्य-भूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया), आसन्नभूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया है), पूर्णभूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया था) तथा सन्दिग्ध भूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया होगा) काल में ही 'ने' विभक्ति लगाई जाती है, भूतकाल के अन्य रूपो मे नही।

४. बोलना, भूलना तथा लाना, ये सकर्मक क्रियाएँ ऊपर के नियम संख्या ३ की अपवाद है। इन क्रियाओ के आने पर सामान्य, आसन्न, पूर्ण तथा सन्दिग्धभूत काल मे भी 'ने' विभक्ति नही लगाई जाती। जैसे—मोहन बोला, मै बात भूल गया हूँ, या राम पुस्तक लाया।

५ जिन वाक्यो मे लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएँ आती है, उनमे भी 'ने' का प्रयोग नही होता। जैसे—मोहन खाना खा चुका, कृष्ण पानी पीने लगा, या राधा दावात गिरा गई।

कर्म

जिस वस्तु पर कर्ता के व्यापार का फल पडे, उसके लिए प्रयुक्त सज्ञा या सर्वनाम कर्म कहा जाता है। जैसे—मोहन ने राम को मारा। यहाँ कर्ता मोहन है और उसके व्यापार (मारने) का फल 'राम' पर पडता है अतएव 'राम' कर्म है। यहाँ 'राम' के साथ कर्म कारक के चिह्न 'को' का प्रयोग हुआ है। पर सभी कर्मो के साथ 'को' का प्रयोग नही किया जाता। प्राय चेतन या सजीव पदार्थों के साथ यह लगता है और निर्जीव या अचेतन के साथ नही लगता। जैसे 'मैने रोटी को खाई' न कहकर 'मैने रोटी खाई' कहते है। कभी-कभी चेतन के साथ भी यह विभक्ति नही लगाते। जैसे—'मैने घोडा देखा' या 'केशव ने साँप मार डाला'। यद्यपि इस प्रकार के वाक्यो को 'मैने घोडे को देखा' या 'केशव ने साँप को मार डाला' रूप मे भी कहते है।

करण

सज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो। जैसे 'राम ने रावण को वाण से मारा' वाक्य मे 'वाण' के द्वारा मारे जाने का उल्लेख है, अतएव 'वाण' करण कारक हुआ। 'से' करण कारक का चिह्न है।[1] यह चिह्न प्राय हमेशा ही लगाया

१ कभी-कभी 'के द्वारा' का भी प्रयोग होता है।

जाता है। प्यास, भूख, जाडा, हाथ, कान तथा आँख आदि कुछ शब्द अपवाद हैं। जब इनका करण के रूप मे बहुवचन में प्रयोग होता है तो विभक्ति नही लगती। जैसे मैंने सारा तमाशा अपनी आँखो देखा है, या सारी बात अपने कानो सुनी है।

बकना, बोलना, पूछना, कहना, प्रार्थना करना तथा बात करना आदि क्रियाओ के वाक्य मे, जिससे ये क्रियाएँ की जायँ, उनके लिए प्रयुक्त सज्ञा या सर्वनाम के साथ भी 'से' लगाते हैं। जैसे–मैंने राम से प्रार्थना की, सीता ने उससे बात की, या मोहन ने कृष्ण से पूछा आदि।

सम्प्रदान

सज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए कोई क्रिया की जाय 'सम्प्रदान' कारक कहलाता है। 'को', 'के लिए', 'के वास्ते', 'की खातिर' आदि इसके चिह्न हैं। जैसे–'राम ने गरीब को दान दिया' मे 'गरीब' सम्प्रदान है। इसका चिह्न सदा लगता है। 'उसके वास्ते पुस्तक दो' या 'राम के लिए पानी लाओ' आदि इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं।

अपादान

सज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, या तुलना करने के अर्थ आदि का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति 'से' है। जैसे 'मैं दिल्ली से आया', 'नदी पर्वत से निकलती है', 'मै तुमसे डरता हूँ' या 'तुमने मुझे मृत्यु से बचाया' मे 'दिल्ली',

'पर्वत', 'तुम' 'तथा' 'मृत्यु' अपादान कारक है। इसकी विभक्ति 'से' सदा लगाई जाती है।

सम्बन्ध

सज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध किसी और वस्तु से प्रकट हो, सम्बन्ध कारक है। इसकी विभक्ति का, के, की है। मोहन का लडका, उसके घोडे, लकडी की छडी मे 'मोहन', 'वह' (उस), 'लकडी' सम्बन्ध-कारक है। सम्बन्ध-कारक से अधिकार (देश का राजा), रिश्ता (राम का पुत्र), प्रयोजन (पीने का पानी) तथा परिमाण (एक हाथ का डण्डा) आदि प्रकट होते है। सम्बन्ध-कारक मे विभक्ति सदा लगाई जाती है। विभक्तियो के लगाने के सम्बन्ध मे निम्नाकित बाते याद रखने की है—

१ ऐसी पुल्लिग एकवचन सज्ञा के पूर्व 'का' विभक्ति लगाई जाती है जिसके बाद कारक की कोई विभक्ति न हो। जैसे—मोहन का लडका स्कूल मे है। यहाँ 'लडका' के बाद कोई विभक्ति नही है।

२ पुल्लिग एक वचन सज्ञा के बाद यदि कोई विभक्ति होगी तो उसके पहले का 'का' 'के' हो जायगा। जैसे—मोहन के लडके को पकडो। यहाँ 'लडके' के बाद 'को' विभक्ति है, अत लडके के पूर्व की 'का' विभक्ति 'के' हो गई है। बहुवचन पुल्लिग के पूर्व भी 'के' आता है। जैसे—राम के घोडे जा रहे है।

३ स्त्रीलिंग सज्ञा (चाहे वह एकवचन हो या वहुवचन) के पूर्व 'की' विभक्ति आती है। जैसे—मोहन की लडकी या मोहन की लडकियाँ।

अधिकरण

सज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया का आधार हो अधिकरण है। इसकी विभक्तियाँ 'मे' और 'पर' है। 'मोहन नदी मे है' या 'आम डाल पर है' में 'नदी' और 'डाल' अधिकरण-कारक है। यहाँ मोहन के होने का आधार 'नदी' तथा आम के होने का आवार 'डाल' है। अधिकरण कारक की विभक्ति सर्वत्र लगती है। किन्तु यदि अधिकरण-कारक की सज्ञा का प्रयोग दो वार हो तो विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे—साधु वन-वन घूमा। इसी प्रकार कभी-कभी कुछ अकारान्त सज्ञाओ (जिन से स्थान या काल का वोध हो) के साथ भी विभक्ति नही लगती जैसे—'इस जगह वडी भीड है' या 'उस समय मुझे याद नही था'

सम्वोधन

सज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना, चेतावनी देना या सम्वोधित करना आदि सूचित हो वह सम्वोधन है। जैसे—'हे राम ! रक्षा करो' या 'अरे मूर्ख ! सँभल जा' में 'राम' और 'मूर्ख' सम्वोधन-कारक है। सम्वोधन-कारक के चिह्न में 'हे', 'अरे', 'अजी', 'अहो' आदि सज्ञा के पूर्व आते है (जैसे हे भाई !) पर 'रे' संज्ञा के वाद और पहले दोनो ही प्रकार से आता है (जैसे—'रे भाई !' या 'भाई रे !')।

सम्बोधन की विभक्ति सर्वदा नही लगती। जैसे—'राम, तुम किधर जा रहे हो ?' यो इसे 'हे राम ! तुम किधर जा रहे हो ?' रूप मे भी कहा जा सकता है।

कारको की विभक्ति के सहित और रहित होने पर दोनो वचनो तथा दोनो लिगो मे सज्ञा-शब्दो के रूप किस प्रकार बदलते है, इस पर पीछे 'वचन' शीर्षक अध्याय मे प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ स्पष्टता के लिए कारको के अनुसार उनके रूप अलग-अलग दिए जा रहे है।

पुल्लिग संज्ञाएँ

बालक (अकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बालक	बालक
	,, ने	बालको ने
कर्म	,, को	,, को
करण	,, से	,, से
सम्प्रदान	,, को	,, को
अपादान	,, से	,, से
सम्बन्ध	,, का, के, की	,, का, के, की
अधिकरण	,, मे	,, मे
सम्बोधन	हे बालक	हे बालको

सभी अकारान्त शब्दो के रूप 'बालक' की भाँति ही चलते है।

लड़का (आकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	लडका	लडके
	लडके ने	लडको ने
कर्म	,, को	,, को
करण	,, से	,, से
सम्प्रदान	,, को	,, को
अपादान	,, से	,, से
सम्बन्ध	,, का	,, का
अधिकरण	,, में	,, में
सम्बोधन	हे लडके	हे लडको

हिन्दी के सभी आकारान्त शब्दो के रूप 'लडका' की भाँति चलते है, पर सस्कृत के आकारान्त शब्द तथा हिन्दी के राजा काका आदि कुछ शब्द अपवाद है जिनके रूप नीचे दिए जा रहे है।

राजा

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	राजा	राजा
	,, ने	राजाओ ने
कर्म	,, को	,, को
करण	,, से	,, से
सम्प्रदान	,, को	,, को
अपादान	,, से	,, से
सम्बन्ध	,, का	,, का

अधिकरण	,, मे	,, मे
सम्बोधन	हे राजा	हे राजाओ

संस्कृत के सभी आकारान्त पुल्लिग (पिता, देवता आदि) संज्ञाओ के रूप 'राजा' की भाँति चलते है। नीचे दिये गए 'दादा' के रूपो की भाँति इन शब्दो के भी विभक्ति-सहित बहुवचन रूप कभी-कभी 'लोगो' शब्द जोडकर बनाए जाते है। जैसे—राजा लोगो से।

दादा

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	दादा	दादा, दादा लोग
	,, ने	दादो ने, दादा लोगो ने
कर्म	,, को	,, को ,, को
करण	,, से	,, से ,, से
सम्प्रदान	,, को	,, को ,, को
अपादान	,, से	,, से ,, से
सम्बन्ध	,, का	,, का ,, का
अधिकरण	,, मे	,, मे ,, मे
सम्बोधन	हे दादा	हे दादा लोगो

आजा, मुखिया, काका, अगुआ, चाचा, नाना, बाबा, मामा, लाला, सूरमा आदि शब्दो के रूप 'दादा' की भाँति चलते है। कभी-कभी इन शब्दो के विभक्ति-सहित बहुवचन रूप अलग से 'ओ' (जैसे बाप-दादाओ, सूरमाओ, मुखियाओ) लगाकर भी बनाए जाते है।

भाई (ईकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	भाई	भाई
	,, ने	भाइयो ने
कर्म	,, को	,, को
करण	,, से	,, से
सम्प्रदान	,, को	,, को
अपादान	,, से	,, से
सम्वन्ध	,, का	,, का
अधिकरण	,, में	,, में
सम्वोधन	हे भाई	हे भाइयो

सभी पुल्लिग इकारान्त (मुनि, कवि आदि) तथा ईकारान्त (माली, नाई आदि) सज्ञाओ के रूप 'भाई' की तरह चलते है। ईकारान्त शब्दो में 'यो' या 'यों' जोडने के पूर्व अन्तिम पूर्व 'ई' को 'इ' कर देते हैं। जैसे—'भाई' से 'भाइयो'।

डाकू (ऊकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	डाकू	डाकू
	,, ने	डाकुओ ने
कर्म	,, को	,, को
करण	,, से	,, से
सम्प्रदान	,, को	,, को

५. सर्वनाम

जिन शब्दो का सज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हे सर्वनाम कहते है। जैसे—मै, तुम, वह। यदि भाषा मे सर्वनाम न होते तो हमे कहना पडता——

विश्वनाथ ने अशोक से कहा कि विश्वनाथ विनय के घर से अशोक की पुस्तके विश्वनाथ की साईकिल पर ले आया है।

पर अब सर्वनाम की सहायता से हम कहते है——

विश्वनाथ ने अशोक से कहा कि मै विनय के घर से तुम्हारी पुस्तके अपनी साइकिल पर ले आया हूँ।

यहाँ हम देखते है कि पहले वाक्य मे विश्वनाथ और अशोक का नाम दुहराने से वाक्य बडा बेढब-सा लग रहा है, पर दूसरे वाक्य मे उनके स्थान पर 'मै', 'तुम्हारी' और 'अपनी' इन तीन सर्वनामो के प्रयोग के कारण वाक्य सुन्दर बन गया है। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के इस भोंडेपन को दूर करके उसका सौन्दर्य बढाने के लिए ही किया जाता है।

सर्वनाम के ५ भेद होते है——

१. पुरुषवाचक, २. निश्चयवाचक, ३ अनिश्चयवाचक, ४ सम्बन्धवाचक, ५ प्रश्नवाचक।

नीचे इन सभी पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

सर्वनाम के प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ बातें स्मरण रखने की है—

(१) सर्वनाम सज्ञा के स्थान पर आते है, अत उनके प्रयोग मे भी सज्ञा की भाँति कारक और उसके अनुसार उसके रूप का विचार करना पडता है। अर्थात् सज्ञा की भाँति सर्वनाम मे भी कारक के कारण विकार या परिवर्तन होता है।

(२) किसी सर्वनाम का प्रयोग पुल्लिग शब्द के लिए हो रहा है या स्त्रीलिंग के लिए, इस दृष्टि से उसमे कोई परिवर्तन नही होता।

(३) सर्वनामो के सम्बन्ध कारक रूप जिन शब्दो के पूर्व आते है (मेरा लडका, मेरे घोड़े, मेरी कुटिया आदि) उनके वचन तथा लिंग के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है।

(४) सम्बन्ध कारक के अतिरिक्त अन्य कारको मे सर्वनामो में केवल वचन के कारण परिवर्तन होता है।

(५) सम्बोधन कारक में सर्वनामो का प्रयोग नही होता।

पुरुषवाचक सर्वनाम

कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे (जिसके सम्बन्ध में बात हो) के लिए जिन शब्दो का प्रयोग होता है, उन्हे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते है।

पुरुषवाचक सर्वनाम ३ प्रकार के होते हैं—

(क) उत्तम पुरुष, (ख) मध्यम पुरुष, (ग) अन्य पुरुष

उत्तम पुरुष

बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुष कहे जाते हैं। जैसे मैं, हम।

'मैं' के कारक रूप

	एकवचन	बहुवचन
	[विभक्ति रहित]	
कर्ता	मैं	हम, हम लोग
	[विभक्ति सहित]	
	मैंने	हमने, हम लोगों ने
कर्म	मुझे, मुझको	हमें, हमको, हम लोगों को
करण	मुझसे	हमसे, हम लोगों से
सम्प्रदान	मुझे, मुझको	हमें, हमको, हम लोगों को
अपादान	मुझसे	हमसे, हम लोगों से
सम्बन्ध	मेरा, मेरी, मेरे	हमारा, हमारी, हमारे हम लोगों का,-की,-के
अधिकरण	मुझमें, मुझ पर	हममें, हम पर, हम लोगों में,-पर

आजकल प्रायः लोग एकवचन में भी हम तथा उससे बनने वाले हमने, हमको, हमें, हमसे तथा हमारा आदि रूपों का प्रयोग करते हैं और इसीलिए बहुवचन में स्पष्टता के लिए 'लोग' लगाकर बनाये गए रूपों का प्रयोग होता है।

मध्यम पुरुष

सुनने वाले (या जिससे बात की जाय) के लिए मध्यम-पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे—तू, तुम, आप।

'तू' के कारक रूप

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता [विभक्ति रहित]	तू	तुम, तुम लोग
[विभक्ति सहित]	तूने	तुमने, तुम लोगो ने
कर्म	तुझे, तुझको	तुम्हे, तुमको, तुम लोगो को
करण	तुझसे	तुमसे, तुम लोगो से
सम्प्रदान	तुझे, तुझको	तुम्हे, तुमको, तुम लोगो को
अपादान	तुझसे	तुमसे, तुम लोगो से
सम्बन्ध	तेरा, तेरी, तेरे	तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे तुम लोगो का,-की,-के
अधिकरण	तुझमें, तुझ पर	तुम में, तुम पर तुम लोगो मे,-पर

मध्यम पुरुष में एकवचन के रूपो का प्रयोग अत्यधिक प्यार, घृणा या अनादर के लिए होता है। सामान्यत एकवचन में तुम तथा उससे बने रूपो (तुमने, तुम्हे, तुमको, तुमसे तथा तुम्हारा आदि) का प्रयोग होता है जो यथार्थत बहुवचन है। बहुवचन में 'तुम' के साथ 'लोग' लगाकर बनाये गए रूप प्रयुक्त होते हैं।

मध्यम पुरुष में आदर के लिए 'तुम' के स्थान पर 'आप' का प्रयोग होता है। 'आप' के साथ प्राय मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग नही होता। उसके साथ मे अन्य पुरुष बहुवचन की

क्रिया लगती है। जैसे—आप कहाँ जा रहे है ?

'आप' के कारक रूप

		एकवचन	बहुवचन
कर्ता	[विभक्ति रहित]	आप	आप लोग
	[विभक्ति सहित]	आपने	आप लोगो ने

अन्य सभी कारको मे एकवचन मे 'आप' के साथ बिना किसी परिवर्तन के कारक-चिह्न (से, को, का, मे, पर आदि) लगा देते है और बहुवचन मे कारक-चिह्न लगाने के पूर्व 'लोगो' जोड देते है।

अन्य पुरुष

उत्तम और मध्य पुरुष को छोडकर सभी सर्वनाम (और सज्ञाएँ भी) अन्य पुरुष होते है। पुरुषवाचक सर्वनामो मे 'वह' अन्य पुरुष का उदाहरण है।

'वह' के कारक रूप

		एकवचन	बहुवचन
कर्ता	[विभक्ति रहित]	वह	वह, वे, वे लोग
	[विभक्ति सहित]	उसने	उनने, उन्होने, उन लोगो ने
कर्म		उसे, उसको	उन्हे, उनको, उन लोगो को
करण		उससे	उनसे, उन लोगो से
सम्प्रदान		उसे, उसको	उन्हे, उनको, उन लोगो को
अपादान		उससे	उनसे, उन लोगो से
सम्बन्ध		उसका,-की,-के	उनका,-की,-के
अधिकरण		उसमे, उस पर	उनमे, उन पर उन लोगो मे,-पर

'वह' का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति आदि के लिए होता है। यदि समीप के लिए अन्यपुरुष सर्वनाम का प्रयोग करना हो तो 'यह' का प्रयोग करते है। 'यह' और 'वह' के रूपो में बहुत साम्य है। कर्ता के विभक्तिरहित रूपो में 'व' के स्थान पर 'य' कर देने से रूप बन जाते है–यह, ये, ये लोग। कर्ता के विभक्ति सहित रूपो तथा अन्य सभी कारको के रूपो में 'वह' के रूपो में 'उ' के स्थान पर 'इ' कर देने से 'यह' के रूप बन जाते है। जैसे इसने, इन्होने, इसे, इन्हे तथा इनसे आदि। अन्य पुरुष में आदरार्थ एकवचन के लिए एकवचन के रूपो का प्रयोग न करके वे, ये, उन्हें, इन्हें, उनसे, इनसे आदि बहुवचन के रूपो का प्रयोग करते है, और आदरार्थ बहुवचन के लिए 'लोग' या 'लोगो' लगाकर बनाये गए रूप प्रयोग में आते है।

अन्य पुरुष आदरार्थ 'ये' (एकवचन) और 'ये लोग' (बहुवचन) के स्थान पर क्रम से 'आप' और 'आप लोग' का भी प्रयोग होता है, यदि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के साथ ही अन्य पुरुष भी उपस्थित हो। जैसे–'मोहन तुम जाओ, आप लोग भी जा रहे है या आप भी जा रहे है।'

पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अन्तर्गत निजवाचक सर्वनाम भी आता है। इससे अपना या निज का बोध होता है। आप, स्वय, स्वत तथा खुद इसके प्रमुख उदाहरण है।

ऊपर कहा जा चुका है कि आदरार्थ 'आप' का प्रयोग होता है, पर उस 'आप' से निजवाचक का 'आप' भिन्न है। यह भिन्नता प्रमुखत. तीन प्रकार की है—

(क) पुरुषवाचक 'आप' एकवचन होकर भी बहुवचन

रूप मे प्रयुक्त होता है। जैसे–'राम ने श्याम से पूछा, आप कहाँ जा रहे है' पर निजवाचक 'आप' एक ही रूप से दोनो वचनो मे आता है। जैसे—'मै आप आ जाऊँगा' या 'वे लोग आप आ जायँगे'।

(ख) पुरुषवाचक 'आप' प्रमुखत मध्यम पुरुष और कभी-कभी अन्य पुरुष के लिए आता है पर निजवाचक आप तीनो पुरुषो के लिए। जैसे—'तुम अपने-आप खा लेना', 'मै अपने-आप चला जाऊँगा' तथा 'वह अपने-आप चला गया।'

(ग) पुरुषवाचक आदरसूचक 'आप' वाक्य मे अकेले आता है 'आप कहाँ जा रहे है ?' किन्तु निजवाचक 'आप' दूसरे सर्वनाम या सज्ञा के साथ आता है। 'वह आप (या अपने-आप) कहाँ जा रहा है ?' या 'राम आप आ रहा है।'

निजवाचक 'आप' के रूप

कारक	एकवचन तथा बहुवचन	प्रयोग
कर्ता	आप या अपने आप	मै आप (या अपने-आप) आ जाऊँगा। हम लोग आप (या अपने-आप) आ जायँगे।
कर्म	आपको, अपने को, अपने-आपको	तुम अपने-आपको मत बिगाडो। तुम लोग अपने-आपको मत बिगाडो।

करण	आपसे, अपने से, अपने-आपसे अपने आप	राम ने अपने से खा लिया। उन्होंने अपने से खा लिया।
सम्प्रदान	आपको, अपने को, अपने आपको	तुम तो सभी कुछ अपने को देते हो। तुम लोग सभी कुछ अपने को देते हो।
अपादान	आपसे, अपने से, अपने-आपसे	राम, तुम अपने से उसे दूर न करना।
सम्बन्ध	अपना,-नी,-ने	मैंने अपना काम कर लिया। उन्होंने अपनी रोटी खा ली।
अधिकरण	अपने मे, आप में, आपस मे	तुम लोग अपने मे या आपस में लड रहे हो।

अन्य निजवाचक सर्वनामो के प्रयोग के उदाहरण

वह खुद आयगा। मैंने स्वयं (या स्वतः) काम कर लिया। उसे निज के (या निजी) काम से मुझे भेजना है।

निश्चयवाचक सर्वनाम

ऐसा सर्वनाम जिससे दूर या समीप की किसी वस्तु के सम्बन्ध में निश्चित बोध हो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे– यह, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम दो है—(क) समीप की वस्तु के लिए, जैसे–यह। यह तुम ले लो। (ख) दूर की वस्तु के लिए, जैसे—वह। वह तुम ले आओ।

ऊपर अन्य पुरुष सर्वनाम 'वह' का रूप दिया गया। उसी-के साथ 'यह' के रूप भी समझाये गए हैं। वे ही रूप यहाँ भी प्रयुक्त होते हैं।

दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए 'वह' के अतिरिक्त 'सो' का भी प्रयोग कभी-कभी होता है। यह सर्वनाम प्राय सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम (जो, जिस, जिन आदि) के साथ आता है। जैसे—जो जायगा सो पावेगा। सो का एकवचन और बहुवचन दोनो मे एक ही रूप रहता है। जो जैसे सोवेगे सो खोवेगे।

'सो' का प्रयोग बहुत सीमित है। यह प्राय केवल कर्ता कारक मे प्रयुक्त होता है, किसी अन्य कारक मे नही। और कर्ता कारक में भी केवल ऐसे प्रयोगो मे जहाँ कर्ता कारक का चिह्न 'ने' न लगा हो।

आजकल 'सो' के स्थान पर 'वह' का प्रयोग होता है। जैसे—'जो जन्मेगा सो मरेगा' के स्थान पर 'जो जन्मेगा वह मरेगा'।

[सो का प्रयोग कभी-कभी 'तब' या 'इसलिए' आदि के अर्थ मे समुच्चयबोधक के समान होता है। जैसे—'वे लोग आ गए, सो तुम भी तैयार हो जाओ'। आजकल इस प्रकार का प्रयोग भी पुराना पड गया है और इसके स्थान पर अत, इसलिए तथा तब आदि का प्रयोग होता है।]

पुरानी भाषा मे 'जो' के स्थान पर 'जौन' के साथ 'सो' के स्थान पर 'तौन' का प्रयोग होता है। जैसे—'जौन आया तौन गया। 'तौन' के रूप तिसने, तिनने, तिन्होने, तिसे, तिसको, तिसमे आदि है। कर्ता कारक के 'ने' विभक्ति के साथ प्रयोग मे तथा अन्य कारको मे 'सो' के स्थान पर 'तौन' के इन रूपो का

प्रयोग पुरानी भाषा में मिलता है।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो। जैसे—कोई, कुछ। 'कोई जायगा' वाक्य मे कोई के प्रयोग से यह निश्चित नही होता कि कौन जायगा। इसी प्रकार 'कुछ दो' में कुछ से किसी विशेष वस्तु का निश्चय नही होता।

अनिश्चयवाचक सर्वनामो में 'कोई' का प्रयोग मनुष्य, शेर, कुत्ता आदि चेतन तथा बडे-बड़े पेडो के लिए तथा 'कुछ' का प्रयोग जड़ और छोटे जतुओ या कीडो आदि के लिए प्राय होता है। यद्यपि इसके विरोधी प्रयोग भी मिलते है। जैसे—कोई चीज यहाँ है (यहाँ कोई का विशेषण-रूप में प्रयोग है), कुछ आदमी आए है (यह कुछ का सख्यावाचक विशेषण (अनिश्चित) रूप मे प्रयोग है)। तथा कुछ (अर्थात् कुछ लोग) कहते है कि उसका दिमाग खराब है। अन्तिम उदाहरण में भी 'कुछ' अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रूप में प्रयुक्त है। कुछ को 'कुछ लोग' का सक्षिप्त रूप भी माना जाता है।

'कोई' के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता (कारक-चिह्न रहित)	कोई	कोई
(कारक-चिह्न सहित)	किसी ने	किन्ही ने

सम्बोधन के अतिरिक्त अन्य सभी कारको के रूप एकवचन मे 'किसी' के आगे कारक-चिह्न तथा बहुवचन में 'किन्ही' के आगे कारक-चिह्न लगाकर बनाए जाते है। जैसे—किसी को

मत मारो, किन्ही की चीजे मत उठाओ। आजकल प्राय 'कोई' तथा उसके कारक-चिह्नो के साथ के रूप 'किसी' का ही प्रयोग चलता है। 'किन्ही' का नही। दूसरे शब्दो मे यह अनिश्चय-वाचक सर्वनाम (कोई) केवल एकवचन मे प्रयुक्त होता है। हाँ, कभी-कभी 'कोई' को दो बार कहकर बहुवचन का भाव व्यक्त कर लेते है। जैसे—'कोई-कोई कहते है।'

दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कुछ' है। कुछ का रूप नही चलता अर्थात् यह सर्वत्र 'कुछ' ही रहता है। बदलता नही। कुछ मे विभिन्न कारको के कारक चिह्न लगाकर विभिन्न कारक रूप बनाए जा सकते है। कुछ के प्रयोग के सम्बन्ध मे तीन बाते याद रखने की है।

(क) कर्ता कारक मे 'कुछ' का प्रयोग दोनो वचनो मे (बिस्तर पर कुछ है, कुछ कहते है) होता है, पर बहुवचन के प्रयोग मे इसमे अनिश्चित सख्यावाचक विशेषण का भाव रहता है।

(ख) कर्म कारक मे भी दोनो वचनो में कुछ का प्रयोग (कुछ खरीद लाओ, कुछ को मारो) होता है पर कर्ता की ही भाँति बहुवचन-प्रयोग मे इसमे अनिश्चित सख्यावाचक विशेषण का भाव रहता है।

इस प्रकार कर्ता और कर्म मे सर्वनाम रूप मे कुछ का शुद्ध प्रयोग केवल एकवचन मे होता है। बहुवचन मे वह विशेषण हो जाता है।

(ग) सम्बोधन को छोडकर अन्य कारको मे कुछ का प्रयोग केवल बहुवचन मे 'कोई' के अर्थ मे होता है। जैसे—'कुछ

में पानी है' या 'कुछ की आँखे ठीक है।' यहाँ यह ध्यान देने की वात है कि 'कुछ' का प्रयोग सख्यावाचक विशेषण (अनिश्चित) रूप में है,। जिसके विशेष्य (सज्ञा) का लोप हो गया है।

प्रयोग की इन तीनो वातो के आधार पर कहा जाता है कि सर्वनाम रूप में 'कुछ' केवल कर्ता और कर्म कारक में विभक्ति-रहित रूप में प्रयुक्त होता है। अन्यत्र 'कुछ' का प्रयोग होता तो है पर उसे सर्वनाम नही कहा जा सकता।

सम्वन्धवाचक सर्वनाम

जो सर्वनाम किसी दूसरी सज्ञा या सर्वनाम से सम्वन्ध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो। जैसे—जो। 'जो पढेगा वह पास होगा', 'वह जो आया था, चला गया', तथा 'वही राम जो वोलता तक नही था, आज तलवे चाटता है' आदि।

हिन्दी मे केवल 'जो' ही एक सम्वन्धवाचक सर्वनाम है।

'जो' के रूप

कारक	एकवचन	वहुवचन
कर्ता (विभक्ति रहित)	जो	जो
(विभक्ति सहित)	जिसने	जिन्होने, जिनने
कर्म	जिसे, जिसको	जिन्हे, जिनको
करण	जिससे	जिनसे
सम्प्रदान	जिसे, जिसको	जिन्हे, जिनको
अपादान	जिससे	जिनसे
सम्वन्ध	जिसका,-की,-के	जिनका,-की,-के
अधिकरण	जिसमें, जिस पर	जिनमें, जिन पर

ज्ञात हो। जैसे–**काला** जूता, **पीला** कपड़ा तथा **हरी** पत्ती आदि।

सख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण किसी सज्ञा की सख्या-विषयक विशेषता बतलावे। जैसे—एक ग्राम, दो ग्रादमी।

सख्या कभी तो निश्चित हो सकती है, जैसे–एक, दो, ग्रौर कभी ग्रनिश्चित हो सकती है जैसे–कुछ या थोडे। इन्ही ग्राधारो पर सख्यावाचक विशेषण के **निश्चित सख्यावाचक** ग्रौर **ग्रनिश्चित सख्यावाचक** दो भेद किये जा सकते है।

निश्चित सख्यावाचक विशेषण के पॉच भेद होते है।

(क) गणना वाचक—ये विशेषण वस्तुग्रो की गिनती बतलाते है। जैसे—**दो** बच्चे, **चार** घोडे, **पांच** किताबे।

गणनावाचक के **पूर्णांक वाचक** (जैसे एक, दो, तीन) ग्रौर **ग्रपूर्णांक वाचक** (जैसे सवा एक, डेढ, पौने दो) दो भेद होते है।

(ख) क्रम वाचक—ये विशेषण क्रम के ग्रनुसार सज्ञा का स्थान बतलाते है। जैसे **पहला** लडका, **दूसरी** पुस्तक, **तीसरा** मकान।

(ग) ग्रावृत्ति वाचक—ये विशेषण 'गुना' का बोध कराते है, ग्रर्थात् एक वस्तु से दूसरी कै गुनी (कितनी गुनी) है। **दुगुना** पानी, **तिगुना** ग्राटा, **चौगुनी** ग्राय।

(घ) समुदाय वाचक—इस वर्ग के विशेषण गणना-बोधक सख्या के समुदाय का बोध कराते है। जैसे–दोनो ग्रादमी, पाँचों लडके, सातो ग्राम।

(ङ) प्रत्येक वाचक—इसके द्वारा कई चीजो मे हर एक

का बोध होता है; जैसे—प्रत्येक आदमी, हर सातवें दिन, प्रति वर्ष।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, **अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण** से कोई निश्चित संख्यावाचक बोध नहीं होता, जैसे—कुछ आम, थोडे आदमी, सब लडके, बहुत पुस्तकें।

निश्चित संख्यावाचक के अन्तर्गत आने वाले गणनावाचक विशेषण (चार, आठ, बीस आदि) के पूर्व 'लगभग' तथा 'करीब' या बाद मे 'एक' या 'ओ' प्रत्यय लगाने से भी अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है, जैसे—लगभग बीस आदमी, करीब पचास घोडे, सौ-एक कुत्ते, पचीसो स्त्रियाँ। कभी-कभी निकटवर्ती गणनावाचक का समास करके भी अनिश्चित अर्थ प्रकट किया जाता है, जैसे—तीन-चार व्यक्ति, चालीस-पचास पुस्तकें।

परिमाणवाचक विशेषण

जो विशेषण किसी वस्तु की तौल या नाप की विशेषता बतलाए, जैसे—सेर-भर आटा, थोड़ा दूध। इसके भी निश्चित और अनिश्चित दो भेद हो सकते है। सेर-भर आटा, चार गज़ कपडा तथा पाँच हाथ जमीन आदि **निश्चित परिमाणवाचक** है, तथा और घी, कुछ पानी, थोडा अनाज आदि **अनिश्चित परिमाणवाचक**।

बहुत-से विशेषण ऐसे भी होते है जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनो ही रूपो मे प्रयुक्त होते है। कुछ, सब, थोडे, बहुत आदि ऐसे ही विशेषण है। कुछ रोटियाँ, सब आम, थोडे लडके तथा बहुत घोडे आदि वाक्यो मे 'कुछ', 'सब', 'थोडे' तथा 'बहुत'

ज्ञात हो। जैसे—**काला** जूता, **पीला** कपडा तथा **हरी** पत्ती आदि।

सख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण किसी सज्ञा की सख्या-विपयक विशेपता वतलावे। जैसे—एक आम, दो आदमी।

सख्या कभी तो निश्चित हो सकती है, जैसे—एक, दो, और कभी अनिश्चित हो सकती है जैसे—कुछ या थोडे। इन्ही आधारो पर सख्यावाचक विशेषरण के **निश्चित सख्यावाचक** और **अनिश्चित सख्यावाचक** दो भेद किये जा सकते है।

निश्चित सख्यावाचक विशेपण के पॉच भेद होते है।

(क) गणना वाचक—ये विशेपण वस्तुओ की गिनती वतलाते है। जैसे—**दो** बच्चे, **चार** घोडे, **पांच** किताबे।

गणनावाचक के **पूर्णांक वाचक** (जैसे एक, दो, तीन) और **अपूर्णांक वाचक** (जैसे सवा एक, डेढ, पौने दो) दो भेद होते है।

(ख) क्रम वाचक—ये विशेपण क्रम के अनुसार सज्ञा का स्थान बतलाते है। जैसे **पहला** लडका, **दूसरी** पुस्तक, **तीसरा** मकान।

(ग) आवृत्ति वाचक—ये विशेपण 'गुना' का बोध कराते है, अर्थात् एक वस्तु से दूसरी कै गुनी (कितनी गुनी) है। **दुगुना** पानी, **तिगुना** आटा, **चौगुनी** आय।

(घ) समुदाय वाचक—इस वर्ग के विशेपण गणना-बोधक सख्या के समुदाय का बोध कराते है। जैसे—दोनो आदमी, पांचों लडके, सातो आम।

(ङ) प्रत्येक वाचक—इसके द्वारा कई चीजो मे हर एक

का बोध होता है; जैसे—प्रत्येक आदमी, हर सातवे दिन, प्रति वर्ष ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, **अनिश्चित सख्यावाचक विशेषण** से कोई निश्चित सख्यावाचक बोध नही होता, जैसे—कुछ आम, थोडे आदमी, सब लडके, बहुत पुस्तकें ।

निश्चित संख्यावाचक के अन्तर्गत आने वाले गणनावाचक विशेषण (चार, आठ, बीस आदि) के पूर्व 'लगभग' तथा 'करीब' या बाद मे 'एक' या 'ओ' प्रत्यय लगाने से भी अनिश्चित सख्या वाचक हो जाता है; जैसे—लगभग बीस आदमी, करीब पचास घोडे, सौ-एक कुत्ते, पचीसो स्त्रियाँ । कभी-कभी निकटवर्ती गणनावाचक का समास करके भी अनिश्चित अर्थ प्रकट किया जाता है, जैसे—तीन-चार व्यक्ति, चालीस-पचास पुस्तके ।

परिमाणवाचक विशेषण

जो विशेषण किसी वस्तु की तौल या नाप की विशेषता बतलाए, जैसे—सेर-भर आटा, थोडा दूध। इसके भी निश्चित और अनिश्चित दो भेद हो सकते है। सेर-भर आटा, चार गज कपडा तथा पाँच हाथ ज़मीन आदि **निश्चित परिमाणवाचक** है, तथा और घी, कुछ पानी, थोडा अनाज आदि **अनिश्चित परिमाणवाचक** ।

बहुत-से विशेषण ऐसे भी होते है जो सख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनो ही रूपो में प्रयुक्त होते है। कुछ, सब, थोडे, बहुत आदि ऐसे ही विशेषण है । कुछ रोटियाँ, सब आम, थोडे लडके तथा बहुत घोडे आदि वाक्यो में 'कुछ', 'सब', 'थोडे' तथा 'बहुत'

शब्द संख्यावाचक है, पर कुछ दूध, सब आटा, थोड़ा चूना तथा बहुत पानी आदि वाक्यों में ये सब शब्द परिमाणवाचक है।

सार्वनामिक विशेषण

जो सर्वनाम विशेषण का काम करते है, वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते है। यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि ऐसे ही सर्वनाम हैं। ये शब्द सर्वनाम रूप में प्रयुक्त हुए है या विशेषण रूप में, इसे जानने के लिए हमे यह ध्यान मे रखना चाहिए कि सर्वनाम अकेले आते है, पर विशेषण संज्ञा के साथ। अर्थात् ये शब्द अकेले आयँ तो सर्वनाम होगे और संज्ञा के साथ आएँ तो विशेषण। उदाहरणार्थ—'यह ले लो', 'वह आ रहा है', 'जो चाहे वह जाय', 'कोई कहेगा' तथा 'कुछ जाते है' में ये शब्द सर्वनाम है; पर 'यह सूरत देखो', 'वह मकान गिर रहा है', 'जो आदमी गया था, आ गया', 'कोई आदमी आ रहा है' तथा 'कुछ कुत्ते दौड रहे है' मे विशेषण है।

कुछ सार्वनामिक विशेषण मूल सर्वनामो से बनाये गए है, जिन्हे **साधित सार्वनामिक विशेषण** कहते है, जैसे—यह से ऐसा और इतना, वह से वैसा और उतना, तथा कौन से कैसा और कितना आदि। ऐसा, जैसा, कैसा, वैसा आदि सर्वनाम **प्रकारवाचक** कहे जाते है, क्योंकि इनसे प्रकार का बोध होता है।

विशेषणो के रूप

आरम्भ में कहा जा चुका है कि विशेषण विकारी होते है, अर्थात् विशेषण मे परिवर्तन होता है। उसके रूप बदलते

है । यह रूप का वदलना या परिवर्तन 'लिंग' तथा 'कारक और वचन' इन दो कारणों से होता है।

लिंग के अनुसार किसी विशेषण के बलदने का आशय है उसका पुल्लिग और स्त्रीलिग रूप होना, जैसे—मोटा आदमी, मोटी औरत । इस प्रकार का लिंग-परिवर्तन अधिकतर केवल ऐसे विशेषणो में होता है जिनके अन्त में 'आ' होता है, जैसे—वडा, मोटा, खोटा, नन्हा, बुरा, अच्छा, लम्बा, ताजा, कडा तथा हरा आदि। ये आकारान्त शब्द पुल्लिग होते हैं और इनके अन्त के 'आ' के स्थान पर ई (वडी, मोटी, खोटी आदि) कर देने से ये स्त्रीलिंग हो जाते है । अन्य विशेषण, जिनके अन्त में 'आ' नही रहता, प्रायः दोनो लिंगो में एक-से रहते है, जैसे—चतुर पुरुष, चतुर स्त्री, भरी वाल्टी, भारी वरतन, जडाऊ आभूषण, जडाऊ चूडी आदि।

कुछ लोग सस्कृत के व्याकरण के आधार पर आकारान्त से इतर शब्दो में भी परिवर्तन कर लेते है, जैसे—पापी पुरुष, पापिनी स्त्री, सुन्दर पुरुष, सुन्दरी स्त्री, प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभावशालिनी भाषा, साधु पुरुष, साध्वी स्त्री, तथा रूपवान लड़का, रूपवती लड़की आदि । पर इस प्रकार के प्रयोग धीरे-धीरे कम हो रहे है, इन्हे हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नही कहा जा सकता ।

कारक और वचन के कारण भी केवल आकारान्त विशेषणो मे ही परिवर्तन होता है; जैसे—'काला घोडा दौड रहा है', 'काले घोडे दौड रहे है' और 'काले घोडे पर चढो' । यहाँ 'काला' का रूप 'काले' हो गया है । अकारान्त से इतर विशेपण अपरि-

वर्तित रहते है, जैसे—'लाल घोडा दौड रहा है', 'लाल घोडे दौड रहे है' और 'लाल घोडे पर चढो'। ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट है कि आकारान्त विशेषणो के कारक-वचन के कारण रूप-परिवर्तन मे अन्तिम 'आ' का 'ए' हो जाता है। सभी कारको तथा दोनो वचनो के रूप को सक्षेप मे इस प्रकार दिखाया जा सकता है।

कारक		एक वचन	बहु वचन
कर्ता	(विभक्ति रहित)	-आ	-ए
	(विभक्ति सहित)	-ए	-ए
कर्म	(विभक्ति रहित)	-आ	-ए
	(विभक्ति सहित)	-ए	-ए
अन्य सभी कारक		-ए	-ए

यह तो सामान्य नियम है, पर कभी-कभी जब सज्ञा का लोप हो जाता है और विशेषण का ही सज्ञा की तरह प्रयोग होता है तो उसके भी सज्ञा की तरह (देखिए कारक अध्याय) रूप चलते तथा कारक-चिह्न लगाए जाते है, जैसे—'नीचो को कोई नही पूछता' वाक्य मे 'नीच व्यक्तियो' मे सज्ञा (व्यक्तियो) का लोप होने से विशेषण (नीच) का रूप परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार 'विद्वानो की सर्वत्र उन्नति होती है', 'स्वयम्वर मे सुन्दर और असुन्दर सभी प्रकार के राजकुमार आये, सुन्दरो का आदर हुआ, असुन्दरो को किसी ने पूछा भी नही', तथा 'वीरो के हृदय मे कायरता नही होती' आदि वाक्यो मे सज्ञा के लोप के कारण विद्वान्, सुन्दर, असुन्दर तथा वीर आदि शब्दो

के रूपो मे सज्ञा की भाँति परिवर्तन हुए है।

विशेषणो की तुलना

दो वस्तुओ के गुणो (या अवगुणो) के मिलान को तुलना कहते है। 'सीता राधा से अधिक सुन्दर है' वाक्य में सीता और राधा के सौंदर्य की तुलना है, या 'कल्लू बटोही से अधिक कुरूप है' वाक्य में कल्लू और वटोही के अवगुणो की तुलना है।

तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएँ हो सकती है—

(क) मूल अवस्था—इसमें तुलना के भाव का अभाव रहता है। केवल किसी में किसी गुण या अवगुण के होने का उल्लेख करते है, जैसे—हरीश सुन्दर है।

(ख) उत्तर अवस्था—इसमे दो में तुलना रहती है; जैसे—हरीश दिनेश से सुन्दर है।

(ग) उत्तम अवस्था—इसमे किसी को एक से नही वल्कि अनेक से वढकर कहते है, जैसे—हरीश स्कूल में सवसे सुन्दर है।

मूल अवस्था मे तो केवल विशेषण रख दिए जाते है। कभी सज्ञा के पूर्व (सुन्दर लड़का आ रहा है) और कभी वाद (वह लडका सुन्दर है) मे। पर उत्तर तथा उत्तम के लिए तुलना का भाव स्पष्ट करने के लिए कुछ और शव्दो के प्रयोग की आवश्यकता पडती है। उत्तर अवस्था या दो की तुलना के लिए अधिकतर अपादान कारक का चिह्न 'से' का प्रयोग होता है। राम मोहन से अच्छा

१ प्राचीन साहित्य में 'से' के स्थान पर 'तें' का प्रयोग मिलता है।

है। हाथी घोडे से भारी है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक की तुलना दूसरे से करनी होती है तो पहले (एक) को अपादान कारक मे रखते है और उसके बाद 'से' रखते है। इसके अतिरिक्त 'से अधिक' (वह तुमसे अधिक बडा है), से ज्यादा, से भी अधिक (जोर देने के लिए—वह तुमसे भी अधिक बडा है), से कम, से भी कम, से कुछ कम, 'की अपेक्षा' (राम मोहन की अपेक्षा तेज है), 'की बनिस्बत', 'से कही' (वह तुमसे कही सुन्दर है तथा वह राम की बनिस्बत अच्छा है), से बढकर (राम तुमसे बढकर है) आदि और भी शब्द-समूह या शब्द प्रयोग मे आते है।

उत्तम अवस्था मे उत्कृष्टता, हीनता या किसी भी विशेषता मे किसी सज्ञा को बहुतो से बढकर दिखाते है। इसके दो रूप हो सकते है—

(क) सापेक्ष–जिसमे दूसरो की तुलना मे विशेषता अधिक हो, जैसे—'वह सबसे सुन्दर है।'

(ख) निरपेक्ष—जिसमें बिना दूसरो की तुलना के ही विशेषता का आधिक्य दिखाया हो, जैसे—'वह बहुत ही सुन्दर है।'

'सापेक्ष' के लिए 'सबसे' (जैसे वह सबसे सुन्दर है) या 'सब' के बाद जिसकी तुलना मे विशेषता दिखानी हो उसका अपादान कारक बहुवचन का रूप रखकर 'से' का प्रयोग करते है; जैसे—वह सब लडको से अच्छा है। 'सब' के स्थान पर जोर देने के लिए 'सभी' का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे—वह सभी लडको से अच्छा है (या बुरा है)।

कभी-कभी अपादान कारक के स्थान पर अधिकरण का भी प्रयोग करते है, जैसे—वह सब लडको मे अच्छा है, या सभी लडको मे अच्छा है।

सस्कृत में तुलना में विशेषता अधिक दिखाने के लिए '-तर' (अधिकतर, उच्चतर, गुरुतर, महत्तर) तथा विशेषता सबसे अधिक दिखाने के लिए '-तम' (उत्तम, उच्चतम, महत्तम) विशेषण के बाद जोडने का नियम है। हिन्दी में केवल कुछ ही शब्दो मे इस नियम का पालन होता है, और इस प्रकार बने हुए शब्दो का प्रयोग भी प्राय केवल सस्कृत-मिश्रित हिन्दी मे होता है।

विशेषणो का आधार

कुछ शब्द तो मूलत विशेषण होते ही है, जैसे—बडा, अच्छा, उच्च आदि। पर कुछ सज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के आधार पर बनाये जाते है। यहाँ उनके उदाहरण अलग-अलग दिये जा रहे है।

(क) सज्ञा के आधार पर

१ व्यक्तिवाचक सज्ञा से—'बम्बई' से बम्बइया, 'मद्रास' से मद्रासी, 'अमेरिका' से अमरीकी, 'गाजीपुर' से गाज़ीपुरी, 'मुरादाबाद' से मुरादाबादी तथा 'रामानन्द' से रामानन्दी आदि।

२ जातिवाचक संज्ञा से—'रूपा' से रुपहला, 'सोना' से सुनहरा, 'पानी' से पनीला, 'पशु' से पाशविक, 'कागज़' से कागजी, 'किताब' से किताबी और 'घर' से घरेलू आदि।

३ भाववाचक संज्ञा से—'न्याय' से न्यायी, 'धर्म' से धार्मिक, 'कृपा' से कृपालु, 'वर्ष' से वार्षिक, तथा 'सप्ताह' से साप्ताहिक आदि।

(ख) सर्वनाम के आधार पर

यो तो जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनामो को छोडकर सभी अन्य सर्वनामो का प्रयोग विशेषण-सा होता है, पर कुछ सर्वनामो के आधार पर नये विशेषण भी बनाये गए हैं, जैसे—

सर्वनाम	विशेषण		
	प्रकारवाचक	संख्यावाचक	परिमाणवाचक
यह	ऐसा	इतने	इतना
वह	वैसा	उतने	उतना
कौन	कैसा	कितने	कितना
जो	जैसा	जितने	जितना

(ग) क्रिया के आधार पर

क्रिया	विशेषण	
चलना	चलता	(चलता घोडा)
		(चलती गाडी)
	चालू	(चालू सिक्का)
बढना	बढता	(बढता खर्च)

बीतना	बीता	(बीता समय)
जाना	गया	(गया समय)
भागना	भग्गू, भगोडा	(भगोडा सिपाही)

'वाला' लगाकर भी क्रिया से विशेषण बनाये जाते हैं; जैसे—'दौडना' से 'दौडने वाला', 'हँसना' से 'हँसने वाला' तथा 'करना' से 'करने वाला' आदि।

७. क्रिया

'क्रिया' वह विकारी शब्द है, जिससे किसी का कुछ करना या होना ज्ञात हो, जैसे—'राम दौडता है' वाक्य में राम के दौडने का भाव तथा 'ग्राम मेज पर है' वाक्य मे ग्राम के मेज पर होने का भाव मालूम होता है।

हम जब कोई बात करते है तो उसमें मुख्य शब्द क्रिया ही रहती है। बिना क्रिया के हम अपने भाव प्रकट कर ही नही सकते। दूसरे शब्दो में बिना क्रिया के वाक्य हो ही नही सकते। सामान्य भाषा मे ऐसे बहुत-से वाक्य या बातचीत के अश दिखाई पडते है जिनमें क्रिया का बोधक कोई शब्द नही होता, जैसे—

(क) मोहन—राम, क्या तुम घर जाओगे ?

राम—हां।

(ख) उनसे यह कहने की आवश्यकता नही।

यहां पहले उदाहरण मे राम ने केवल 'हां' कहा है। इसी प्रकार दूसरे में भी क्रिया नही है। पर इसका अर्थ यह नही कि

यहाँ क्रिया है ही नही। है, पर प्रत्यक्ष नही। 'हाँ' का अर्थ है 'हाँ चलूँगा' और 'आवश्यकता नही' का अर्थ है 'आवश्यकता नही है'। इसका आशय यह है कि वाक्य मे जहाँ क्रिया नही भी दिखाई पडती वहाँ उसका छिपा हुआ अस्तित्व रहता है और सुनने या पढने वाला उस छिपे अस्तित्व के आधार पर ही उसका अर्थ समझता है।

धातु

क्रिया का मूल 'धातु' है। 'धातु' उस अश को कहते है जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपो में पाया जाय। उदाहरण के लिए चला, चलो, चलूँ, चलो, चलते, चले, चलूँगा, चलेंगे, चलेंगी आदि एक ही क्रिया के रूप है। यदि ध्यान दें तो ज्ञात हो जायगा कि इन सभी रूपो में 'चल्' अंश विद्यमान है। इस 'चल्' में ही 'आ', 'ई', 'ऊँ', 'ओ' आदि जोडकर विभिन्न रूप बनाये गए हें। अतएव इन क्रिया-रूपो या इस क्रिया का आधार 'चल्' धातु है। इसी प्रकार देख् (देखा, देखी, देखेंगे, देखते), खा (खा, खाया, खाई, खाते), पा (पाना, पाया, पाता, पाएँगे) आदि भी धातुएँ है।

क्रिया का सामान्य रूप जो पुस्तको या कोशो मे मिलता है, धातु में 'ना' जोडकर बनाया जाता है, जैसे—चलना, देखना, खाना, पाना आदि। इन सामान्य रूपो मे से 'ना' निकालकर भी धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है।

क्रिया के मूल रूप या धातु के अर्थ मे 'ना' वाले रूप ही प्रचलित है। अत समझने में सरलता के लिए इस पुस्तक मे उन्ही

का प्रयोग किया गया है। जहा भी धातु रूप मे ये 'ना' वाले रूप दिये गए है, प्रयोग की दृष्टि से उन्हे 'ना' निकालकर ही धातु मानना चाहिए।

धातु के भेद

व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है—

(क) मूल धातु—जो किसी दूसरी धातु या शब्द के आधार पर न बनी हो, जैसे–खाना, देखना, पीना आदि।

(ख) यौगिक धातु–जो किसी दूसरे शब्द के योग से या आधार पर बने; जैसे 'खाना' से खिलाना, 'देखना' से दिखाना, 'रग' से रँगना, और 'अपना' से अपनाना आदि। यौगिक धातु को कुछ लोग **साधित धातु** भी कहते है।

यौगिक धातु तीन प्रकार की होती है—

१ **प्रेरणार्थक धातु**–किसी धातु मे कुछ जोडकर कभी-कभी नई धातु बना ली जाती है, जिसमे प्रेरणा का भाव रहता है, जैसे—'करना' से 'करवाना'। 'मै काम करता हूँ' और 'मै नौकर से काम करवाता हूँ' इन दोनो वाक्यो के अर्थ पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा कि दूसरे मे प्रेरणा देने का भाव है। 'देखना' से 'दिखवाना', 'कूदना' से 'कुदवाना' तथा 'भूँजना' से 'भुँजवाना' इसी प्रकार प्रेरणार्थक धातु है।

आना, जाना, सकना, होना तथा पाना आदि कुछ धातुओ को छोडकर प्राय सभी धातुओ से प्रेरणार्थक धातुएँ बनती है। प्रेरणार्थक धातुएँ दो प्रकार की होती है, जैसे—'गिरना' से

'गिराना' और 'गिरवाना'। 'गिराना' और 'गिरवाना' दोनो ही प्रेरणार्थक धातुएँ है, पर प्रायः पहली (गिराना) का प्रयोग सकर्मक क्रिया के रूप में तथा दूसरी का प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में होता है, जैसे—'मैने पानी गिराया' तथा 'मैने नौकर से पानी गिरवाया'।

मूल धातु से प्रेरणार्थक बनाने के प्रधान नियम इस प्रकार है—

(क) मूल धातु (सामान्यतः प्रचलित धातु का अन्तिम 'ना' निकालकर) में 'आ' जोडने से प्रथम प्रेरणार्थक और 'वा' जोडने से दूसरा प्रेरणार्थक बनता है—

मूल धातु	प्रथम प्रेरणार्थक	द्वितीय प्रेरणार्थक
सुन-ना	सुना-ना	सुनवा-ना
पढ-ना	पढा-ना	पढवा-ना
चल-ना	चला-ना	चलवा-ना
गिर-ना	गिरा-ना	गिरवा-ना
फैल-ना	फैला-ना	फैलवा-ना

(ख) दो अक्षरो के धातु में 'ए' या 'औ' को छोडकर आदि के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके तथा 'आ', 'वा' जोडकर—

जाग-ना	जगा-ना	जगवा-ना
जीत-ना	जिता-ना	जितवा-ना
डूब-ना	डुबा-ना	डुबवा-ना

(ग) एकाक्षरी धातुओ मे 'ला' और 'लवा' लगाते है। साथ ही दीर्घ का ह्रस्व 'ए' का 'इ' तथा 'ओ' का 'उ' कर देते है।

पी-ना	पिला-ना	पिलवा-ना
छू-ना	छुला-ना	छुलवा-ना
दे-ना	दिला-ना	दिलवा-ना
सो-ना	सुला-ना	सुलवा-ना

बहुत-सी धातुओ के रूप नियमानुसार न चलकर अपवाद भी होते हे, जैसे—डूबना, डुबोना (डुबाना भी होता है), डुबवाना या भीगना, भिगोना (भिगाना भो) भिगवाना तथा खाना खिलाना, खिलवाना आदि।

२. **नाम धातु**—धातुओ के अतिरिक्त अन्य शब्दो के आधार पर बनने वाली धातुएँ नाम धातु कहलाती है, जैसे—'हाथ' से हथियाना, 'दुख' से दुखाना तथा 'बदल' से बदलना आदि। इस वर्ग की धातुओ को प्रमुख तीन वर्गों मे रखा जा सकता है—

(क) सज्ञा के आधार पर—जैसे—'हाथ' से हथियाना, 'बात' से बताना, 'खर्च' से खर्चना, तथा 'दाग' से दागना।

(ख) विशेषण के आधार पर—जैसे—'चिकना' से चिकनाना, 'सुधर' से सुधराना, 'आधा' से अधियाना, तथा 'दोहरा' से दोहराना आदि।

(ग) अव्यय के आधार पर—जैसे—'ऊपर' से उपराना।

३ **अनुकरण धातु**—ध्वनि या दृश्य आदि के अनुकरण के आधार पर भी बहुत-सी धातुएँ बन गई है, जैसे—'खटखट' से खटखटाना, 'फटफट' से फटफटाना, 'भनभन' से भनभनाना, 'थरथर' से थरथराना, 'ठकठक' से ठकठकाना, या 'चमचम' से चमचमाना आदि।

[कुछ लोग धातु का एक चौथा भेद 'संयुक्त धातु' भी मानते है, जैसे—'मै वडा हो गया' में 'होना' और 'जाना' का एक स्थान पर प्रयोग है। इसे सयुक्त धातु न मानकर सयुक्त क्रिया मानना अधिक ठीक होगा। करने लगना, जा सकना, मार देना आदि इसी प्रकार के उदाहरण है।]

सकर्मक, अकर्मक तथा उभयविध

क्रिया या धातु की वनावट या व्युत्पत्ति की दृष्टि से ऊपर भेद दिये गए है। एक और दृष्टि से भी इसके भेद किये जा सकते हैं। कुछ क्रियाओ से होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर दूसरी वस्तु पर पडता है। 'मैने उसे मारा' वाक्य में कर्ता 'मै' है, पर 'मैं' द्वारा किये गए व्यापार (मारना) का फल 'उस' पर पडा। इसी प्रकार 'राम ने सिनेमा देखा' में देखने का फल 'सिनेमा पर पडा'। इस प्रकार की क्रियाएँ **सकर्मक** कही जाती हैं। इनके लिए कर्म (जिस पर क्रिया का फल पडे) का होना आवश्यक है। मै पत्र लिखता हूँ, वह दूध पीता है तथा हरि अखवार पढता है, आदि वाक्यो में क्रिया का फल पत्र दूध, अखबार, पर पडता है, अत ये कर्म है और लिखना, पीना, पढना क्रियाएँ सकर्मक है। कर्म के साथ होने के कारण ही इन क्रियाओ को 'सकर्मक' कहते है।

दूसरी क्रियाएँ **अकर्मक** होती है। इनमें कर्म की आवश्यकता नही पडती। 'राम वैठा है', 'वह दौडता है', 'तुम हँसते हो' तथा 'गाडी चली' आदि वाक्यो मे क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त और किसी पर नही पडता। यहाँ कर्म की आव-

श्यकता नही, अत बैठना, दौडना, हँसना तथा चलना आदि अकर्मक क्रियाएँ है।

सकर्मक और अकर्मक क्रियाओ की पहचान 'क्या', 'किसे' या 'किसको' आदि प्रश्न पूछने से हो जाती है। अगर कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है और नही तो अकर्मक। उदाहरणार्थ–मारना, खाना, पढना से 'क्या' या 'किसे' प्रश्न पूछा जाय तो कुछ उत्तर मिलेगा, जैसे–राम को मारा, खाना खाया, किताब पढी। अतएव ये सकर्मक क्रियाएँ है। दूसरी ओर हँसना, चलना या बैठना आदि से इस प्रकार का कोई उत्तर नही मिलेगा, अत ये अकर्मक है।

कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक दोनो होती है। उनका प्रयोग देखकर ही उन्हे अकर्मक कहा जा सकता है। खुजलाना, भरना, भूलना, घिसना, ऐंठना, बदलना, ललचाना तथा घबराना आदि धातुएँ ऐसी ही है। इनमे कुछ के दोनो प्रकार के प्रयोग दिये जा रहे है—

'खुजलाना'––अकर्मक–मेरा सिर खुजलाता है।
सकर्मक—मै अपना सिर खुजलाता हूँ।

'भरना'—अकर्मक—घडा भरता है।
सकर्मक—मै घडा भरता हूँ।

'घिसना'—अकर्मक—छडी घिसती है।
सकर्मक– मै चन्दन घिसता हूँ।

इस प्रकार की धातुएँ, जिनका प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनो रूपो में हो सकता है, **उभयविध धातु** कहलाती है।

निष्कर्ष यह निकला कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया या धातु के **अकर्मक**, **सकर्मक** तथा **उभयविध** तीन भेद होते हैं।

अकर्मक क्रियाओ में प्राय जैसा कि ऊपर हम लोगो ने देखा, कभी-कभी तो पूरा अर्थ 'कर्ता' से ही प्रकट हो जाता है, जैसे—'वह हँसता है'। पर कभी-कभी विशेषण लगाने की आवश्यकता पडती है, जैसे—'वह अच्छा है'। इसमें 'अच्छा' विशेषण लगाया गया है। इस प्रकार के विशेषण **'पूरक'** या **'पूर्ति'** कहे जाते हे। जिन अकर्मक क्रियाओ के साथ इस प्रकार के पूरको की आवश्यकता होती है उन्हे **अपूर्ण अकर्मक क्रिया** कहते हे। होना, रहना, वनना, निकलना आदि इसी प्रकार की क्रियाएँ हे। इस दृष्टि से सभी सकर्मक क्रियाएँ अपूर्ण हे, क्योकि उनको पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। कुछ लोग इसी आधार पर सकर्मक क्रिया के कर्म को भी पूरक कहते हैं।

कुछ अकर्मक धातुओ मे कुछ परिवर्तन करके उन्हे सकर्मक वना लेते हे। इसके लिए कभी तो प्रथम ह्रस्व स्वर को दीर्घ (जैसे—'मरना' से मारना, 'कटना' से काटना), कभी द्वितीय ह्रस्व स्वर को दीर्घ (जैसे 'निकलना' से निकालना, 'उखडना' से उखाडना), कभी इ को ए (जैसे 'फिरना' से फेरना, 'दिखना' से देखना), तथा उ को ओ (जैसे 'मुडना' से मोडना, 'खुलना' से खोलना) कर देते हे। कभी-कभी इस प्रकार के स्वर-सम्बन्धी परिवर्तनो के अतिरिक्त व्यजनो में भी परिवर्तन (जैसे—ट का ड, छूटना से छोडना, ट का त तथा ड, टूटना को तोडना) करते हैं।

क्रिया का रूपान्तर

क्रिया विकारी शब्द है। सज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण की भाँति इसके रूपो में भो विकार या परिवर्तन होते है। ये परिवर्तन १ वाच्य, २ अर्थ, ३ पुरुष, ४ लिंग, ५ वचन तथा ६ काल के कारण होते है। नीचे इन पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

वाच्य

'वाच्य' क्रिया का वह रूप है, जिससे किसी वाक्य मे कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता के विधान का पता चलता है, जैसे—'मै रोटी खाता हूँ', 'रोटी खाई जाती है', 'मुझसे खाया नही जाता'। इन तीन वाक्यो में पहले मे 'मै' (कर्ता) की प्रधानता है, दूसरे में रोटी (कर्म) की, और तीसरे में खाये जाने (भाव) की। दूसरे शब्दो मे पहले मे बल कर्ता पर, दूसरे मे कर्म पर, और तीसरे मे भाव पर है। जिस क्रिया मे कर्ता की प्रधानता हो उसे **कर्तृवाच्य**, जिसमे कर्म की प्रधानता हो उसे **कर्मवाच्य** और जिममें भाव की प्रधानता हो उसे **भाववाच्य** कहते है।

कर्तृवाच्य का ही प्रमुख रूप से हिन्दी मे प्रयोग होता है। कर्म-वाच्य केवल उन स्थलो पर प्रयुक्त होता है जहाँ कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो या वह ज्ञात न हो। जैसे—'लडाई मे सभी सिपाही मारे गए' यहाँ बल मारे जाने वाले सिपाहियो पर है, अत कर्ता को प्रकटकरने की आवश्यकता नही। 'मेरा

सामान रेल से चोरी चला गया' में कर्ता ज्ञात नही है। 'मैंने किताब पढ़ी जैसे—वाक्यो को कुछ लोग 'मैं' पर बल होने, या मैं की प्रधानता के कारण कर्तृवाच्य कहते है। पर दूसरी ओर इस प्रकार के वाक्यो में क्रिया कर्म के अनुसार होती है (जैसे मैंने समाचार-पत्र पढा), अतएव इस आधार पर कर्म की प्रधानता मानकर कुछ लोग कर्मवाच्य कहते है। क्रिया इसमें कर्म के अनुसार है तो, पर यदि बिना उतार-चढाव के इस वाक्य को कहा जाय तो 'मैं' पर ही बल है। एक बात और। यह वाक्य 'मै किताब पढता हूँ' (वर्तमान) या 'मै किताब पढूँगा' (भविष्य) का भूतकाल-मात्र है। ये दोनो (वर्तमान तथा भविष्य के) वाक्य कर्तृवाच्य है, फिर केवल काल-परिवर्तन से भूतकाल के वाक्य का वाच्य-परिवर्तन भी हो जायगा, यह मानना उचित नही जान पडता, अत 'ने' वाले वाक्य भी कर्तृवाच्य ही माने जाने चाहिएँ।

भाववाच्य का प्रयोग बहुत कम होता है। प्रमुखत असमर्थता पर बल देने के लिए ही ऐसे प्रयोग किये जाते है। इनमें क्रिया का फल किसी पर पडे या नही, उस पर ध्यान नही जाता। जैसे—'बुढापे के कारण अब खाया नही जाता', 'बीमारी के कारण मुझसे चला नही जाता', 'दु ख के कारण अब जिया नही जाता', या 'परिवार के सभी लोगो के मर जाने के कारण अब इस मकान में रहा नही जाता' आदि।

कर्तृवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यो में सकर्मक-अकर्मक

दोनो धातुओ का तथा कर्मवाच्य मे केवल सकर्मक का प्रयोग किया जाता है।

अर्थ

क्रिया के वे रूप, जिनसे कहने वाले के भाव (या व्यापार की रीति) का बोध होता है, अर्थ कहे जाते है, जैसे—'तुम घर जाओ' (आज्ञा), या 'वह दौड रहा है' (निश्चय)।

हिन्दी में क्रियाओ के प्रमुख अर्थ पाँच है--

(१) निश्चयार्थ—जिससे निश्चित बात की सूचना मिले; जैसे–वह मर गया, मै खा रहा हूँ, या कल मै स्कूल नही जाऊँगा। निश्चयार्थ का प्रयोग सबसे अधिक होता है।

(२) सम्भावनार्थ--इससे अनुमान, इच्छा, कर्तव्य तथा आशीर्वाद आदि प्रकट होता है, जैसे—सम्भव है आज आँधी आए (सम्भावना), तुम उन्नति करो (इच्छा), विद्यार्थियो को चाहिए कि वे पढने मे ध्यान दे (कर्तव्य) आदि।

(३) सन्देहार्थ--जिससे सन्देह प्रकट हो, जैसे—वह शायद ही आता हो।

(४) आज्ञार्थ—जिसमे आज्ञा, उपदेश तथा निपेध आदि का भाव हो, जैसे–तुम अभी जाओ (आज्ञा), वडो की आज्ञा मानो (उपदेश) तथा अधिक खटाई न खाओ (निपेध) आदि।

(५) सकेतार्थ–जिसमे सकेत या शर्त का वोध हो, जैसे–यदि वह आता तो मै जाता।

पुरुष

सर्वनाम के अध्याय में हम लोग देख चुके है कि पुरुष तीन होते हैं—उत्तम (मैं, हम), मध्यम (तू, तुम), अन्य (वह, वे)। इन तीनो के अनुसार क्रिया के रूपो में भी भेद होता है, जैसे—मैं पढता हूँ (उत्तम), तुम पढते हो (मध्यम), तथा वह पढता है (अन्य)। आप (मध्यम पुरुष, आदरार्थ) के साथ सामान्यत अन्य पुरुष बहु वचन की क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे—आप जाते हैं, आप जायँ, आप गये, आप पढेंगे आदि, किन्तु कुछ कालो में इसके आज्ञार्थ के रूप अलग भी (आप चलिए, आप खाइए, आप लीजिए) होते है।

लिंग

पीछे लिंग पर विचार करते समय कहा गया है कि हिन्दी में दो लिंग होते हैं—स्त्रीलिंग और पुल्लिग। सस्कृत तथा अग्रेज़ी आदि बहुत-सी भाषाओ की क्रिया के रूप लिंग के कारण नही बदलते, पर हिन्दी में बदलते हैं, जैसे—राम जा रहा है, सीता जा रही है। इस प्रकार **प्राय सभी** क्रिया रूपो के स्त्रीलिंग [जिसमें 'ई' (एक वचन) या ईं (बहु वचन) आती हैं] और पुल्लिग [जिसमें आ (एक वचन) और ए (बहु वचन) आते हैं] दोनो रूप होते हैं।

वचन

वचन के कारण भी क्रिया में रूपान्तर होता है। वचन दो हैं—एक वचन और बहु वचन। इन दोनो के लिए अलग-अलग

रूप होते हैं, जैसे—मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, वह पढेगा, वे पढेंगे, वह गया, वे गये आदि।

काल

'काल' क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं जिसके कारण क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है। जैसे—'वह गया था' वाक्य मे 'गया था' से क्रिया के बीते हुए काल में हो जाने का पता चलता है और 'वह जा रहा है' मे क्रिया से वर्तमान काल मे कार्य होने पर अभी तक पूर्ण न होने का बोध होता है।

काल तीन है—**वर्तमान, भूत और भविष्य** (या भविष्यत्)। **वर्तमान** से चल रहे समय का, **भूत** से बीते हुए समय का और **भविष्य** से आने वाले समय का बोध होता है। पूर्णता, अपूर्णता तथा अर्थ आदि के आधार पर इन तीनो के और भी भेद होते हैं।

वर्तमान काल—१ सामान्य वर्तमान, २ सन्दिग्ध वर्तमान, ३ अपूर्ण वर्तमान, ४ वर्तमान आज्ञार्थ, ५ सम्भाव्य वर्तमान।

भूत काल—१ सामान्य भूत, २ आसन्न भूत, ३ पूर्ण भूत, ४ अपूर्ण भूत, ५ सन्दिग्ध भूत, ६ हेतुहेतुमद्भूत, ७ पूर्ण सकेतार्थ, ८ अपूर्ण सकेतार्थ, ९ सम्भाव्य भूत।

भविष्यत् काल—१ समान्य भविष्य, २ सम्भाव्य भविष्य, ३ भविष्य आज्ञार्थ।

उपर्युक्त छ (वाच्य, अर्थ, पुरुष, लिंग, वचन, काल) के

आधार पर क्रिया के रूप बदलते है। रूपो का बदलना तथा एक से अधिक रूपो के आधार पर क्रिया का निर्माण समझने के लिए कुछ और बातें भी समझ लेनी आवश्यक है, यहाँ पहले उन्ही का विवेचन किया जाता है।

कृदन्त

क्रिया के जिन रूपो का उपयोग दूसरे शब्द-भेदो (सज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण आदि) के समान होता है, उन्हे 'कृन्दत' कहते है, जैसे—'दौडना' धातु से 'दौड़ता' (दौडता बैल—इसमें 'दौडता' विशेषण का कार्य कर रहा है) या 'दौड़ना' (दौडना अच्छा है, इसमे 'दौडना' सज्ञा है) आदि।

कुछ कृदन्तो का रूपान्तर होता है, इसीलिए उन्हे **विकारी कृन्दत** कहते है, जैसे—**चलता** बैल, **चलती** गाड़ी, **चलते** घोडे। कुछ का रूपान्तर नही होता। इन्हे **अविकारी कृदन्त** कहते है, जैसे—राम **देखकर** गया, सीता **खाकर** आई।

कृदन्तो के मुख्य भेद निम्नलिखित है—

(१) क्रियार्थक सज्ञा—अर्थात् क्रिया का अर्थ बताने वाली सज्ञा। मूल धातु में 'ना' जोडकर यह बनाई जाती है। धातु का 'ना'-युक्त प्रचलित रूप, जो कोषो तथा व्याकरण में मिलता है, क्रियार्थक सज्ञा ही है, जैसे—दौडना, भागना, मरना, हँसना आदि। ये सब सज्ञाएँ है पर क्रिया का अर्थ बतलाती है। क्रियार्थक सज्ञा का प्रयोग सज्ञा और विशेषण दोनो अर्थों में होता है।

सज्ञा रूप मे प्रयुक्त होने पर इसे पुल्लिग एक वचन मानते है, जैसे–'दौडना अच्छा है' या 'बहुत हँसना बुरा है'। कारक चिह्नो के साथ प्रयोग करने के लिए अन्तिम 'ना' का 'ने' कर देते है, जैसे 'दौडने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है' या 'लडने मे क्या रखा है ?'

क्रियार्थक सज्ञा का प्रयोग जब विशेषण रूप मे होता है तो–

(क) यदि अकर्मक क्रिया से वह क्रियार्थक सज्ञा बनी है तो उसका रूप पूरक के लिंग और वचन के अनुसार होता है, जैसे–'बात होनी है', 'बाते होनी है', 'काम होना है', 'काम होने है'।

(ख) यदि सकर्मक क्रिया से वह क्रियार्थक सज्ञा बनी है तो उसका रूप कर्म के अनुसार होता है, जैसे—'पत्र पढना है', 'ये पत्र पढने है', 'पुस्तक पढनी है', 'ये पुस्तके पढनी है'।

(२) कर्तृवाचक सज्ञा—किसी क्रिया के आधार पर बनी ऐसी सज्ञा, जो कर्ता का अर्थ व्यक्त करे। मूल धातु मे (अर्थात् धातु के प्रचलित रूप मे से 'ना' निकालकर) '–ने वाला' जोडकर यह बनाई जाती है। जैसे—करने वाला, हँसने वाला, रोने वाला आदि। कर्तृवाचक सज्ञा के रूप अन्य आकारान्त हिन्दी सज्ञाओ के अनुरूप ही लिंग, वचन तथा कारक की आवश्यकतानुकूल बदलते है। जैसे—'दौडने वाले ने बाजी जीत ली', 'दौडने वाले को मारो', 'दौडने वाली आ रही है' तथा 'दौडने वाले का पैर टूट गया' आदि।

(३) वर्तमानकालिक कृदन्त—धातु के अन्त में '—ता' जोडकर यह बनाया जाता है। जैसे—खाता, पीता, चलता आदि। इसे **अपूर्ण कृदन्त** भी कहते हैं। विशेषण की तरह यह विशेष्य के वचन, लिंग और कारक के अनुसार बदलता है, जैसे—'दौडता आदमी', 'दौडती कुतिया', 'दौडते घोडे', 'दौडते बैल की', 'दौडते ऊँट पर' तथा 'भागतो के पीछे' आदि।

(४) भूतकालिक कृन्दत—यह धातु मे 'आ' या कभी-कभी 'या' लगाकर बनाया जाता है, जैसे—देख से देखा, लिखना से लिखा, आना से आया, खाना से खाया आदि। भूतकालिक कृन्दत को **पूर्ण कृदन्त** भी कहते है। इसे बनाने के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें याद रखने की है—

(क) धातु के अन्त मे ('ना' हटाने के बाद) अ (वैज्ञानिक दृष्टि से व्यजनान्त) हो, जैसे–देख, चल, हँस, तो 'आ' जोडते है; जैसे—देखा, चला, हँसा।

(ख) धातु के अन्त में आ, ए या ओ हो तो 'या' जोडते है, जैसे—ला—लाया, पा—पाया, खा—खाया, खे—खेया, बो–बोया, डुबो—डुबोया आदि।

(ग) धातु के अन्त में 'ई' हो तो ह्रस्व करके 'या' लगाते हे, जैसे—पी–पिया, सी–सिया, जी–जिया।

(घ) धातु के अन्त में 'ऊ' हो तो ह्रस्व करके–'आ' लगाते हे; जैसे—चू–चुआ, छू–छूआ।

(ङ) कुछ क्रियाएँ नियम-विरुद्ध हे—

हो–हुआ, जा–गया, कर–किया, ले–लिया, दे–दिया।

आकारान्त विशेषण की तरह भूतकालिक कृदन्त का प्रयोग होता है। यह विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता रहता है, जैसे—बोया खेत, बोये खेत, बोई क्यारी। आजकल इस तरह के प्रयोग मे 'हो' धातु के भूतकालिक कृन्दत 'हुआ' को भी सहायक रूप मे लगा देते हैं। जैसे—बोया हुआ खेत, बोये हुए खेत, बोई हुई क्यारी।

(५) पूर्ण क्रिया-द्योतक कृदन्त—भूतकालिक कृन्दत के एकारान्त रूप (बोए, चले, देखे) का यह नाम है। इसमें क्रिया की पूर्णता का द्योतक होता है। जैसे—तुम्हे खेत बोए बहुत दिन हो गए, मुझे घर से चले अभी दो ही दिन हुए, बेचारा भिखारी सडक पर कपडा फैलाए बैठा है। ऐसे प्रयोगो के साथ कभी-कभी 'हो' धातु के भूतकालिक कृदन्त 'हुआ' का एकारान्त रूप 'हुए' भी लगा दिया जाता है, जैसे—तुम्हे खेत बोये हुए बहुत दिन हो गए, या वह पैर लटकाये हुए बैठा है।

(६) पूर्वकालिक कृदन्त—यह कृदन्त धातु के अन्त मे 'के', 'कर' या 'करके' लगाकर बनाया जाता है। यह वाक्य में मुख्य क्रिया के पूर्ववर्ती काल में किये गए कार्य का बोध कराने के कारण पूर्वकालिक कृदन्त कहा जाता है, जैसे—मै खाके आया हूँ, वह देखकर गया है, तुम लेकर के जाना। जैसा कि अभी कहा गया है, 'के', 'कर' 'करके' तीनो ही जोडे जाते है, पर प्राय 'कर' जोडना ही अधिक शुद्ध समझा जाता है। 'कर' क्रिया के साथ 'कर' न जोडकर 'के' जोडते हैं, जैसे—'काम करके जाना'।

७ अपूर्ण क्रिया द्योतक कृदन्त—वर्तमानकालिक कृदन्त (चलता, खाता, जाता) के 'ता' के स्थान पर 'ते' (चलते, खाते, जाते) कर देने से यह कृदन्त बनता है। इससे अपूर्ण क्रिया का द्योतन होने से यह नाम दिया गया है, जैसे–मैंने उसे चलते देखा, दूसरे का अन्न खाते तुम्हे शर्म नही आती, रात में जगल में जाते तुझे डर नही लगता। कभी-कभी अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त के साथ 'हुए' लगाकर भी कहते है, जैसे—रात मे जगल में जाते हुए तुझे डर नही लगता।

८ तात्कालिक कृदन्त–अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त (चलते, खाते) में 'ही' जोडने से यह बनता है, जैसे–चलते ही, खाते ही, गिरते ही। वह **गिरते ही** मर गया। इसमें तत्काल का भाव होने से (गिरते ही) तात्कालिक कृदन्त कहते है।

९ मध्यकालिक कृदन्त—अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त (चलते, खाते, जाते) का दो बार प्रयोग मध्यकालिक कृदन्त हो जाता है। जैसे–चलते-चलते, खाते-खाते, जाते-जाते। 'चलते-चलते मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था', 'स्कूल जाते-जाते मैंने कविता याद कर ली'। यहाँ 'चलते-चलते' या 'जाते-जाते' का अर्थ है चलने या जाने के बीच में।

सामान्य काल, संयुक्त काल, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया,

विभिन्न कालो का प्रयोग करने में कभी तो हमारा काम एक शब्द से चल जाता है और कभी एक से अधिक शब्दो की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ–'राम गया', 'तुम जाओगे', 'मै चलूँ', 'वह जाता है', 'वह चलती थी', 'कृष्ण खाता होगा' ये छ वाक्य

लिये जा सकते हैं। इनमे प्रथम तीन मे 'गया', 'जाओगे', 'चलूँ' क्रियाओ का प्रयोग हुआ है, पर दूसरे तीन मे 'जाता है', 'चलती थी', 'खाता होगा' का प्रयोग हुआ है। कहना न होगा कि प्रथम तीन मे क्रिया मे केवल एक-एक शब्द है। इस प्रकार एक शब्द से बने कालो को **सामान्य काल** कहते है। दूसरे तीन मे एक से अधिक–यहाँ दो–शब्दो का प्रयोग है। अर्थात् काल के भाव को स्पष्ट करने के लिए एक से अधिक शब्दो के योग से क्रिया का निर्माण करना पडा है। चूंकि इस प्रकार की काल-रचना मे एक से अधिक शब्द जोडने पडते है, अत ऐसे कालो को **सयुक्त काल** कहते है।

सयुक्त काल मे दो क्रियाएँ होती है। ऊपर लिखे गए वाक्यो में 'जाता है', 'चलती थी', 'खाता होगा' मे दो क्रियाएँ है। इनमे 'जाता', 'चलती', 'लाता' तो **मुख्य क्रिया** है, क्योकि इनसे बने उपर्युक्त वाक्यो मे इन्ही के भावो पर जोर है, और शेष 'है', 'थी' और 'होगा' का भावो से कोई सम्बन्ध नही। ये सहायक रूप मे काल का वोध कराने के लिए प्रयुक्त हुई है, अतएव इन्हे **सहायक क्रिया** या **सहकारी क्रिया** कहते है। कभी मुख्य क्रिया के साथ एक से अधिक सहायक क्रियाएँ प्रयुक्त होती है, जैसे—'वह आ रहा है' मे 'आ' मुख्य क्रिया है और रहा (रहना) और 'है' (होना) सहायक क्रिया। हिन्दी की मुख्य सहायक क्रियाएँ होना, आना, उठना, करना, चाहना, चुकना, जाना, डालना, देना, रहना, लगना, लेना, पाना, सकना, बनना, बैठना, चलना तथा पडना है। इनमें होना क्रिया का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसके रूप यहाँ दिये जा रहे है।

हो (होना) सहायक क्रिया के रूप

सामान्य वर्तमान

	एक वचन	बहु वचन
१. उत्तम पुरुष	हूँ	हैं
२. मध्यम पुरुष	है	हो
३ अन्य पुरुष	है	हैं

सामान्य भूत

	पु०		स्त्री०	
१.	था	थे	थी	थी
२	था	थे	थी	थी
३	था	थे	थी	थी

सामान्य भविष्य

	पु०		स्त्री०	
१	होऊँगा, हूँगा[1]	होवेंगे,[1] होंगे	होऊँगी, हूँगी[1]	होवेंगी,[1] होंगी
२	होगा, होवेगा[1]	होगे, होओगे[1]	होगी, होवेगी[1]	होगी, होवोगी[1]
३	होगा, होवेगा[1]	होंगे, होवेंगे[1]	होगी, होवेगी[1]	होंगी, होवेंगी[1]

वर्तमान आज्ञार्थ या सम्भावनार्थ

१.	हूँ या होऊँ	हों या होवें
२	हो या होवे	हो या होओ
आदरार्थ (आप)		हों या होइये या होवें या हूजिये[1]
३.	हो या होवे	हों या होवें

१. इन रूपों का प्रयोग अब बहुत कम होता है ।

भूत सम्भावनार्थ

	पु०		स्त्री०	
१	होता	होते	होती	होती
२	होता	होते	होती	होती
३	होता	होते	होती	होती

भविष्य आज्ञार्थ

२ (तू)	होना	(तुम)	होना
आदरार्थ	(आप)	होइएगा,	हूजिएगा[1]

कुछ सहायक क्रियाओ के रूप

सहायक क्रियाएँ जब सहायक क्रिया के रूप मे प्रयुक्त होती है तो अपना मूल अर्थ छोडकर कुछ नया अर्थ देने लगती है। यहाँ प्रमुख सहायक क्रियाओ के सहायक रूप मे कार्य करने पर गृहीत अर्थ दिये जा रहे है। इनमें केवल वे ही क्रियाएँ है जिनका अर्थ सहायक क्रिया होने पर बदल जाता है।

उठना—अचानकता (मुर्दा जी उठा, वह रो उठा, वह चिल्ला उठा)।

करना—अभ्यास (बारह बरस दिल्ली रहे पर भाड हो झोका किये)।

चलना—निश्चय (तुम भी चले चलो)।

चाहना—पूर्णता या समाप्ति (अब वह मरा चाहता है, बारह बजा चाहते है), कर्तव्य या आवश्यकता (मुझे जाना चाहिए)।

जाना—निरन्तरता (वह अब भी रोती जाती है), पूर्णता,

१ इसका प्रयोग कम होता है।

समाप्ति (घर जल गया)।

डालना—समाप्ति (उसने काम कर डाला)।

देना—अनुमति (मुझे भी बोलने दो), समाप्ति (मार दो, फेंक दो)।

पड़ना—आकस्मिकता (बच्चा रो पड़ा), पराधीनता (तुम्हे भी जाना पड़ेगा)।

पाना—अनुमति (क्या मैं भी बोलने पाऊँगा), सामर्थ्य (मै कर पाता तो बताता)।

बैठना—बल (वह मेरा सामान हड़प बैठा), अचानकता (वह कह बैठा)।

मारना—दूसरो के न चाहने पर या अचानक कर बैठना (इसी बीच उसने चिट्ठी लिख मारी)।

रहना—लगातारता (वह पढ़ता रहा, मैं दौड़ता रहा)।

लगना—आरम्भ (मैं स्कूल जाने लगा), असम्भवबोधक (मैं क्यो उनसे बोलने लगूं)।

लेना—समाप्ति, पूर्णता (मैने काम कर लिया)।

संयुक्त क्रिया

ऊपर सामान्य काल और सयुक्त काल के प्रसग में कहा जा चुका है कि जिस काल-रचना में एक से अधिक शब्द जोड़े जायँ उसे सयुक्त काल कहते हैं। सयुक्त काल की क्रिया को ही **सयुक्त क्रिया** कहते हैं। 'वह गया' वाक्य में क्रिया 'गया' है, जो एक शब्द है, अत यह सयुक्त क्रिया नहीं है। पर 'वह जा रहा है' वाक्य में क्रिया 'जा रहा है', जिसमें तीन शब्द (जा, रहा,

रूपो का उपयोग करते है। कृदन्त का '–ता' स्त्रीलिंग में '–ती' और बहु वचन मे '–ते' हो जाता है।

पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मै चलता हूँगा या होऊँगा	हम चलते होगे
२	तू चलता होगा	तुम चलते होगे
३	वह चलता होगा	वे चलते होगे

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१.	मै चलती होऊँगी	हम चलती होगी
२.	तू चलती होगी	तुम चलती होगी
३.	वह चलती होगी	वे चलती होगी

इसका प्रयोग सम्भावना (भूत) के अर्थ मे भी होता है, जैसे–'वह जागता होगा, पर तुम्हारी आहट न मिलने के कारण न बोला होगा'। भविष्य के लिए भी इसका प्रयोग चलता है, जैसे–'जब तुम पहुँचोगे वे जाती होगी'। इस प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान तीनो के लिए यह प्रयुक्त होता है।

अपूर्ण वर्तमान—क्रिया का वह रूप, जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार वर्तमान काल मे हो रहा है, अभी पूरा नही हुआ है, जैसे–'वह खा रहा है'। धातु मे एक वचन के लिए 'रहा', बहु वचन के लिए 'रहे', तथा स्त्रीलिंग के लिए 'रही' जोडकर 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूपो को जोड देते

हैं, जैसे—वह खा रहा है, वे खा रही हे। रूपो की पूरी तालिका इस प्रकार है।

पुल्लिग

	एक वचन	वहु वचन
१	मै चल रहा हूं	हम चल रहे हैं
२	तू चल रहा है	तुम चल रहे हो
३.	वह चल रहा है	वे चल रहे हैं

स्त्रीलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१.	मै चल रही हूँ	हम चल रही हैं
२	तू चल रही है	तुम चल रही हो
३	वह चल रही है	वे चल रही हैं

अपूर्ण वर्तमान का प्रयोग भविष्य के लिए भी होता है, जैसे—'नेहरू जी अगली गर्मियो में यूरोप जा रहे हैं', या 'कल मै वाहर जा रहा हूँ।'

वर्तमान आज्ञार्थ—क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में आज्ञा देने का वोध हो। जैसे—'तुम पढो'। इसका प्रयोग प्रमुखत मध्यम पुरुष में होता है तथा उत्तम पुरुष में इससे आज्ञा का नही, वल्कि अनुमति का भाव निकलता है। जैसे—'मै करूँ' (अर्थात् मै करने की अनुमति चाहता हूँ)। अन्य पुरुष में दोनो ही भाव होते हे। जैसे—'वह करे' (आज्ञा और अनुमति दोनों ही) में। इसे वनाने के लिए उत्तम पुरुष एक वचन में—ऊँ,

बहु वचन मे—एँ, मध्यम पुरुष एक वचन बहु वचन दोनो मे–ओ (कुछ लोग एकवचन मे केवल धातु का प्रयोग करते है। जैसे–तू गा, तू आ, तू चल, तू दे आदि)। मध्यम पुरुष आदरार्थ मे दोनो वचनो मे—'इए', अन्य पुरुष मे एक वचन मे—'ए' और बहु वचन मे—'एँ' जोडते है। लिग के कारण इसके रूपो मे अन्तर नही पडता। आदरार्थ रूपो में कुछ धातुओ के रूप –'जिये' लगाकर तथा धातु मे कुछ परिवर्तन करके भी बनाए जाते है। जैसे–करना से कीजिए, देना से दीजिए, पीना से पीजिए, होना हूजिए, लेना से लीजिए।

पुल्लिग तथा स्त्रीलिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मै चलूं	हम चले
२	तू चल, या चलो, चले	तुम चलो
	आदरार्थ आप चलिये	आप चलिये
३	वह चले	वे चले

कुछ धातुओ के रूपो को असामान्य ढग से बनाना पडता है, जैसे–'देना' क्रिया के रूप बनाने मे ऊँ,-एँ,-ए आदि को 'दे' में न जोडकर 'द' मे जोडना पडता है। दूँ, दे, दे आदि।

सम्भाव्य वर्तमान—इसमे किसी क्रिया के वर्तमान काल मे लगातार होते रहने की सभावना का भाव रहता है। वह चलता हो, अगर वह दीखता हो तो उसे मारो। इसके लिए धातु के वर्तमानकालिक कृदन्त के बाद 'होना' सहायक क्रिया के वर्तमान आज्ञार्थ के रूप रखे जाते है।

पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चलता हूँ या होऊँ	हम चलते हो या होवें
२	तू चलता हो या होवे	तुम चलते हो या होओ
	आप चलते हो या होवें	वही
३.	वह चलता हो या होवे	वे चलते हो या होवें

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चलती हूँ या होऊँ	हम चलती हो या होवें
२ः	तू चलती हो या होवे	तुम चलती हो या होओ
	आप चलती हो या होवें	वही
३	वह दीखती हो या होवे	वे दीखती हो या होवें

सामान्य भूत—भूत काल में कार्य होने का बोध होता है, पर यह पता नही चलता कि कार्य हुए थोडी देर हुई या अधिक, जैसे—मैंने पत्र लिखा।

सामान्य भूत के लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त (जिसके अन्त में '-आ' या '-या' होता है) का प्रयोग होता है। बहु वचन के लिए अन्तिम '-आ' का '-ए' और स्त्रीलिंग एक वचन के लिए '-ई' तथा बहु वचन के लिए '-ईं' हो जाता है।

पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चला	हम चले
२	तू चला	तुम चले

३	वह चला	वे चले

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चली	हम चली, हम चले
२	तू चली	तुम चली
३	वह चली	वे चली

इस काल का प्रयोग भविष्य के लिए भी होता है, जैसे–'यदि मैं गया तो आपका सामान ला दूंगा' यहाँ 'गया' का अर्थ 'जाऊँगा' है। 'तू चला और मैंने मारा' या 'भाई अब मैं चला' मे भी भविष्य का ही भाव है।

इस काल की क्रिया के रूपो मे कुछ और विशेपताएँ स्मरणीय हैं।

(क) यदि क्रिया अकर्मक होगी तो वह कर्ता के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होगी, जैसे–राम गया, राम और मोहन गये, सीता गई।

(ख) यदि क्रिया सकर्मक होगी तो वह कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होगी, जैसे–राम (या सीता) ने रोटी ई, राम (या सीता) ने आम तोडा, राम (या सीता) ने रोटियाँ खाई, राम (या सीता) ने वहुत-से आम तोडे, मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने या उन्होने पेड गिने।

(ग) क्रिया सकर्मक हो, किंतु यदि कर्म के वाद कर्म का कारक-चिह्न 'को' लगा हो (या यदि कारक-चिह्न-रहित सर्व-

नाम कर्म हो) तो क्रिया सर्वदा एक वचन पुल्लिग होगी, जैसे—मैने गदहे को देखा, मैने गदहो को देखा, सीता ने गदहो को देखा, राम ने गदहो को देखा, मैने हाथियो को देखा, मैने हथिनियो को देखा, मैने उसे देखा, हमने उसे देखा, मैने उन्हे देखा, हमने उन्हे देखा, राम ने उसे देखा, सीता ने उन्हे देखा, इत्यादि।

आसन्नभूत—क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि क्रिया का व्यापार भूत काल में शुरू होकर अभी, वर्तमान और भूत की सन्धि पर, या कुछ समय पूर्व समाप्त हुआ है, जैसे—'मैने खाना खाया है'। इस काल का प्रयोग कभी-कभी सुदूर भूत के लिए भी होता है, जैसे—'मैने पिछले महीने (या पिछले वर्ष) ही यूरोप की यात्रा की है।' पर ऐसे स्थलो पर 'कुछ ही दिन पूर्व' या आसन्नता का भाव निहित रहता है। इसका बहुत दूरवर्ती भूत के लिए भी प्रयोग होता है, जैसे—'शेक्सपीयर ने बहुत से नाटक लिखे है।' सामान्य प्रयोग में कार्य की समाप्ति पर ज़ोर देने के लिए 'लेना' या 'चुकना' सहायक क्रिया का प्रयोग करते है, जैसे—'मैने खा लिया है' या 'मै खा चुका हूँ'।

आसन्न भूत के लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त के रूपो को 'हो' सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूपो के साथ जोडते है।

अकर्मक

पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मै चला हूँ	हम चले है

२	तू चला है	तुम चले हो
३	वह चला है	वे चले हैं

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चली हूँ	हम चली (या चले) हैं
२.	तू चली है	तुम चली हो
३.	वह चली है	वे चली हैं

सकर्मक

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१.	मैंने (काम) किया है	हमने (काम) किया है
२	तूने (काम) किया है	तुमने (काम) किया है
३	उसने (काम) किया है	उन्होंने (काम) किया है

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैंने (काम) किया है	हमने (काम) किया है
२	तूने (काम) किया है	तुमने (काम) किया है
३	उसने (काम) किया है	उन्होंने (काम) किया है

सामान्य भूत की तरह आसन्नभूत की क्रिया का रूप बनाने में भी कुछ बातों का ध्यान आवश्यक है—

(क) यदि क्रिया सकर्मक हो तो कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार उसका रूप होगा, जैसे—'मैंने आम खाया

है', 'मैंने बहुत-से ग्राम खाए हैं', 'मैंने रोटी खाई है', 'सीता ने ग्राम खाया है', 'राम ने रोटी खाई है।' 'मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने या उन्होंने रोटी खाई है।'

(ख) यदि क्रिया ग्रकर्मक हो तो कर्ता के पुरुष, लिंग ग्रौर वचन के ग्रनुसार उसका रूप होगा; जैसे—मैं चला हूँ, हम चले हैं, राम चला है, सीता चली है, लड़कियाँ चली हैं, वह चला है, वे चले हैं।

(ग) यदि क्रिया सकर्मक हो ग्रौर कर्म के बाद कारक-चिह्न 'को' लगा हो या कारक-चिह्न रहित सर्वनाम कर्म (उसे, उन्हे) हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिग की होगी, जैसे—मैंने गदहे को देखा है, मैंने गदहो को देखा है, सीता ने गदहो को देखा है, राम ने गदहो को देखा है, मैंने हाथियो को देखा है, मैंने हथिनियो को देखा है, मैंने उसे देखा है, हमने उसे देखा है, मैंने उन्हे देखा है, हमने उन्हे देखा है, राम ने उसे देखा है, सीता ने उन्हें देखा है इत्यादि।

पूर्ण भूत— क्रिया का वह रूप है, जिससे ज्ञात होता है कि कार्य को पूरा हुए कुछ समय बीत गया; जैसे—वह ग्राया था। इसके लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त (जिसके ग्रन्त में '-ग्रा' या '-या' हो) को 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य भूत के रूप से जोड देते हैं, जैसे—वह ग्राया था। पुल्लिग बहु वचन के लिए ग्राया ग्रौर था के 'ग्रा' को 'ए' ग्रौर स्त्रीलिंग एक वचन के लिए 'ई' ग्रौर स्त्रीलिंग बहु वचन के लिए कृदन्त के 'ग्रा' को 'ई' ग्रौर सहायक क्रिया के 'ग्रा' को 'ई' कर देते हैं।

अकर्मक

पुल्लिग

एक वचन	बहु वचन
मैं चला था	हम चले थे
तू चला था	तुम चले थे
वह चला था	वे चले थे

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मै चली थी	हम चली थी
तू चली थी	तुम चली थी
वह चली थी	वे चली थी

सकर्मक

पुल्लिग

एक वचन	बहु वचन
मैने (काम) किया था	हमने (काम) किया था
तूने (काम) किया था	तुमने (काम) किया था
उसने (काम) किया था	उन्होने (काम) किया था

स्त्रीलिग

एक वचन	बहु वचन
मैने (काम) किया था	हमने (काम) किया था
तूने (काम) किया था	तुमने (काम) किया था
उसने (काम) किया था	उन्होने (काम) किया था

अकर्मक, सकर्मक तथा कर्म का चिह्न 'को' या कर्म-विभक्ति-रहित सर्वनाम (उसे, उन्हे) के साथ, पूर्णभूत की क्रिया बनाने मे भी उन्ही बातो का ध्यान रखना चाहिए जो सामान्य भूत और आसन्न भूत के सम्बन्ध में पीछे कही जा चुकी है। कुछ उदाहरण है—मैंने आम खाया है, मैंने बहुत-से आम खाए थे, सीता ने आम खाया है, सीता ने रोटी खाई है, राम ने आम खाया है, राम ने रोटी खाई है, मै चला था, हम चले थे, सीता चली थी, राम और मोहन चले थे, मैंने गदहे को देखा था, मैंने गदहो को देखा था, सीता ने गदहो को देखा था, राम ने गदहो को देखा था, इत्यादि।

पूर्णता पर अधिक बल देने के लिए था, थी, थे आदि सहायक क्रिया के अतिरिक्त 'लेना' या 'चुकना' सहायक क्रिया का भूतकालिक कृदन्त और उसके पूर्व मुख्य क्रिया की धातु का प्रयोग भी करते है, जैसे—मै खा चुका था या मैंने खा लिया था।

अपूर्ण भूत—क्रिया का वह रूप है, जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में आरम्भ हुई, पर बोलने या लिखने वाले का जिस समय की ओर सकेत है, उस समय तक समाप्त नही हुई, जैसे—'वह आता था' या 'वह आ रहा था'। 'वह आता था' जैसे रूपो में, जिसमें '-ता था' होता है, कभी-कभी आदत या अभ्यास का भी आभास मिलता है। अर्थात् उसकी आने की आदत थी पर '-रहा था' वाले रूपो में कार्य की अपूर्णता और होते रहने के भाव का ही संकेत है।

इसके बनाने के लिए '-ना था' वाले रूपों के लिए धातु के वर्तमानकालिक कृदन्त (आता, जाता) तथा 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य भूत के रूपों का सहारा लेते है। 'रहा था' रूपों के लिए अपूर्ण वर्तमान के रूपों में 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूपों (हूँ, है आदि) के स्थान पर सामान्य भूत के रूप (था, थे आदि) लगा देते है।

पुंल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चलता था	हम चलते थे
	मैं चल रहा था	हम चल रहे थे
२.	तू चलता था	तुम चलते थे
	तू चल रहा था	तुम चल रहे थे
३	वह चलता था	वे चलते थे
	वह चल रहा था	वे चल रहे थे

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चलती थी	हम चलती थी
	मैं चल रही थी	हम चल रही थी
२	तू चलती थी	हम चलती थी
	तू चल रही थी	हम चल रही थी
३	वह चलती थी	वे चलती थी
	वह चल रही थी	वे चल रही थी

'-ता था' और '-रहा था' में भाव का एक सूक्ष्म भेद भी किया जा सकता है, जैसे—'मैं चलता था' अर्थात् म चलने को तैयार था, पर 'मैं चल रहा था' अर्थात् सचमुच मैं चल रहा था।

सदिग्ध भूत—क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के व्यापार के भूतकाल में होने का सन्देह या अनिश्चय के साथ उल्लेख हो, जैसे—वह आया होगा। इसका प्रयोग भूतकाल की सम्भावना के लिए भी होता है, जैसे—जब आप सोये होंगे बारह बजता होगा या दो-चार दिन बाद वह मर गया होगा। इसे बनाने के लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त के रूप को 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूप के साथ रख देते है।

अकर्मक

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चला हूँगा या होऊँगा	हम चले होंगे या होवेंगे
२	तू चला होगा या होवेगा	तुम चले होगे या होओगे
३	वह चला होगा या होवेगा	वे चले होंगे या होवेंगे

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चली हूँगी या होऊँगी	हम चली होंगी या होवेंगी
२	तू चली होगी या होवेगी	तुम चली होगी या होओगी
३	वह चली होगी या होवेगी	वे चली होंगी या होवेंगी

सकर्मक

पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैंने (काम) किया होगा	हमने (काम) किया होगा
२	तूने ,, ,, ,,	तुमने ,, ,, ,,
३	उसने ,, ,, ,,	उन्होने ,, ,, ,,

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैंने (काम) किया होगा	हमने (काम) किया होगा
२	तूने ,, ,, ,,	तूने ,, ,, ,,
३	उसने ,, ,, ,,	उन्होने ,, ,, ,,

सामान्य भूत, आसन्न भूत और पूर्ण भूत की भाँति ही सदिग्ध भूत के रूप भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया होने पर उसी रूप मे अनुशासित होते हैं । अर्थात् अकर्मक क्रिया कर्ता के अनुसार, सकर्मक (बिना कर्म-चिह्न के) कर्म के अनुसार, और कर्म-चिह्न युक्त कर्म या कर्म-चिह्न-वियुक्त सर्वनाम (उसे, उन्हे) होने पर सकर्मक एक वचन पुल्लिग होगी, जैसे—राम चला होगा, सीता चली होगी, वे चले होंगे, राम ने आम खाया होगा, राम ने रोटी खाई होगी, सीता ने आम खाया होगा, सीता ने रोटी खाई होगी, राम ने गदहो को देखा होगा, सीता ने गदहो को देखा होगा, तुमने उसे देखा होगा, तुम लोगो ने उन्हे देखा होगा, आदि ।

हेतुहेतुमद्‌भूत—क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में होने वाला था, किंतु हुआ नही, जैसे–'मैं आता', 'मैं आता तो बतलाता'। इसके लिए धातु के वर्तमान-कालिक कृदन्त का प्रयोग होता है। इसमें केवल लिंग और वचन के कारण रूपान्तर होता है, पुरुष के कारण नही। उत्तम-पुरुष स्त्रीलिंग बहु वचन में पुल्लिंग की क्रिया का भी प्रयोग होता है। क्रिया अकर्मक हो या सकर्मक, कर्ता के अनुसार होती है।

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चलता	हम चलते
२	तू चलता	तुम चलते
३	वह चलता	वे चलते

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१.	मैं चलती	हम चलती
२	तू चलती	तुम चलती
३	वह चलती	वे चलती

पूर्ण संकेतार्थ—लगभग हेतुहेतुमद्‌भूत के अर्थ मे ही पूर्ण भूत सम्भावनार्थ का भी प्रयोग होता है। इसके लिए 'होना' सहायक क्रिया के भूत सभावनार्थ के पूर्व मुख्य क्रिया के भूत-कालिक कृदन्त जोड देते है, जैसे—मै चला होता तो बतलाता।

अकर्मक

पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चला होता	हम चले होते
२	तू चला होता	तुम चले होते
३	वह चला होता	वे चले होते

स्त्रीलिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चली होती	हम चली होती
२	तू चली होती	तुम चली होती
३.	वह चली होती	वे चली होती

पीछे के कुछ अन्य कालो की तरह इसमे भी सकर्मक क्रिया के पुरुष, लिंग, वचन कर्म के अनुसार (जैसे—मैंने रोटी खाई होती, मैंने आम खाया होता, मैंने ये काम किये होते आदि) तथा अकर्मक के कर्ता के अनुसार (जैसे ऊपर के उदाहरण) होते है। यदि कर्म का चिह्न 'को' आए या चिह्न-विहीन कर्म सर्वनाम (उसे, उन्हे) का प्रयोग हो तो सकर्मक क्रिया पुल्लिग एक वचन होती है; जैसे—मैंने औरत को देखा होता, मैंने कुत्ते को देखा होता और मैंने उसे देखा होता आदि।

सकर्मक

पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैंने (काम) किया होता	हमने (काम) किया होता

२	तूने (काम) किया होता	तुमने (काम) किया होता
३	उसने (काम) किया होता	उन्होने (काम) किया होता

स्त्रीलिंग

एक वचन	वहु वचन
मैंने (काम) किया होता	हमने (काम) किया होता
तूने (काम) किया होता	तुमने (काम) किया होता
उसने (काम) किया होता	उन्होने (काम) किया होता

अपूर्ण संकेतार्थ—इसमें किसी क्रिया के भूत काल में होते रहने की सम्भावना का भाव रहता है ; जैसे—वह चलता होता, अगर मै वह दृश्य देखता होता तो वतलाता । इसके लिए धातु के वर्तमानकालिक कृदन्त के वाद 'होना' सहायक क्रिया के भूत सम्भावनार्थ का रूप रखा जाता है ।

पुल्लिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मै चलता होता	हम चलते होते
२	तू चलता होता	तुम चलते होते
३	वह चलता होता	वे चलते होते

स्त्रीलिंग

एक वचन	वहु वचन
मैं चलती होती	हम चलती होती
तू चलती होती	तुम चलती होती
वह चलती होती	वे चलती होती

अकर्मक

पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मै चला होता	हम चले होते
२	तू चला होता	तुम चले होते
३	वह चला होता	वे चले होते

स्त्रीलिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मै चली होती	हम चली होती
२	तू चली होती	तुम चली होती
३.	वह चली होती	वे चली होती

पीछे के कुछ अन्य कालो की तरह इसमें भी सकर्मक क्रिया के पुरुष, लिंग, वचन कर्म के अनुसार (जैसे—मैंने रोटी खाई होती, मैंने आम खाया होता, मैंने ये काम किये होते आदि) तथा अकर्मक के कर्ता के अनुसार (जैसे ऊपर के उदाहरण) होते है। यदि कर्म का चिह्न 'को' आए या चिह्न-विहीन कर्म सर्वनाम (उसे, उन्हे) का प्रयोग हो तो सकर्मक क्रिया पुल्लिग एक वचन होती है, जैसे—मैंने औरत को देखा होता, मैंने कुत्ते को देखा होता और मैंने उसे देखा होता आदि।

सकर्मक

पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैंने (काम) किया होता	हमने (काम) किया होता

२.	तूने (काम) किया होता	तुमने (काम) किया होता
३	उसने (काम) किया होता	उन्होने (काम) किया होता

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मैंने (काम) किया होता	हमने (काम) किया होता
तूने (काम) किया होता	तुमने (काम) किया होता
उसने (काम) किया होता	उन्होने (काम) किया होता

अपूर्ण संकेतार्थ—इसमें किसी क्रिया के भूत काल में होते रहने की सम्भावना का भाव रहता है, जैसे—वह चलता होता, अगर मैं वह दृश्य देखता होता तो बतलाता। इसके लिए धातु के वर्तमानकालिक कृदन्त के बाद 'होना' सहायक क्रिया के भूत सम्भावनार्थ का रूप रखा जाता है।

पुल्लिंग

एक वचन	बहु वचन
मैं चलता होता	हम चलते होते
तू चलता होता	तुम चलते होते
वह चलता होता	वे चलते होते

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मैं चलती होती	हम चलती होतीं
तू चलती होती	तुम चलती होती
वह चलती होती	वे चलती होती

सम्भाव्य भूत—इसका प्रयोग ऐसे व्यापार के लिए होता है जिसके भूतकाल में होने की सम्भावना हो, जैसे—मैं हँसा होऊँ, यदि मैं उस दिन हँसा होऊँ तो आप मुझे जो चाहें करें। इसके बनाने के लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त के साथ 'होना' सहायक क्रिया के वर्तमान आज्ञार्थ के रूपों को जोडते हैं।

अकर्मक

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चला हूँ या होऊँ	हम चले हों या होवें
२	तू चला हो या होवे	तुम चले हो या होओ
(आदरार्थ)	आप चले हों या होवें	वही
३	वह चलता हो या होवे	वे चले हों या होवें

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१.	मैं चली हूँ या होऊँ	हम चली हों या होवें
२	तू चली हो या होवे	तुम चली हो या होओ
(आदरार्थ)	आप चली हों या होवें	वही
३.	वह चली हो या होवे	वे चली हों या होवें

अकर्मक और सकर्मक का जो ध्यान सामान्य भूत, आसन्न भूत तथा पूर्ण भूत के रूप बनाने मे रखा जाता है, वही यहाँ भी अपेक्षित है। प्रयोग के कुछ उदाहरण हैं—यदि मैंने आम खाया हो, यदि मैंने बहुत-से आम खाए हों, यदि सीता ने आम खाया हो, यदि सीता ने रोटी खाई हो, यदि मैं हँसा हूँ, यदि सीता

हँसी हो, यदि वे हँसे हो, यदि मैंने गदहे को देखा हो, यदि सीता ने गदहे को देखा हो, यदि उन लोगो ने गदहे को देखा हो, यदि मैंने उसे मारा हो, इत्यादि ।

सकर्मक

पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैंने (काम) किया हो	हमने (काम) किया हो
२	तूने (काम) किया हो	तुमने (काम) किया हो
३.	उसने (काम) किया हो	उन्होने (काम) किया हो

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मैंने (काम) किया हो	हमने (काम) किया हो
तूने (काम) किया हो	तुमने (काम) किया हो
उसने (काम) किया हो	उन्होने (काम) किया हो

सामान्य भविष्य—जिससे क्रिया के व्यापार का आने वाले काल में होना ज्ञात हो। जैसे–मै जाऊँगा । इसके लिए धातु में निम्नाकित रूप जोडे जाते हैं—

पुल्लिग

	एक वचन	बहु वचन
१	–ऊँगा (मै चलूंगा)	—एँगे (हम चलेंगे)

२ —एगा	—ओगे
(तू चलेगा)	(तुम चलोगे)
३ —एगा	—एँगे
(वह चलेगा)	(वे चलेगे)

स्त्रीलिग

एक वचन	वहु वचन
—ऊँगी	—एँगी या एँगे
(मैं चलूंगी)	(हम चलेगी या चलेगे)
—एगी	—ओगी
(तू चलेगी)	(तुम चलोगी)
—एगी	—एँगी
(वह चलेगी)	(वे चलेगी)

अकर्मक या सकर्मक के कारण सामान्य भविष्य के क्रिया-रूपो में कोई अन्तर नही पडता ।

सम्भाव्य भविष्य—इसमे भविष्य मे व्यापार होने की सम्भावना (कभी-कभी उसकी कामना या अनुमति भी)-मात्र रहती है। उसके होने या न होने का निश्चय नही रहता। जैसे—मै उन्हे मारूँ तो तुम भी मारना, या, वे तुम्हे दे तो तुम भी दे देना, आदि। इसके रूप लगभग वर्तमान आज्ञार्थ से होते है। लिग के कारण रूपो मे कोई अन्तर नही पडता।

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चलूं (—ऊँ)	हम चले (—एँ)
२	तू चले (—ए)	तुम चलो (—ओ)

३. वह चले (—ए) वे चलें (—एँ)

मध्यम पुरुष एक वचन में आज्ञार्थ 'चल' या 'चलो' रूप चलता है।

भविष्य आज्ञार्थ—इसमें भविष्य में कुछ करने की आज्ञा रहती है। वर्तमान आज्ञार्थ और इसमें अन्तर यह है कि उसमें तुरन्त करने की आज्ञा (चलो, बैठो, सोओ आदि) होती है, पर इसमें बाद मे करने की। जैसे–खाना (कल दवा खाना)। इसके केवल मध्यम पुरुष के ही रूप होते हैं। इसे बनाने के लिए सामान्य अर्थ में धातु मे-'ना' जोडते है या सामान्य अर्थ में जिसे क्रिया या धातु कहते हैं (ना सहित), उसे प्रयुक्त करते हैं, जैसे–खाना, जाना, पीना, और आदरार्थ में धातु (ना विहीन) मे–इएगा जोडते है जैसे–'आप चलिएगा'। पीछे वर्तमान आज्ञार्थ में करना, देना, लेना, पीना, होना आदि के 'ज' वाले रूप दिये गए हैं। उन धातुओ के रूपो में केवल '-गा' जोड देने से भविष्य आज्ञार्थ के रूप बन जाते है। जैसे–आप कीजिएगा, आप दीजिएगा आदि।

कालों के नाम तथा उदाहरण

पुस्तक मे प्रयुक्त नाम	अन्य नाम	उदाहरण
१ सामान्य वर्तमान	अपूर्ण वर्तमान निश्चयार्थ, घटमान वर्तनान	मै चलता हूँ।
२ सन्दिग्ध वर्तमान	अपूर्ण भविष्य निश्चयार्थ, घटमान भविष्य	मै चलता हूँगा।

३ अपूर्ण वर्तमान		मैं चल रहा हूँ।
४ वर्तमान आज्ञार्थ	प्रत्यक्ष विधि, विधि	तुम चलो।
५. सम्भाव्य वर्तमान	अपूर्ण वर्तमान सम्भावनार्थ	मैं चलता होऊँ।
६ सामान्य भूत	सामान्य भूत निश्चयार्थ, साधारण अतीत, नित्य अतीत	मैं चला, मैंने किया।
७ आसन्न भूत	पूर्ण वर्तमान निश्चयार्थ	मैं चला हूँ, मैंने किया है।
८ पूर्ण भूत	पूर्ण भूत निश्चयार्थ	मैं चला था।
९ अपूर्ण भूत	भूत अपूर्ण निश्चयार्थ, घटमान भूत	मैं चलता था, मैं चल रहा था।
१०. सन्दिग्ध भूत	पूर्ण भविष्य निश्चयार्थ	मैं चला हूँगा।
११ हेतुहेतुमद् भूत	सामान्य सकेतार्थ, भूत सम्भावनार्थ, सामान्य भूत सम्भावनार्थ, कारणात्मक अतीत	मैं चलता।

१२. पूर्ण संकेतार्थ	पूर्ण भूत सम्भावनार्थ	मैं चला होता।
१३ अपूर्ण संकेतार्थ	अपूर्ण भूत सम्भावनार्थ	मैं चलता होता।
१४ सम्भाव्य भूत	पूर्ण वर्तमान सम्भावनार्थ	मैं चला हूँ या होऊँ मैंने किया हो।
१५ सामान्य भविष्य	सामान्य भविष्य निश्चयार्थ	मैं चलूँगा।
१६ सम्भाव्य भविष्य	सामान्य वर्तमान निश्चयार्थ	मैं चलूँ।
१७ भविष्य आज्ञार्थ	परोक्ष विधि, सामान्य भविष्य आज्ञार्थ	तुम चलना।

कर्मवाच्य

कर्तृ वाच्य की अपेक्षा कर्मवाच्य का प्रयोग हिन्दी में कम होता है। जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है। जब कर्म की मुख्यता दिखानी हो, कर्ता के कहने की आवश्यकता न हो या कर्ता ज्ञात न हो तो कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं।

'कर्मवाच्य' का प्रयोग केवल सकर्मक क्रिया के साथ होता है। कर्तृ वाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता को करण कारक में और कर्म को कर्ता कारक में रखकर मुख्य क्रिया के भूतकालिक कृदन्त को 'जाना' धातु के रूपों के साथ जोड़ देते हैं। यदि सहायक क्रिया भी हो तो वह नये कर्ता (कर्तृ वाच्य के कर्म) के अनुकूल हो जाती है। कर्तृ वाच्य—वह रोटी खायेगी,

राम ने रावण को मारा, मैं तुमको मारता हूँ। कर्मवाच्य—रोटी उससे खाई जायगी, रावण राम द्वारा मारा गया, तुम मुझसे मारे जाते हो।

नीचे विभिन्न कालों में 'मारना' क्रिया के कर्मवाच्य के रूप दिए जा रहे हैं।

(१) सामान्य वर्तमान

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा जाता हूँ	मारे जाते हैं
२	मारा जाता है	मारे जाते हो
३	मारा जाता है	मारे जाते हैं

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मारी जाती हूँ	मारी जाती हैं
मारी जाती है	मारी जाती हो
मारी जाती है	मारी जाती हैं

(२) सन्दिग्ध वर्तमान

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा जाता हूँगा	मारे जाते होंगे
२	मारा जाता होगा	मारे जाते होंगे
३	मारा जाता होगा	मारे जाते होंगे

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
	मारी जाती हूँगी	मारी जाती होंगी
	मारी जाती होगी	मारी जाती होगी
	मारी जाती होगी	मारी जाती होंगी

(३) अपूर्ण वर्तमान

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा जा रहा हूँ	मारे जा रहे हैं
२	मारा जा रहा है	मारे जा रहे हो
३	मारा जा रहा है	मारे जा रहे हैं

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
	मारी जा रही हूँ	मारी जा रही हैं
	मारी जा रही है	मारी जा रही हो
	मारी जा रही है	मारी जा रही हैं

(४) वर्तमान आज्ञार्थ

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा जाऊँ	म रे जायँ
२	,, जाए (जा)	,, जाओ
(आदरार्थ)	मारे जाइए	वही
३	मारा जाए	मारे जायँ

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मारी जाऊँ	मारी जायँ
,, जाए (जा)	,, जाओ
मारी जाइए	वही
,, जाय	मारी जायँ

(५) सम्भाव्य वर्तमान

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा जाता होऊँ (हूँ)	मारे जाते होवें (हों)
२	मारा जाता होवे (हो)	मारे जाते होओ (हो)
(आदरार्थ)	मारे जाते होइए (हों)	वही
३	मारा जाता होवे (हो)	मारे जाते होवें (हों)

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मारी जाती होऊँ (हूँ)	मारी जाती होवें (हों)
मारी जाती होवे (हो)	मारी जाती होओ (हो)
मारी जाती होइए (हों)	वही
मारी जाती होवे (हो)	मारी जाती होवें (हों)

(६) सामान्य भूत

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा गया	मारे गए

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मारी गई थी	मारी गई थी (मारे जाते थे)
,, ,, ,,	,, ,, ,,
,, ,, ,,	,, ,, ,,

(६) अपूर्ण भूत

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा जाता था	मारे जाते थे
२	,, ,, ,,	,, ,, ,,
३	,, ,, ,,	,, ,, ,,

तथा

१	मारा जा रहा था	मारे जा रहे थे
२	मारा जा रहा था	मारे जा रहे थे
३.	मारा जा रहा था	मारे जा रहे थे

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मारी जाती थी	मारी जाती थी (मारे जाते थे)
,, ,, ,,	,, ,, ,,
,, ,, ,,	,, ,, ,,

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
	मारी जाती	मारी जाती (मारे जाते)
	,, ,,	,, ,,
	,, ,,	,, ,,

(१२) **पूर्ण संकेतार्थ**

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा गया होता	मारे गए होते
२.	,, ,,	,, ,,
३	,, ,,	,, ,,

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
	मारी गई होती	मारी गई होती (मारे गए होते)
	,, ,,	,, ,,
	,, ,,	,, ,,

(१३) **अपूर्ण संकेतार्थ**

पुल्लिंग

एक वचन	बहु वचन
मारा जाता होता	मारे जाते होते

	एक वचन	बहु वचन
२	मारा गया होता	मारे गए होते
३.	,, ,,	,, ,,

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
	मारी जाती होती	मारी जाती होती (मारे जाते होते)
	,, ,,	,, ,,
	,, ,,	,, ,,

(१४) सम्भाव्य भूत

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१.	मारा गया होऊँ या हूँ	मारे गए होवें या हों
२	मारा गया होवे या हो	मारे गए होओ या हो
३.	,, ,, ,, ,,	,, ,, होवें या हों

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१.	मारी गई होऊँ या हूँ	मारी गई होवें या हों
२	,, ,, होवे या हो	,, ,, होओ या हो
३.	,, ,, ,, ,,	,, ,, होवें या हो

(१५) सामान्य भविष्य

पुल्लिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा जाऊँगा	मारे जायँगे

३ अपूर्ण वर्तमान—रहा जा रहा है।
४ वर्तमान आज्ञार्थ—रहा जाए।
५. सम्भाव्य वर्तमान—रहा जाता होवे।
६. सामान्य भूत—रहा गया।
७ आसन्न भूत—रहा गया है।
८ पूर्ण भूत—रहा गया था।
९ अपूर्ण भूत—रहा जाता था, रहा जा रहा था।
१० सन्दिग्ध भूत—रहा गया होगा।
११ हेतुहेतुमद्भूत—रहा जाता।
१२ पूर्ण सकेतार्थ—रहा गया होता।
१३ अपूर्ण सकेतार्थ—रहा जाता होता।
१४ सम्भाव्य भूत—रहा गया हो या होवे।
१५ सामान्य भविष्य—रहा जाएगा।
१६ सम्भाव्य भविष्य—रहा जाए।
१७ भविष्य आज्ञार्थ—इसका भाववाच्य नही होता।

८. अव्यय

पीछे हम लोग देख चुके हैं कि कुछ शब्द विकारी होते हैं, और कुछ अविकारी। 'अविकारी' का अर्थ होता है, जिसमे विकार या परिवर्तन न हो। ये अविकारी शब्द ही अव्यय कहे जाते हैं (अव्यय का अर्थ है जिसमें व्यय (अर्थात् परिवर्तन या हेर-फेर) न हो।)

(अव्यय चार प्रकार के होते हैं—)

(क) क्रिया-विशेषण

(ख) सम्बन्ध-सूचक

(ग) समुच्चयबोधक

(घ) विस्मयादिबोधक

(क) क्रिया-विशेषण

जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है 'क्रिया विशेषण' उन शब्दो को कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलावे। जैसे—'वह व्यक्ति धीरे-धीरे आ रहा है' वाक्य मे 'धीरे-धीरे' शब्द व्यक्ति के आने (क्रिया) की विशेषता बतला रहा है, अतएव यह (धीरे-धीरे)

कार्य अनुकूल है। उसके अनुकूल करो।

प्रयोग की दृष्टि से प्रमुखत २ प्रकार के सम्बन्ध-सूचक है–

(क) जो सज्ञा या सज्ञा-रूप के बाद आते है। जैसे–ने, को से, में तक आदि। जैसे– राम को मारो, घोडे पर चढो, उन तक मेरी पहुँच नही।

(ख) जो कभी पहले और कभी बाद आते है। जैसे– सिवा, बिना, मारे। जैसे–सिवा उनके यह काम कोई नही कर सकता, या उनके सिवा यह काम कोई नही कर सकता।

इन दोनो में पहले प्रकार के सम्बन्ध-सूचक अव्ययो के भी दो भेद हो सकते है—

(अ) जो अकेले आते है। जैसे—ने, को, मे, पर 'का, खा। जैसे—राम ने मारा, घर मे है, छत पर कूदो।

(आ) जो किसी और सम्बन्ध-सूचक अव्यय के साथ आते है। इस प्रकार के सम्बन्ध-सूचक बहुत-से है। ये प्राय के, से, की, इन तीन कारक-चिन्हो के बाद आते है।

'के' के बाद—आगे, पीछे, पहले, पूर्व, अनन्तर, भीतर, बीच, पास, निकट, बिना, बदले, सहारे, कारण, मारे, आदि। जैसे—उनके आगे, राम के अन्तर, घर के भीतर आदि।

'से' के बाद—'के' के बाद आने वाले सम्बन्ध-सूचक अव्ययो मे कुछ 'से' के बाद भी आते है, और प्राय वही अर्थ देते है। पर साथ ही 'के' के बाद आने वाले अव्ययो मे अनन्तर,

वाद, पश्चात्, उपरान्त, बीच, सहारे तथा मारे आदि बहुत-से ऐसे है जो 'से' के वाद नही आते। 'से' के बाद आने वाले सम्वन्ध-सूचको मे प्रमुख पीछे, दूर, पहले, पूर्व, नीचे, निकट, वाहर आदि हैं। 'से' के बाद आने वाले प्राय. सभी सम्वन्ध-सूचक अव्यय 'के' वाद भी आते है।

'की' के वाद—अपेक्षा, तरह, भांति, नाईं, तरफ, ओर, खातिर, मारफत, जवानी तथा जगह, आदि। जैसे—उनकी तरफ जाओ', 'राम की ओर देखो' तथा 'सीता की जगह कौन है' आदि।

[सर्वनामो मे के, की के स्थान पर 'रे' 'री' (मेरे, तुम्हारे तुम्हारा तुम्हारी) आते है। उनके साथ भी 'के' और की के नियम लागू होते है। सर्वनामो के साथ आने पर कारक-चिन्ह अलग न रहकर रूपो मे प्रयुक्त सम्वन्ध-सूचक अव्यय मिल जाते है। जैसे—उसने, उसको, उससे आदि।]

अर्थ की दृष्टि से सम्वन्ध-सूचको को कई वर्गों में रखा जा सकता है, जिनमें प्रमुख ये है–

१ कालवाचक—आगे, पीछे, उपरान्त, पूर्व, वाद, पहले, लगभग आदि।

२ स्थानवाचक–आगे, पीछे, पहले, पास, निकट, दूर, ऊपर, नीचे, वाहर, भीतर, वीच, यहां आदि।

३ दिशावाचक—ओर, तरफ, प्रति आदि।

४. साधनवाचक—द्वारा, जरिए, मारफत, सहारे, वल, जवानी आदि।

से स्पष्ट हो जाता है। कि, यानी, जैसे, अर्थात्, मानो आदि मुख्य स्वरूप-दर्शक हैं (मुझे भय है कि कहीं वह मर न जाय, सोचता हूँ कि वहाँ हो आऊँ, वह गदहा, अर्थात् मूर्ख है)।

(घ) विस्मयादि बोधक

जिन अव्ययों से बोलने या लिखने वाले के मन के विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट हों, **'विस्मयादि बोधक'** कहलाते हैं। 'वाह! क्या अच्छा बना है,' 'हाय बुढिया का वह भी सहारा समाप्त हो गया' तथा 'अरे! यह क्या' वाक्यों में 'वाह' से हर्ष, 'हाय' से शोक, 'अरे' से विस्मय प्रकट हो रहा है। ये विस्मयादि बोधक हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता।

विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले प्रमुख विस्मयादि बोधक ये हैं—

१ विस्मय-बोधक—हैं, अरे, क्या, सच।

२ हर्ष-बोधक—अहा, वाह, शाबाश, धन्य-धन्य, जय।

३ शोक-बोधक—आह, ऊँह, ओह, हा, हाय, राम राम, बाप रे, माई रे माई, दइया रे।

४ अनुमोदन-बोधक—ठीक, हाँ हाँ।

५. तिरस्कार-बोधक—छि, हट, दुर, धिक्, चुप, धत्।

६ स्वीकृति-बोधक—जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ।

७ संबोधन-बोधक—हरे, अरे, रे, अजी, हे, हो।

६. शब्द-रचना

कुछ शब्द तो बने-बनाए होते हैं। जैसे—हार, मूर्ख, रसोई, घर। पर कुछ शब्द बनाए जाते हैं। यह शब्दो का बनाना ही शब्द-रचना कहलाता है। हिन्दी में शब्द-रचना तीन प्रकार से होती है—

(क) शब्द के पहले कुछ जोडकर, जैसे—'हार' में 'प्र' जोडकर प्रहार, 'वि' जोड़कर विहार, 'स' जोडकर 'सहार' और 'आ' जोडकर आहार। शब्दो के पूर्व जिन्हे (यहाँ प्र, वि, स, आ,) जोडकर नये शब्द बनाते जाते है, 'उपसर्ग' कहलाते है।

(ख) शब्द के पीछे कुछ जोडकर, जैसे—मूर्ख में 'ता' जोडकर मूर्खता, लडका में 'पन' जोडकर लडकपन तथा 'पढ' में 'आका' जोडकर पढाका। शब्दो के पीछे जिन्हे (यहां ता, पन, आका) जोडकर नये शब्द बनाए जाते है वे प्रत्यय कहलाते है।

(ग) दो शब्दों के मेल से, जैसे—'रसोई' और 'घर' जोडकर 'रसोईघर' 'घोडा और 'गाडी' जोडकर, 'घोडागाडी'

तथा 'डाक' और 'खाना' जोडकर, 'डाकखाना'। इसी प्रकार कई शब्दो को जोडने की क्रिया को 'समास' तथा जोडने के बाद बने शब्द को समस्त या सामासिक शब्द कहते है।

(क) उपसर्ग

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका, है, उपसर्ग उस शब्दाश को कहते है, जो किसी शब्द के पूर्व जोडा जाता है। ऐसा करने से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ मूल शब्द से कुछ परिवर्तित या बदला हुआ रहता है। ऊपर 'हार' से 'प्रहार', 'विहार', 'आहार', 'सहार' शब्द प्र, वि, आ, स उपसर्ग जोडकर बनाये गए है। नीचे हिन्दी मे प्रयुक्त कुछ प्रमुख उपसर्ग अर्थ और उदाहरण के साथ दिए जा रहे है—

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
अ	नही	अबोध, अमिट
अति	अधिक	अत्युक्ति, अत्यन्त
अन	नही	अनपढ, अनबन
अधि	ऊपर, बडा	अधिकार, अधिपति
अनु	पीछे	अनुचर, अनुज, अनुकरण
अप	बुरा	अपकार, अपशब्द, अपहरण
अव	नीचे	अवगुण
आ	तक	आमरण, आजन्म, आदान, आगमन
उत्	उलटा	उद्गम
उप	छोटा	उपमत्री, उपप्रधान, उपसचालक

कु	बुरा	कुकर्म, कुढग, कुरूप
दु	हीन	दुबला
	बुरा	दुकाल
दुर्	बुरा	दुर्जन, दुराचार
ना	नही	नालायक, नाउम्मेद
निर्	नही, विना,	निराकार, निर्गुण, निर्लज्ज
परा	उलटा	पराजय
परि	पूर्णतया	परित्याग
पुनर्	फिर	पुनर्जन्म, पुनरुक्ति
प्र	अधिक	प्रगति
प्रति	हरएक	प्रतिक्षण
	सामने	प्रत्यक्ष
	विरुद्ध	प्रतिवादी
	पीछे	प्रत्युपकार
प्राक्	पहले	प्राक्कथन
बे	नही	बेकार, बेहद, बेशुमार
ला	नही	लाजवाब, लाइलाज
वि	विना, अलग	वियोग
	विशेष	विनाश, विज्ञान
सत्	अच्छा	सत्कर्म, सज्जन
सह	साथ	सहचर, सहकारी
सु	अच्छा	सुकर्म, सुलेख
	आसानी से	सुलभ, सुकर
स्व	अपना	स्वदेश, स्वतन्त्र, स्वजन

ख. प्रत्यय—जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, जिसे किसी शब्द या धातु के पीछे लगाकर कोई नया शब्द बनावे। जैसे—'मूर्ख' मे 'ता' प्रत्यय जोडकर 'मूर्खता'।

प्रत्यय के दो भेद हैं

१. कृत्—जो धातु के पीछे लगे जैसे—अक्कड ['पी' (पीना) धातु मे—अक्कड जोडकर पिअक्कड या 'भूल' (भूलना) धातु मे जोडकर भुलक्कड]।

२ तद्धित—जो सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अन्त मे जोडे जायँ। जैसे—आर (लोहा+आर=लोहार, सोना+आर=सोनार) तथा ता (मम+ता=ममता, मूर्ख+ता=मूर्खता) आदि।

कृत् प्रत्यय

कृत् प्रत्यय जोडकर जो शब्द बनते है, वे कृदन्त कहलाते है। पीछे क्रिया के प्रकरण मे कई प्रकार के कृदन्तो पर विचार किया जा चुका है। यहां कुछ प्रमुख कृत् प्रत्यय अर्थ और उदाहरण के साथ दिये जा रहे है—

प्रत्यय	अर्थ	उदाहरण
–अक	भाव	वैठक ('वैठ' धातु से)
–अक्कड	वाला	पिअक्कड, भुलक्कड ('पी' तथा 'भूल' धातु से)
–अत	भाव	वचत, रगत, खपत (वच, रग तथा खप धातु से)

—आ	भाव	झगडा, फेरा, छापा ('झगड' 'फेर' तथा 'छाप' से)
	भूतकालिक	मारा, चला, देखा ('मार', 'चल', तथा 'देख' से)
—आव	भाव	पडाव, झुकाव, जमाव (पड, झुक तथा जम से)
—आहट	भाव	घबराहट, चिल्लाहट (घबरा तथा चिल्ला से)
—ऐया	कर्ता, वाला	सुनैया, खेवैया, गवैया (सुन, खे तथा गा से)
—ता	वर्तमानकालिक	चलता, हँसता (चल तथा हँस से)
—आवट	भाववाचक सज्ञा	लिखावट, थकावट, बनावट ('लिख,' 'थक' तथा 'बन' से)

तद्धित प्रत्यय

हिन्दी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय ये है—

—अक	स्वार्थ	बालक
	कर्ता	चालक, पाठक
	छोटा	ढोलक
—आई	भाववाचक सज्ञा	भलाई, बुराई
—आलु	कर्ता	दयालु, कृपालु, श्रद्धालु

—इक सज्ञा से विशेषण बनाने के लिए भूगोलिक, इतिहासिक[1]

---

१. हिन्दी में इनका शुद्ध सस्कृत रूप भौगोलिक, ऐतिहासिक ही विशेष प्रचलित है।

–ता	विशेषण से भाववाचक	मूर्खता, सज्जनता
–त्व	,,	गुरुत्व
–मय	भरा	गुणमय
–वान	वाला	दयावान, धनवान हाथीवान
–द	देने वाला	जलद, धनद
–दायी	,,	दुखदायी, सुखदायी
–दायक	,,	दुखदायक, सुखदायक फलदायक

हिन्दी मे कृत् और तद्धित प्रत्यय पूर्णतया अलग-अलग नही है। ऐसे भी कुछ प्रत्यय है जो धातु के साथ मिलने पर कृत् और अन्य शब्दो के साथ मिलने पर तद्धित कहलाते है। जैसे—आई (कृत्—'पढ' से पढाई, 'चढ' से चढाई, 'लड' से लडाई, तथा 'चल' से चलाई। तद्धित—'भला' से भलाई, 'बुरा' से बुराई तथा 'बडा' से बडाई) —आर (कृत्—'पैठ' से 'पैठार', 'पैस' से 'पैसार'। तद्धित–लोहा से लोहार, सोना से सोनार) तथा–आऊ (कृत्–देख से देखाऊ, । तद्धित–पडित से पडिताऊ) आदि ।

ग समास

'समास' का अर्थ है सक्षेप । जब दो शब्दो को मिलाकर तीसरा शब्द बनाते है तो दोनो के बीच के सम्बन्ध-सूचक शब्द का लोप हो जाता है। इस प्रकार समास करने से कुछ सक्षेप हो जाता है। उदाहरणार्थ 'राम का अनुज' का यदि समास करे

तो 'का' लोप हो जायगा और 'राम अनुज' होगा, फिर सन्धि के नियम के अनुसार अ+अ की सन्धि होने से 'रामानुज' हो जायगा। कहना न होगा कि 'राम का अनुज' की तुलना मे 'रामानुज' सक्षिप्त है। इसी प्रकार 'घोडे की गाडी' = 'घोडा-गाडी' और 'डाक का खाना' = 'डाकखाना'।

जब दो (या अधिक) शब्द जोडे जाते है तो सस्कृत के शब्दो मे सन्धि के नियम भी लागू हो जाते है । जैसे—'राम का अनुज' = राम + अनुज = रामानुज; 'राम का अवतार' = राम + अवतार = रामावतार या 'पत्र का उत्तर' = पत्र + उत्तर = पत्रोत्तर'। पर हिन्दी में प्रयुक्त उन शब्दो मे, जो सस्कृत के नही है, सन्धि नही होती, जैसे— 'राम के आसरे' = राम-आसरे । ऐसे स्थलो पर प्राय सयोजक चिह्न का प्रयोग होता है। सन्धि हो या न हो, समास करने पर या तो दोनो शब्दो को मिला देना चाहिए (जैसे पाठशाला, घोडागाडी) या सयोजक चिह्न से जोड देना चाहिए (जैसे—पाठ-शाला, घोडा-गाडी) । 'पाठ शाला' या 'घोडा गाडी' लिखना अशुद्ध है।

सामासिक शब्दो को तोडकर उनका सम्बन्ध दिखाने को या समास के पूर्व का रूप स्पष्ट करने को विग्रह कहते है। जैसे—'पाठशाला' का विग्रह 'पाठ की शाला', 'घोडागाडी' का 'घोडे की गाडी', 'चन्द्रमुख' का 'चन्द्र के समान मुख' और 'त्रिभुज' का 'तीन भुजाएँ है जिसमें' होगा।

समास के मुख्य चार भेद है—

१ अव्ययी भाव

इस समास मे दो शब्दो से मिलकर जो शब्द बनता है, अव्यय (क्रिया-विशेषण) का काम करता है, इसीलिए इसका नाम अव्ययी भाव है । अव्ययीभाव समास मे पहला शब्द प्रधान होता है । उदाहरण—

यथा+शक्ति=यथाशक्ति प्रति+दिन=प्रतिदिन

संस्कृत अव्ययी भाव समासो मे पहला शब्द अव्यय और दूसरा सज्ञा या विशेषण होता है, पर इस समास के हिन्दी उदाहरणो मे पहला शब्द अव्यय न होकर प्राय सज्ञा होता है। जैसे—रातोरात, घरघर, हाथोहाथ, दिनोदिन ।

२ तत्पुरुष

तत्पुरुष समास मे पहला शब्द प्राय सज्ञा या विपशेण तथा दूसरा सर्वदा सज्ञा होता है। इसमे दूसरा शब्द प्रधान होता है। पहले शब्द के भेद के आधार पर इस समास के ३ भेद होते है—

क—यदि पहला शब्द सख्यावाचक विशेषण हो तो समास को **द्विगु** कहते है । जैसे—त्रिभुवन, (तीन भुवन, पहला शब्द सख्यावाचक विशेषण, दूसरा सज्ञा), पचवटी, छप्पय, त्रिलोक ।

ख—यदि पहला शब्द विशेषण (सख्यावाचक के अतिरिक्त) हो तो **कर्मधारय**, कहते है । जैसे—महाजन, पीताम्बर, शुभागमन, नीलगाय, महाराज, खुशबू, बदबू ।

ग—यदि पहला शब्द सज्ञा हो तो **तत्पुरुष** कहते है। जैसे—रामानुज, जन्मान्ध, राजपुत्र, हथकडी, रसोईघर ।

तत्पुरुष के इस तीसरे भेद 'तत्पुरुष' को 'व्याधिकरणतत्पुरुष' भी कहते है। इसके पहले कारक के आधार पर सज्ञा शब्द के ६ भेद होते है —

१ कर्म तत्पुरुष—ग्रन्थकर्ता (ग्रन्थ को करने वाला), जल-पिपासु (जल को पीने की इच्छा रखने वाला) चिडी-मार (चिडियो को मारने वाला) तथा गँठकटा (गाँठ को काटने वाला) आदि।

करण तत्पुरुप—कपडछन (कपडे से छाना), तुलसीकृत (तुलसी द्वारा किया हुआ), गुणहीन (गुण से हीन) तथा ईश्वरदत्त (ईश्वर से दिया हुआ) आदि।

३ सम्प्रदान तत्पुरुष—रसोईघर (रसोई के लिए घर), देशभक्ति (देश के लिए भक्ति), हथकडी (हाथ के लिए कडी), राहखर्च (राह के लिए खर्च)।

४. अपादान तत्पुरुष—ऋणमुक्त (ऋण से मुक्त), जातिभ्रष्ट (जाति से भ्रष्ट), पदच्युत (पद से च्युत) तथा जन्मान्ध (जन्म से अन्ध) आदि।

५. सम्बन्ध तत्पुरुष—रामानुज (राम का अनुज), सेनापति (सेना का पति), देवालय (देव का आलय), विद्यार्थी (विद्या का अर्थी) तथा पराधीन (पर के अधीन)।

६ अधिकरण तत्पुरुष—देशाटन (देश में अटन), घुड-सवार (घोडे पर सवार), हरफनमौला (हर फन में मौला) जलज (जल मे चलने वाला) तथा दानवीर (दान मे वीर) आदि।

स समास मे दो सज्ञाएँ हो और बीच मे 'और' या उसी अर्थ का और शब्द निकालकर जोड दिया गया हो। इसमे दोनो पद प्रधान होते है। जैसे—माँ-बाप (माँ और बाप), भाई-बहन (भाई और बहन), अन्न-जल (अन्न और जल) तथा सुख-दु ख (सुख और दु ख) आदि।

४ बहुव्रीहि

जिस समास मे कोई भी शब्द प्रधान न हो और दोनो मिलकर किसी एक सज्ञा के विशेषण हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते है। जैसे—नीलकठ—नीला है कठ जिसका, अर्थात् शिव, अनत—जिसका अन्त न हो अर्थात् ईश्वर, दशानन—दस है आनन जिसके अर्थात् रावण।

सामासिक शब्दो मे अर्थभेद के कारण कभी-कभी समास-भेद भी हो जाता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे है—

रसोईघर = रसोई के लिए घर (सम्प्रदान तत्पुरुष)
= रसोई का घर (सम्बन्ध तत्पुरुष)

नीलाम्बर = नीला कपडा (कर्मधारय)
= नीला है कपडा जिसका (बहुव्रीहि)

चन्द्रानन = चन्द्र जैसा आनन (कर्मधारय)
= चन्द्र जैसा आनन है जिसका (बहुव्रीहि)

हिन्दी में प्राय दो शब्दो का समास होता है। 'तन-मन-धन' या 'हर-फन-मौला'-जैसे तीन या अधिक शब्दो के समास अपवाद स्वरूप ही मिलते है।

हिन्दी समासो मे यदि प्रथम शब्द का पहला स्वर दीर्घ हो तो वह प्रायः ह्रस्व हो जाता है। जैसे–दुगुना (दो), पँचमेल (पाँच), सतनजा (सात), कनकटा (कान), नकटा (नाक), दुधमुहाँ (दूध) तथा मुछमुडा (मूँछ) आदि।

इसी प्रकार पहले शब्द का अन्तिम स्वर भी प्राय ह्रस्व हो जाता है। जैसे–घुडदौड (घोडा), पनचक्की (पानी) ,कपडछन (कपडा,) अधपका (आधा) तथा छुटभैया (छोटा) आदि। पर इनके अपवाद भी मिलते है; जैसे—घोड़ागाडी तथा काँजीहाउस आदि।

१०. व्युत्पत्ति

पीछे शब्द के, अर्थ की दृष्टि से, सार्थक और निरर्थक दो भेद किये गए हैं। आगे फिर सार्थक शब्दो का विकारी और अविकारी दो भागो मे बाँटकर उनके अन्तर्गत आने वाले सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय आदि पर विचार किया है। प्रस्तुत अध्याय मे दो अन्य दृष्टियो से (जिनके सम्बन्ध मे पीछे सकेत किया जा चुका है) शब्दो के वर्ग बनाये जा सकते हैं—
१ रचना की दृष्टि से, २ उगद्म की दृष्टि से।

रचना की दृष्टि से शब्दो के प्रकार

रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के माने गए हैं—

रूढ, यौगिक, योगरूढ

रूढ–जो शब्द शब्दो,या शब्दाशो के योग से न बना हो, वह रूढ कहा जाता है। जैसे–घोडा, हाथ, कपडा, आग। इन शब्दो के सार्थक टुकडे नही किये जा सकते। 'घोडा' मे यदि 'घो' और 'डा' या 'घ' और 'ओडा' या 'घोड' और 'आ' को अलग करे तो इन टुकडो के कोई अर्थ न होगे। इसी प्रकार हाथ, कपडा, आग या अन्य शब्दो को भी देखा जा सकता है।

यौगिक–रूढ शब्दो के साथ उपसर्ग या प्रत्यय या कोई और शब्द जोडकर यौगिक शब्द बनाते हैं। 'यौगिक' का अर्थ ही है जोडा हुआ या जोडकर बनाया हुआ। रूढ शब्दो में हमने देखा कि उनके टुकडे करने पर कोई सार्थक शब्द नही मिलते, पर उसके विरुद्ध यौगिक शब्दो के टुकडे करने पर सार्थक शब्द या शब्दाश मिलते हैं। उदाहरणार्थ सत्यता, अनपढ, रसोईघर ये यौगिक शब्द है। इन्हे तोडने पर हम देखते है कि [सत्य+ता (भाववाचक सज्ञा बनाने का प्रत्यय), अन (नही)+पढ, रसोई+घर] सभी टुकडे सार्थक है।

योगरूढ़–यौगिक शब्द यदि अर्थ की दृष्टि से सकुचित होकर केवल किसी एक वस्तु का बोध कराएँ तो योगरूढ कहे जाते है। उदाहरणार्थ 'जल' एक रूढ शब्द है, इसमें 'ज' प्रत्यय जोडकर 'जलज' बनाया। यह यौगिक हो गया और इसका अर्थ 'जल में उत्पन्न' हुआ। पर अब 'जलज' का प्रयोग जल में उत्पन्न बहुत-सी अन्य चीज़ो–सेवार, जोक, मछली आदि—के लिए न होकर केवल कमल के लिए होता है, अत यह यौगिक शब्द योगरूढ कहा जायगा।

उद्गम की दृष्टि से शब्दो के प्रकार

'उगद्म' का अर्थ है शब्द का मूल स्थान। मूल स्थान की दृष्टि मे हिन्दी के शब्दो को प्रमुखत चार वर्गो में रखा जा सकता है—

तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी

तत्सम–तत्सम (तत्+सम) का अर्थ है उसके (तत्) अर्थात्

संस्कृत के समान। हिन्दी में जो संस्कृत के शब्द अपने शुद्ध रूप में प्रचलित है, तत्सम कहे जाते है। जैसे–जल, वचन, शरीर, भाषा, पुस्तक, दर्शन, पक्षी, रक्त, पत्र, केश, नर, ईश्वर, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, अन्न, प्रकाश, उन्नति, आशा तथा सुन्दर आदि।

तद्भव–तद्भव (तत्+भव) का अर्थ है 'उससे अर्थात् संस्कृत से उत्पन्न।' बहुत-से संस्कृत शब्द हिन्दी में अपने शुद्ध रूप मे प्रयोग मे न आकर बिगडे हुए रूप में प्रयोग मे आते हैं। ऐसे शब्द तद्भव कहे जाते है, क्योंकि ये संस्कृत के शब्दो से निकले है। उदाहरणार्थ 'जिह्वा' संस्कृत या तत्सम शब्द है और 'जीभ' उसीसे निकला तद्भव शब्द। यहाँ हिन्दी मे प्रयुक्त कुछ तद्भव शब्द अपने मूल संस्कृत शब्द के साथ दिये जा रहे है—

हाथी (हस्तिन्), घोडा (घोटक), चीता (चित्रक), केवट (कैवर्त), काटा (कटक), पत्ती (पत्र), चाँद (चन्द्र), मिट्टी (मृत्तिका), सेम (शिंबा), केकडा (कर्कट), गेहूँ (गोधूम), बूढा (वृद्ध), बिच्छू (वृश्चिक), साँप (सर्प), पाँव (पाद), भगत (भक्त), हाथ (हस्त), हड्डी (अस्थि), जिस (यस्य), भीतर (आभ्यन्तर), पखा (पक्ष), कडाही (कटाह)।

हिन्दी मे तद्भव शब्दो की संख्या सबसे अधिक है।

देशी–जो शब्द न तो विदेशो से आए है और न संस्कृत के शुद्ध शब्द (तत्सम) है, और न उनके बिगडे रूप (तद्भव) है, बल्कि यहीं की बोलियो के हैं, वे देशी कहे जाते है। हिन्दी मे इस प्रकार के बहुत-से देशी शब्द द्रविड तथा मुंडा आदि भाषाओ

से आए हैं। हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध देशी शब्द पिल्ला, चिमटा, झगडा, पेट, गोड तथा कोडी आदि हैं।

विदेशी–विदेशी शब्द वे है जो विदेशियो के सम्पर्क में आने पर हिन्दी में आ गए हैं। हिन्दी में प्रमुख विदेशी शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली तथा अँग्रेज़ी हैं। इनके कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं—

अरबी–कलम, किताब, कानून, शराब, शर्बत, खज़ाना, मीनार तथा कत्ल आदि।

फारसी–तकिया, खर्च, कारीगर, शरम, मुहर तथा मेज़ आदि।

तुर्की–लाश, कुर्क, कैंची, चाकू, बेगम, तोप तथा दारोगा आदि।

पुर्तगाली–नीलाम, तौलिया, चाबी, गोदाम, गोभी, गिर्जा, बाल्टी तथा मिस्त्री आदि।

अग्रेजी–स्कूल, कालिज, कापी, पेन, निब, पिन, पेंसिल, पैंट, कोट, मोटर, मास्टर, अस्पताल, डाक्टर, आफिस, जज, जेल तथा साइकिल आदि।

११. पद-व्याख्या

वाक्य से अलग स्वतन्त्र रूप मे रखे गए शब्द 'शब्द' कहे जाते है, पर जब उन्हे वाक्य मे रख देते है तो उनका नाम 'पद' हो जाता है। पदो के विषय में उनके प्रकार, वचन, लिग या अन्य पदो के साथ उनका सम्बन्ध आदि का वर्णन ही **पद-व्याख्या**, शब्द-निरुक्ति या पद-परिचय कहलाता है। पद-व्याख्या करते समय किस शब्द-भेद के बारे मे कौन-कौन-सी बाते बतलाई जानी चाहिएँ, यह नीचे दिया जा रहा है—

सज्ञा– १ भेद (व्यक्तिवाचक, जातिवाचक आदि), २ लिग (कौन लिग), ३ वचन (कौन वचन), ४ कारक (किस कारक मे), ५ वाक्य के दूसरे पदो या शब्दो के साथ सम्बन्ध।

सर्वनाम–१. भेद, २ वचन, ३ लिग, ४. कारक, ५ वाक्य के दूसरे शब्दो के साथ सम्बन्ध, ६ (यदि ज्ञात हो तो) किस सज्ञा के लिए प्रयुक्त।

विशेषण–१. भेद, २ किस विशेषण का विशेषण, ३ लिग, ४ वचन।

क्रिया–१ भेद (सकर्मक, अकर्मक), २. वाच्य, ३ काल,

४ अर्थ, ५. पुरुष, ६. लिंग, ७ वचन, ८. कर्ता, कर्म आदि से सम्बन्ध, ९ यदि क्रिया संयुक्त है तो उसका विवेचन।

क्रिया-विशेषण—१. भेद २ किस क्रिया, विशेषण या क्रिया-विशेषण की विशेषता बतलाता है।

सम्बन्ध-सूचक अव्यय—किन शब्दो का सम्बन्ध दिखलाता है।

समुच्चय-बोधक अव्यय—१. भेद (संयोजक, वियोजक आदि), २. किन वाक्यो या शब्दो को जोडता है।

विस्मयादिबोधक अव्यय—किस भाव (हर्ष, शोक, विस्मय आदि) के लिए प्रयुक्त हुआ है।

यहाँ उदाहरण के लिए एक वाक्य की पद-व्याख्या दी जा रही है।

वाक्य—मैं पेंसिल से कागज़ पर लिखता हूँ।

मैं—सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, एकवचन, पुल्लिग कर्ता कारक, 'लिखता हूँ' क्रिया का कर्ता।

पेंसिल—संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, करण-कारक, 'लिखता हूँ' क्रिया से सम्बन्धित।

से—सम्बन्धसूचक अव्यय, करण कारक का चिह्न, पेंसिल से लिखने का सम्बन्ध दिखलाता है।

कागज़—संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिग, एकवचन, अधिकरण कारक 'लिखता हूँ' क्रिया का आधार।

पर—सम्बन्धसूचक अव्यय, अधिकरण कारक का चिह्न,

'कागज' से लिखने का सम्बन्ध स्पष्ट करता है ।

लिखता हूँ–क्रिया, सकर्मक, सयुक्त, कर्तृ वाच्य, सामान्य वर्तमान, निश्चयार्थ, उत्तम पुरुष, पुल्लिग, एकवचन, 'मैं' कर्ता से सम्बन्धित । 'लिखता'–मूल क्रिया 'लिख' धातु का वर्तमान कालिक कृदन्त । हूँ–सहायक क्रिया, 'हो' धातु का सामान्य वर्तमान ।

खण्ड तीन

वाक्य-विचार

१. वाक्य का लक्षण और उसकी आवयश्कताएँ

अब तक शब्दो पर विचार किया गया । यहाँ वाक्य पर विचार करना है । वाक्य शब्दो का समूह होता है । पर किसी भी प्रकार के शब्दो को किसी भी प्रकार एक स्थान पर रखकर वाक्य नही बना सकते । उदाहरणार्थ 'वह', 'मे', 'क्योंकि', 'गया', 'आग' और 'डूब' ये छ शब्द है । यदि इनको इसी प्रकार रखकर हम कहे 'वह मे क्योकि गया आग डूब', तो यह वाक्य नही है । यह सुनकर सुनने वाला कुछ नही समझ सकता । इसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें शब्दो के लिए आवश्यक क्रम की कमी है । हिन्दी के व्याकरण-सम्मत क्रम के अनुसार इसका रूप होगा 'वह आग मे डूब गया क्योकि' । पर, इस रूप में भी यह वाक्य ठीक अर्थ नही देता । इसके दो कारण है । एक तो यह कि अन्त मे 'क्योकि' है, अतएव, यह वाक्य पूरा नही है । इसमें कुछ और अपेक्षित है । दूसरे यह कि आग में 'डूबना' नही होता, 'जलना' होता है, अतएव 'डूबना' शब्द यहाँ प्रासगिक नही है । इस

प्रकार वाक्य के लिए क्रम, पूर्णता, तथा प्रासगिकता आदि कई बाते आवश्यक है। व्याकरण में प्रयुक्त शब्दावली मे वाक्य के लिए आवश्यक बातो को हम 'सार्थकता', 'क्रम', 'योग्यता', 'आकाक्षा', 'आसक्ति' और 'अन्वय' इन छ शीर्षको मे रख सकते है।

सार्थकता–वाक्य मे सार्थक शब्दो का प्रयोग होना चाहिए। यदि हम कहे कि 'राम आडी डुडाता है' तो यह भाषा-सम्मत वाक्य नही है, क्योकि इसमे 'आडी डुडाता' निरर्थक शब्द है, और इसलिए वाक्य का कोई अर्थ नही है।

क्रम–वाक्य मे सार्थक शब्दो को भाषा के नियमानुकूल क्रम से रखना चाहिए। 'पानी मे तालाब है' मे शब्द सार्थक है, पर क्रम ठीक नही है, अत यह वाक्य ठीक नही है। इसे होना चाहिए 'तालाब मे पानी है'।

योग्यता–वाक्य मे सार्थक शब्द हो, क्रम भी ठीक हो, पर यदि शब्दो मे प्रसग के अनुकूल भाव का बोध कराने की योग्यता या क्षमता न हो तो वाक्य का भाव स्पष्ट न होगा, अत उसे ठीक वाक्य नही माना जायेगा। उदाहरणार्थ 'कुत्ता उडता है' मे सार्थकता है, क्रम है, पर 'उडता' शब्द इस प्रसग मे 'योग्यता' नही रखता (या कुत्ते और उडने की परस्पर योग्यता नही है) अत यह वाक्य ठीक नही है। यहां 'उडता' के स्थान पर यदि 'चलता' या 'दौडता' रख दे तो प्रासगिक योग्यता आ जाने से वाक्य ठीक हो जायगा।

आकाक्षा–आकाक्षा का शाब्दिक अर्थ है 'इच्छा'। वाक्य

को भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझने के लिए और कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता न हो। दूसरे शब्दो में किसी ऐसे शब्द या शब्द-समूह की कमी न हो जिसके बिना अर्थ स्पष्ट न होता हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और उससे हम केवल 'तुम' कहे तो वह कुछ न समझेगा। पर यदि कहे कि 'तुम अमुक स्थान पर चले जाओ' तो वह पूरी बात समझ जायगा। इस वाक्य में से यदि स्थान का नाम निकाल दे तो भी वाक्य अधूरा ही रहेगा। इस प्रकार वाक्य में भाव की दृष्टि से पूर्णता आवश्यक है।

आसक्ति (या सन्निधि)–आसक्ति या सन्निधि का अर्थ है समीपता। उपर्युक्त सभी दृष्टियो से वाक्य ठीक हो, पर उसका एक शब्द आज कहे, और दूसरा कल, और तीसरा परसो; तो वह वाक्य नही कहा जायगा। अत पूरे वाक्य का एक साथ कहा जाना या सभी शब्दो (पदो) का समीप होना भी आवश्यक है।

अन्वय–उपर्युक्त सभी बाते ठीक हो पर यदि शब्दो मे अन्वय (व्याकरण की दृष्टि से समानरूपता) न हो तो अर्थ तो समझ में आ जायगा, पर वाक्य व्याकरण-सम्मत या व्याकरण की दृष्टि से ठीक न होगा। जैसे–हिन्दी मे यदि हम कहे–

उसकी लडका का हाथ में डडा थी।

तो भाव स्पष्ट है, पर वाक्य मे व्याकरणिक एकरूपता नही है, अत हिन्दी के नियम के अनुसार यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा–

उसके लड़के के हाथ मे डडा था।

इस प्रकार की आवश्यकता को अन्वय कहते है।

उपर्युक्त बातो के आधार पर वाक्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है—

वाक्य विशिष्ट क्रम से सजाये हुए ऐसे सार्थक शब्दो का समूह है, जिनमे परस्पर योग्यता, आकाक्षा, अन्वय तथा आसक्ति हो।

वाक्य के लिए आवश्यक उपर्युक्त बातो मे व्याकरण की दृष्टि से क्रम तथा अन्वय का महत्त्व है। यहाँ इन दोनो पर संक्षेप मे विचार किया जा रहा है।

क्रम

प्रत्येक भाषा में वाक्य के शब्दो का अपना अलग क्रम होता है। हिन्दी मे प्राय कर्ता, कर्म और तब क्रिया (राम रावण को मारता है) या कर्ता पूरक और तब क्रिया (राम सुन्दर है) रखते है। यदि कर्म दो होते है तो मुख्य कर्म बाद मे तथा गौण पहले (मोहन ने राम को रोटी खिलाई) रखते है। करण कारक का शब्द अपने चिह्न के साथ सामान्यत कर्म के बाद (राम ने रावण को बाण से मारा) आता है, पर यदि दो कर्म हो तो दोनो के बीच मे (राम ने श्याम को अपने हाथ से रोटी खिलाई) आता है। सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण भी प्राय कर्ता और क्रिया के बीच मे (राम ने मुझको फल दिए, पत्ता पेड से गिरा, वह घर मे है) आते है। सम्बन्ध कारक का शब्द जिस शब्द के साथ सम्बन्ध हो उसके पूर्व (राम का घोडा, तुम्हारी बेटी) आता है। सम्बोधन कारक तथा विस्मयादि-

बोधक अधिकतर वाक्य के प्रारम्भ मे (हे पुत्र! तुम कहाँ हो, हाय! मेरा तो सब-कुछ लुट गया) आते है।

सामान्यत विशेषण विशेष्य के पूर्व (वह सुन्दर लडका आ रहा है) आता है, पर जो विशेषण पूरक का काम करता है विशेष्य के बाद (वह लडका सुन्दर है) आता है।

क्रिया-विशेषण जिस क्रिया, विशेषण या क्रिया-विशेषण की विशेषता बतलाता है प्राय उनके पूर्व (वह तेज दौडता है, वह बहुत सुन्दर है, वह बहुत तेज दौडता है) आता है, पर, स्थान तथा कालवाचक क्रिया-विशेषण कर्ता के बाद ही आते (राम वहाँ जा रहा है, राम आज जा रहा है) है।

उपर्युक्त नियम सामान्यत प्रयोग मे आते है, पर किसी पर बल देने के लिए अन्य प्रकार से इन नियमो के विरुद्ध भी शब्दो को पहले या पीछे स्थान देते है। कुछ उदाहरण है--

क्रिया आरम्भ मे तथा कर्ता बाद मे–जा रहा हूँ मै। (यहाँ क्रिया पर ज़ोर दिया गया है)।

कर्म आरम्भ मे—राम को आज मारूँगा (यहाँ कर्म पर ज़ोर है)।

मुख्य कर्म पहले—सोहन ने रोटी राम को खिलाई (रोटी पर जोर है)।

करण आरम्भ मे—लाठी से मारूँगा। (यहाँ करण पर ज़ोर है)

सम्प्रदान आरम्भ मे—राम को कल रुपये दूँगा।

अपादान मे आरम्भ—पेड से पत्ते गिरते है।

सम्बन्ध सम्बद्ध सज्ञा के बाद—वह लडका सोहन का है (पूरक रूप मे)।

अधिकरण आरम्भ मे—घर में होगा वह।

सम्बोधन अन्त में—सुनो ओ मोहन!

,, बीच मे—मैं तो भाई! नही मान सकता।

क्रिया-विशेषण क्रिया के बीच मे—वह दौडता तेज है।

स्थानवाचक क्रिया-विशेषण आरम्भ मे—वहाँ वह जा रहा है।

कालवाचक—क्रिया-विशेषण आरम्भ मे—कल वह जा रहा है।

इस प्रकार हम देखते है कि प्राय सभी नियम आवश्यकतानुसार उलटे जा सकते है। पर एक नियम निश्चित है कि कारक-चिह्न (सम्बोधन के अतिरिक्त) कारक के शब्द के बाद ही आते है। (राम ने, ने राम नही, राम को, को राम नही; राम से, से राम नही)

कविता मे मात्रा, लय तथा तुक की दृष्टि से सामान्य पद-क्रम को प्राय उलट देते है।

अन्वय

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अन्वय का अर्थ है एक वाक्य के शब्दो (पदो) की आपस मे अपेक्षित व्याकरण की दृष्टि मे एकरूपता। यहाँ इस विषय के प्रमुख नियम दिये जा रहे है।

विशेषण और विशेष्य मे आपस मे लिंग, वचन और कारक की एकरूपता होनी चाहिए, अर्थात् विशेष्य का जो लिंग, वचन और कारक हो वही विशेषण का भी होना चाहिए। 'उस बडे डडे को तोडो' वाक्य मे विशेषण (बडे) विशेष्य (डडे) के अनुरूप है। यदि बडे के स्थान पर 'बडा' या 'बडी' कर दें तो अन्वय की समाप्ति हो जायगी और 'उस बडा डडे को तोडो' या 'उस बडी डडे को तोडो' वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो जायगा।

क्रिया, लिंग, वचन तथा पुरुष की दृष्टि से कभी तो कर्ता के (राम जाता है, सीता जाती है, तुम जाते हो, वे लोग जाते हैं।) और कभी कर्म के अनुरूप (राम ने रोटी खाई, राम ने आम खाया, राम ने बहुत-से आम खाए, राम ने बहुत-सी रोटियाँ खाईं) रहती है। एक तीसरी स्थिति ऐसी भी होती है जब क्रिया, कर्ता और कर्म, इन दोनो मे किसी के भी अनुरूप न होकर एक वचन, पुल्लिग (मैंने गदहे को देखा, मैंने गदहो को देखा, सीता ने गदहे को देखा, लडकियो ने गदहो को देखा, लडकियो ने लडकियो को देखा) रहती है। आदर के लिए एक वचन अन्य पुरुष कर्ता के साथ बहु वचन अन्य पुरुष क्रिया प्रयुक्त होती है। 'आप' के साथ कभी तो अन्य पुरुष बहु वचन का क्रिया-रूप (तो आप जा रहे हैं) प्रयुक्त होता है, और कभी नये रूप (आप आइए), (आप आइएगा)। क्रिया के अध्याय में यथास्थान इन सभी के सम्बन्ध में सकेत कर दिये गए है।

वाक्य में कभी-कभी एक से अधिक कर्ता होते है। इस सम्बन्ध मे निम्नाकित बातें याद रखने की है।

(क) यदि एक लिग और पुरुष की सज्ञाएँ कर्ता हो तथा सयोजक (और, तथा) से जुडी हो तो क्रिया उसी लिग की बहु वचन होगी। जैसे--राम और मोहन जा रहे है। सीता और राधा आ रही है। वचन के कारण यहाँ अन्तर नही पडता। जैसे–राम तथा अन्य लोग गा रहे हैं।

(ख) यदि भिन्न लिगो तथा वचनो की एक पुरुष की सज्ञाएँ कर्ता हो तथा सयोजक से जुडी हो तो क्रिया निकटतम कर्ता के अनुरूप (जैसे मर्द और औरतें खा रही थी, औरतें और मर्द खा रहे थे), या क्रिया वचन की दृष्टि से बहु वचन तथा लिग की दृष्टि से निकटवर्ती कर्ता के अनुसार (माँ और बाप आए), या पुल्लिग बहु वचन (बैल और गाय खा रहे है) होगी। इनमे प्रथम नियम अधिक प्रचलित है।

(ग) यदि कर्ता कई पुरुषो मे हो तो क्रिया (१) उत्तम मध्यम, तथा अन्य के, या उत्तम और मध्यम के साथ उत्तम पुरुष की (जैसे हम, तुम और राम खेलने चलेगे, राम और मै जा रहा हूँ) तथा (२) मध्यम और अन्य के साथ मध्यम पुरुष की (जैसे तुम और वह जा रहे हो) प्रयुक्त होती है।

यदि कर्ता वियोजक या विभाजक शब्दो (जैसे–या, अथवा) से जुडे हो तो क्रिया निकटवर्ती कर्ता के अनुरूप होती है। जैसे–राम या मै जा रहा हूँ। मै या राम जायगा, हम लोग या वह जा रहा है।

सकर्मक क्रियाओ के भूतकालिक कृदन्त से बने कालो मे 'ने' से युक्त कर्ता तथा कर्म-कारक के चिह्न से रहित कर्म होने पर

क्रिया लिंग, वचन, पुरुष में कर्म के अनुसार होती है। जैसे–राम ने रोटी खाई, राम ने रोटियाँ खाईं, राम ने आम खाया, राम ने आम खाए।

ऐसी स्थिति मे यदि कर्म एक से अधिक हो तो (१) एक लिंग के होने पर क्रिया उसी लिंग की बहुवचन होगी। जैसे–राम ने किताब और कापी मोल ली। कभी-कभी लिंग वही रखते हैं पर एक वचन क्रिया का प्रयोग करते है। जैसे–राम ने रोटी और दाल खाई। (२) यदि कर्म भिन्न-भिन्न वचन तथा लिंग के हो तो क्रिया निकटतम कर्म के अनुसार होगी। जैसे–राम ने आम और ककडी खाई, राम ने ककड़ी और आम खाया, राम ने आम और ककड़ियाँ खाईं, राम ने ककड़ी और बहुत-से आम खाए।

२. वाक्य के अंग तथा भेद

वाक्य मे कर्ता और क्रिया, दो अग अवश्य रहते है। 'राम जाता है', 'वह नही आया' तथा 'मोहन खा रहा है' में 'राम', 'वह' और 'मोहन' कर्ता हैं तथा 'जाता है', 'आया' और 'खा रहा है' क्रिया। 'खा लो'--जैसे वाक्यो मे प्रत्यक्ष रूप से कर्ता नही है पर वह (तुम) छिपे रूप मे वर्तमान है। बोल-चाल मे क्रिया भी कभी-कभी नही रहती।

राम--तुम चलोगे!

कृष्ण--हां।

यहां 'हां' वाक्य का अर्थ है 'हां' मै चलूंगा'। इस प्रकार क्रिया या कर्ता के न होने का अर्थ यह नही है कि वे है ही नही। वे रहते अवश्य है, कभी प्रत्यक्ष रूप मे और कभी परोक्ष रूप मे।

कभी-कभी कर्ता के साथ उसके विस्तार-रूप मे और भी शब्द रहते है, इसी प्रकार क्रिया के भी साथ उसके विस्तार रूप मे यथार्थ क्रिया के अतिरिक्त और बहुत-से शब्द होते है। कर्ता और उसके विस्तार या आश्रित शब्दो को 'उद्देश्य' तथा क्रिया और उसके विस्तार या आश्रित शब्दो को 'विधेय' कहते है।

'राम का लायक बेटा मोहन चल बसा' वाक्य मे 'चल बसा' विधेय है और 'राम का लायक बेटा मोहन' उद्देश्य। इसमे कर्ता तो केवल 'मोहन' है पर शेष शब्द 'राम का लायक बेटा' उसी के विस्तार है, या उसके आश्रित है। ये उसकी विशेषता बतलाते है। यहाँ उद्देश्य को 'कर्ता' और 'कर्ता का विस्तार', इन दो खण्डो मे विभाजित किया जा सकता है।

कर्ता और उसके विस्तार के अतिरिक्त वाक्य के शेष सारे शब्द विधेय होते है। विधेय की क्रिया को समापिका क्रिया कहते है। 'मै लेकर जाऊँगा' वाक्य मे 'जाऊँगा' समापिका क्रिया है और 'लेकर' पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया-विशेषण, करण, करण का विस्तार (राम ने तेज बाण से मारा), सम्प्रदान, सम्प्रदान का विस्तार, अपादान, अपादान का विस्तार, अधिकरण तथा अधिकरण का विस्तार आदि भी क्रिया के विस्तार के अन्तर्गत आते है। विधेय मे क्रिया का विस्तार, पूर्वकालिक क्रिया और उसके विस्तार के अतिरिक्त, पूरक, (वह राम है) पूरक का विस्तार, (वह सुन्दर लडका है) कर्म तथा कर्म का विस्तार (उस शरारती लडके को मारो) आदि भी आते है।

कर्तृ वाच्य का उद्देश्य कर्ता कारक, कर्मवाच्य का कर्मकारक और भाववाच्य का करण कारक होता है।

मै खाता हूँ।
रोटी खाई जाती है।
मुझ से चला नही जाता।
कभी-कभी उद्देश्य सम्प्रदान-कारक में भी आता है। जैसे—

राम को ऐसा नहीं कहना चाहिए था।

तुम्हे वहाँ जाना पडा।

ये (उद्देश्य और विधेय) साधारण वाक्य के अंग थे। कभी-कभी एक वाक्य के कई उपवाक्य होते है और इस प्रकार कई उद्देश्य और कई विधेय होते है। ऐसा वाक्य, जिसमे कई उपवाक्य हो, **मिश्र या संयुक्त वाक्य** कहलाता है। मिश्र वाक्य मे एक प्रधान उपवाक्य और एक या कई उसके आश्रित उपवाक्य होते है। संयुक्त वाक्य मे एक से अधिक प्रधान उपवाक्य तथा उनके अन्तर्गत अलग-अलग आश्रित उपवाक्य हो सकते है। प्रधान उपवाक्य संयोजक (और, तथा), वियोजक (या, अथवा), या परिणाम-दर्शक (इसलिए) अव्ययो से जुडे रहते है। निष्कर्ष-स्वरूप वाक्य तीन प्रकार के हुए—

(क) साधारण वाक्य—राम जाता है। मोहन लिखेगा। लडका पढ चुका। (इसमे एक उद्देश्य और एक विधेय है।)

(ख) मिश्र वाक्य—राम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। (इसमे दो उपवाक्य है। 'राम ने लिखा है' प्रधान उपवाक्य और 'वह कल आ रहा है' आश्रित उपवाक्य है। समुच्चय-बोधक अव्यय 'कि' से दोनों जुडे हुए हैं।)

(ग) संयुक्त वाक्य—वह कश्मीर गया और शाल ले आया। (इस मे दो उपवाक्य है, पर दोनो प्रधान उपवाक्य है। कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं है। दोनो और से जुडे है।)

आश्रित उपवाक्य तीन तरह के होते है—

१ संज्ञा उपवाक्य—जो प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य, कर्म य

पूरक के स्थान पर आवे। इसके पहले प्राय. 'कि' रहता है। जैसे मैं चाहता हूँ **कि तुम और पढ़ो**। यहाँ 'कि तुम पढ़ो' संज्ञा उपवाक्य है। 'कहना' क्रिया का यह कर्म है।

२ विशेषण उपवाक्य—जो प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलावे। जैसे–दिल्ली **जो भारत की राजधानी है**, ऐतिहासिक नगर है। यहाँ, 'जो भारत की राजधानी है' विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि 'दिल्ली' की विशेषता बतलाता है।

२. क्रियाविशेषण उपवाक्य—जो प्रधान उपवाक्य में क्रिया-विशेषण का काम करे, जैसे–**जब वह आया था**, कुत्ते भूंक रहे थे। इसमे 'कुत्ते भूंक रहे थे' प्रधान उपवाक्य है और 'जब वह आया था' काल बतलाने के कारण क्रिया-विशेषण उपवाक्य है।

कभी-कभी आश्रित उपवाक्य के भी आश्रित उपवाक्य होते है। जैसे–राजा ने कहा है कि तुम तब देना जब वह दे चुके। इसमें क—'राजा ने कहा है' प्रधान उपवाक्य,

ख—'कि तुम तब देना' संज्ञा उपवाक्य है, 'कहना' क्रिया का कर्म।

ग—'जब वह दे चुके' संज्ञा उपवाक्य का क्रिया-विशेषण उपवाक्य।

अर्थ की दृष्टि से भी वाक्यो के भेद किये जाते है, जिनमे प्रमुख निम्नांकित हैं–

१ विधानार्थक वाक्य–राम आया। वे गए। तुम लोग चल रहे हो।

२ निषेधार्थक वाक्य—राम नही आया । वे नही गए । तुम लोग नही चल रहे हो ।

३. आज्ञार्थक वाक्य—तुम जाओ ! अपना काम करो !

४ प्रश्नार्थक वाक्य—तुम्हारा नाम क्या है ? वह कहाँ से आया है ?

५ विस्मयादि बोधक वाक्य—अरे यह क्या किया !

६ सन्देहार्थक वाक्य—वह आया होगा ।

३. वाक्य-विश्लेषण

वाक्य का अगो तथा भेदो के अनुसार विश्लेषण वाक्य विश्लेपण कहलाता है। साधारण वाक्य के वाक्य-विश्लेषण लिए पहले उसे 'उद्देश्य' और 'विधेय' दो भागो में बाँटते हैं औ फिर इन दोनो के कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, या उनके विस्ता इन उपभेदो में बाँटते है। इसके लिए निम्नाकित खाने काम लाए जा सकते है। उदाहरण के लिए 'वह आदमी तेजी सुन्दर पत्र लिख रहा है' तथा 'राम का बेटा मोहन आ बहुत खुश है' के वाक्य-विश्लेषण दिये जा रहे है।

उद्देश्य		विधेय					
कर्ता	कर्ता का विस्तार	क्रिया	क्रिया का विस्तार	कर्म	कर्म का वि०	पूरक	पू० विस्त
आदमी	वह	लिख रहा है	तेजी से	पत्र	सुन्दर		
मोहन	राम का बेटा	है	आज			खुश	बहु

मिश्र तथा सयुक्त वाक्य के लिए कभी तो प्रधान उपवाक्य

तथा आश्रित उपवाक्यो को अलग-अलग करके आश्रित उपवाक्यो का भेद (संज्ञा, विशेषण या 'क्रिया-विशेषण उपवाक्य) बतलाते है और कभी और आगे बढकर हर उपवाक्य का ऊपर दिये गए साधारण वाक्य के वाक्य-विश्लेषण की भांति (उद्देश्य, विधेय और फिर उनके कर्ता, कर्ता का विस्तार आदि भेद) विश्लेषण करते है। साधारण वाक्य का उद्देश्य, विधेय तथा उसके उपभेदो के रूप मे विश्लेषण का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है । यहाँ केवल उपवाक्यो तथा आश्रित वाक्यो में विश्लेषण करने का उदाहरण दिया जा रहा है ।

१ राम ने कहा कि उसका जाना व्यर्थ है ।

२ ज्यो ही मै निकला, पानी बरसने लगा ।

३ जब तुम बनारस गए थे, मै कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया ।

वाक्य-भेद	उपवाक्य सख्या	उपवाक्य	उप वाक्य प्रकार	पूरे वा० से सबंध	अव्यय
मिश्र वाक्य	१	राम ने कहा	प्र० उ० वाक्य		
	२	उसका जाना व्यर्थ है	सज्ञा उप-वाक्य	'कहा' क्रिया का कर्म	कि
मिश्र वाक्य	१	पानी बरस-ने लगा	प्र० उप-वाक्य		
	२	ज्यो ही मै निकला	क्रिया वि० उ० वाक्य	'बरसने लगा' क्रिया की काल-सूचक विशेषता बतलाता है	

४. विराम-चिह्न

बोलने मे, वाक्य के अन्त मे या कभी-कभी बीच मे भी साँस लेने के लिए हमे रुकना पडता है । इस प्रकार की रुकावट साँस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। लिखने मे इन रुकावट या विराम के स्थलो को कुछ चिह्नो द्वारा दिखाया जाता है, जिन्हे विराम-चिह्न कहते है । विराम-चिह्न न देने से कभी-कभी अर्थ समझने मे बडी कठिनाई होती है । उदाहरणार्थ 'रोको मत जाने दो' वाक्य का अर्थ बिना विराम के नही लगाया जा सकता । इसमे यदि 'रोको' के बाद विराम होगा तो एक अर्थ होगा और 'मत' के बाद होगा तो दूसरा, जो पहले का बिलकुल उलटा है । इस प्रकार लिखने मे विराम-चिह्नो का प्रयोग बहुत आवश्यक है।

प्रमुख विराम-चिह्न नीचे दिये जा रहे है—

१ अल्प विराम या कामा (,)—बोलने वाला जहाँ बहुत थोडी देर के लिए रुकता है, यह चिह्न लगाया जाता है। जैसे—लो, मै चला ।

२ अर्द्ध विराम (;)—जहाँ बोलने वाला अल्प विराम को

अपेक्षा कुछ अधिक देर तक ठहरता है। जैसे—मेरे कहने से वे चले गए थे ; पर तबियत ठीक न होने के कारण पुन. लौट आए।

३ पूर्ण विराम (।)—वाक्य के अन्त मे लगाया जाता है। कविता मे वाक्य की पूर्णता-अपूर्णता पर ध्यान न देकर इसका प्रयोग पद या पक्ति के अन्त मे किया जाता है और छन्द के अन्त में एक पाई के स्थान पर दो पाइयां लगाते है।

४ प्रश्नसूचक चिह्न (?)—यदि वाक्य प्रश्नसूचक (या प्रश्नार्थ) हो तो पूर्ण विराम के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे,—तुम्हारा नाम क्या है ?

५. विस्मयसूचक चिह्न (!)—विस्मयादि-बोधक अव्यय के बाद या ऐसे वाक्यो के बाद इसे लगाते है। जैसे—अरे ! यह क्या किया !

६. विवरण चिह्न(.—)—जब कोई विवरण देना हो। जैसे प्रमुख बातें निम्नाकित हैं —

७ अवतरण चिह्न ("—") जब किसी का वाक्य या वाक्य-समूह आदि उद्धृत करना हो । उसे उद्धृत अश के शुरू "में और अन्त में" लगाते हैं।

८. योजक या सयोजक चिह्न (—)—दो शब्दो का सम्बन्ध दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे—डाक-घर, घोडा-गाडी।